भारत

के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

प्रतिवेदन

संख्या 3

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

शुद्धि पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियाँ) उत्तर प्रदेश सरकार ।

पृष्ठ सं०	प्रस्तर सं०	पंक्ति/स्तम्भ	अशुद्ध	शुद्ध
(i)	विषय सूची (1.5)	ऊपर से बारहवीं	12	13
(ii)	विषय सूची (4.2)	नीचे से आठवीं	मार्गकर	और मार्गकर
(iii)	" (6.2)	नीचे से ग्यारहवीं	82	81
(ix)	विहंगावलोकन	ऊपर से तीसरी	मार्गकर	और मार्गकर
7	1.2	नीचे से तेरहवीं	प्राप्तियाँ	2. ब्याज प्राप्तियाँ
14	1.6	ऊपर से पाँचवीं	करोड़	करोड़ रुपए
18	1.8 (iv)	नीचे से आठवीं	886	896
23	2.2	नीचे से नवीं	38	36
29	2.6 (क) (i)	ऊपर से छठी	अर्थदण्ड	अधिकतम अर्थदण्ड
51	3.8	ऊपर से दूसरी	कायालय	कार्यालय
54	4.2	शीर्षक	मार्गकर	और मार्गकर
63	4.2.8	ऊपर से पहली	क्रम----	क्रम में
78	5.2(ii)	ऊपर से बारहवीं	पंजीकृम	पंजीकृत
81	6.2	नीचे से पाचवीं	1978	1972
84	7.2	नीचे से बारहवीं	984	1984
85	7.4	नीचे से दसवीं	लखों	लेखों
116	9.10 (ख)	ऊपर से पांचवीं	उनका	उनकी
118	9.13	नीचे से बारहवीं	9.49	1.06
118	9.13	नीचे से ग्यारहवीं	कुछ	एक
118	9.13	नीचे से ग्यारहवीं	मामलों	मामले
118	9.13	नीचे से ग्यारहवीं	प्रस्तरों	प्रस्तर

पी० एस० यू० पी०—8 महालेखाकार—7-9-94—1,800 प्रतियां (आफसेट)।

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	–	(vii)
विहंगावलोकन	-	(ix)
अध्याय - 1 सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	1.2	5
संग्रह की लागत	1.3	8
कर निर्धारण के बकाया मामले	1.4	9
संग्रह का विश्लेषण	1.5	12
राजस्व का बकाया	1.6	13
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.7	16
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	1.8	16
अध्याय - 2 बिक्रीकर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	2.1	20
केन्द्रीय बिक्रीकर का अवनिर्धारण	2.2	21
कच्चे माल एवं पैकिंग सामग्री/प्रसंस्करण सामग्री के क्रय पर कर में अनियमित छूट/रियायत	2.3	23
कच्चे माल का दुरुपयोग करने परअर्थदण्ड का अनारोपण	2.4	26
क्रय कर का अनारोपण	2.5	27
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.6	28
अनियमित छूट दिया जाना	2.7	33
गलत दर से कर का लगाना	2.8	35
घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग	2.9	36
कर का अनारोपण	2.10	38

6 A. G.—22

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अशुद्ध गणना के कारण कम कर का आरोपित होना	2.11	39
गलत वर्गीकरण के कारण कम कर आरोपित होना	2.12	40
कर का अनारोपण	2.13	41
अध्याय - 3 राज्य आबकारी		
लेखा परीक्षा के परिणाम	3.1	42
नियमों का अनुपालन न करने से राजस्व की हानि	3.2	43
निर्यात सीमा शुल्क की गलत दर लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि	3.3	45
गलत दर लगाये जाने के कारण परिशोधित स्पिरिट के निर्यात पर निर्यात पास फीस की कम वसूली	3.4	46
भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाए जाने के कारण शुल्क का अवनिर्धारण	3.5	47
अल्कोहल की बिक्री पर क्रय कर का वसूल न किया जाना	3.6	49
देशी मदिरा के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	3.7	49
आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	3.8	50
समझौता शुल्क की वसूली न किया जाना	3.9	52
अध्याय - 4 वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	4.1	53
वाहनों के पंजीयन, मार्गकर की मांग से संबंधित परिवहन विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण	4.2	54
यात्रीकर का अनारोपण	4.3	64
बढ़े हुए मार्ग पर यात्रीकर की वसूली न किया जाना	4.4	64
मार्ग की दूरी की गलत संगणना के कारण यात्रीकर का अवनिर्धारण	4.5	65
यात्रीकर का निर्धारण से छूट जाना	4.6	66
शुद्ध किराये की गलत संगणना के कारण कम		

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
यात्रीकर का आरोपण	4.7	67
एक मुश्त यात्रीकर की गलत संगणना	4.8	73
यात्रीकर की अनियमित छूट	4.9	74
ट्रैक्टर-ट्रेलरों के अनुज्ञापत्रों के न जारी किए जाने के कारण राजस्व की हानि	4.10	75
मार्गकर का अनिर्धारण अथवा अवनिर्धारण	4.11	76
अध्याय - 5 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क		
लेखा परीक्षा के परिणाम	5.1	77
सम्पत्तियों के अवमूल्यन के फलस्वरुप स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का अवनिर्धारण	5.2	77
कृषि इतर भूमि का अवमूल्यन किए जाने से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपित किया जाना	5.3	78
अध्याय - 6 भू-राजस्व		
लेखा परीक्षा के परिणाम	6.1	81
संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	6.2	82
अध्याय - 7 अन्य कर प्राप्तियां		
क - विद्युत शुल्क		
लेखा परीक्षा के परिणाम	7.1	83
विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	7.2	83
विद्युत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज न वसूल किया जाना	7.3	85
ख - गन्ने के क्रय पर कर तथा शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क		
लेखा परीक्षा के परिणाम	7.4	85
गन्ना क्रय पर कर का भुगतान न किया जाना	7 5	86

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर चीनी की निकासी न किए जाने के फलस्वरुप कर का कम भुगतान	7.6	87

अध्याय- 8 वन प्राप्तियां

लेखा परीक्षा के परिणाम	8.1	89
प्रमुख वन उत्पादों का दोहन	8.2	89
लाटों का नीलाम न किया जाना	8.3	102
पट्टों के किराये की वसूली न किया जाना	8.4	103
पौधों के लागत मूल्य की वसूली न किया जाना	8.5	103
वृक्षों का लेखा न रखने के कारण हानि	8.6	104
लीसा दोहन की कमी	8.7	105
रायल्टी की कम वसूली	8.8	105
वृक्षों की अवैध कटान	8.9	106

अध्याय - 9 अन्य विभागीय प्राप्तियां

क - सिंचाई विभाग

लेखा परीक्षा के परिणाम	9.1	108
असिंचित एवं घरेलू उपयोग हेतु जल प्रभारों की वसूली न/कम किया जाना	9.2	109
राज्य नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व हानि	9.3	110
अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना	9.4	110
नहर जल के अनधिकृत प्रयोग के लिए दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना	9.5	111
पुनरीक्षित दरों पर निविदा शुल्क की वसूली न किया जाना	9.6	112
मछली का शिकार करने से पूर्व सम्पूर्ण नीलामी के धनराशि की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि	9.7	112

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ख - लोक निर्माण विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.8	113
अंशदान कार्यों पर सेन्टेज प्रभारों का कम आरोपण	9.9	114
स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	9.10	115
पूर्व पुनरीक्षित दरों पर निविदा फार्मों की विक्री	9.11	116
जल कर की कम वसूली	9.12	117
ग - कृषि विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.13	118
कीटनाशक दवाइयों के व्यवसायियों द्वारा लाइसेंन्स का अनवीनीकरण	9.14	118

प्रस्तावना

31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये है ।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। प्रतिवेदन में विक्रीकर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, भू-राजस्व और अन्य कर प्राप्तियों, वन एवं राज्य की अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों को समाहित करते हुए निरुपित किया गया है ।

प्रतिवेदन में वर्णित प्रसंग उनमें से हैं जिन्हे वर्ष 1992-93 में अभिलेखों के जांच परीक्षण के दौरान देखा गया या पूर्ववर्ती वर्षों में देखा गया, किन्तु विगत प्रतिवेदनों से अनाच्छादित रहे ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि से सम्बन्धित 5.92 करोड़ रुपये के 54 प्रस्तर सम्मिलित किए गये हैं । इसके अतिरिक्त, "वाहनों के पंजीयन, मार्गकर की मांग से सम्बन्धित परिवहन विभाग में आन्तरिक नियंत्रण" और "प्रमुख वन उत्पादों का दोहन" पर 8.14 करोड़ रुपये अंतर्गस्त राजस्व की दो पद्धति समीक्षायें प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं ।

कुछ प्रमुख तथ्य नीचे दिये जा रहे है .-

1 सामान्य

(I) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाही गयी कुल प्राप्तियाँ 11,676.18 करोड़ रुपये थी । कुल प्राप्तियों में से 3886.34 करोड़ रुपये (33 प्रतिशत) कर राजस्व तथा 1420.89 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व से सम्बन्धित है । भारत सरकार से अनुदान तथा संघीय करों के भाग के रुप में कुल प्राप्तियां 6368.95 करोड़ रुपये (55 प्रतिशत) थी । गत वर्षो की 16 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 1992-93 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1991-92 में कर राजस्व में हुई 39 प्रतिशत की वृद्धि दर घट कर वर्ष 1992-93 में 31 प्रतिशत रह गई । राज्य के स्वयं के कर राजस्व में प्रमुख अभिवृद्धि राज्य आबकारी (24 प्रतिशत) तथा मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों के विक्रय पर कर (60 प्रतिशत्) रही ।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1. 2)

(11) बिक्रीकर निर्धारणों को उनके कालातीत होने के ठीक पहले अन्तिम रुप देने की सुस्पष्ट प्रकृति दृष्टि गोचर हुई । इस प्रकार वर्ष 1992-93 में अन्तिम रुप दिए गए 4.17 लाख रुपये के बिक्रीकर निर्धारणों में से 53 प्रतिशत वे मामले थे जो आगामी वित्तीय वर्ष में कालातीत हो गये होते ।

(प्रस्तर 1.4 (क) (ii) एवं (iii))

(iii) वर्ष 1992-93 के दौरान बिक्रीकर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क , भू-राजस्व, वन विभागीय कार्यालयों आदि के अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणाम स्वरुप अवनिर्धारण तथा राजस्व हानि के कुल 94.36 करोड़ रुपये के 3123 मामले देखे गए । सम्बन्धित विभागों ने 9.66 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किया । इसमें से 2.37 करोड़ रुपए वर्ष 1992-93 से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षो से संबंधित रही ।

(प्रस्तर 1.7)

(iv) 182.77 करोड़ रुपये की धनराशि से सम्बद्ध दिसम्बर 1992 तक निर्गत 3407 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसमें 8100 प्रस्तर थें, जून 1993 तक समाधान हेतु लम्बित थे । 2938 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)।

(प्रस्तर 1.8)

2 विक्रीकर

(i) अन्तर्राज्यीय विक्रियों की वस्तुएँ प्रपत्र "ग" अथवा घ" से आच्छादित नहीं थीं, पर 10.38 लाख रुपये का कर, कर निर्धारण के समय कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.2)

(ii) यद्यपि 6 व्यापारियों द्वारा राज्य के बाहर से 53.77 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की अनियमित खरीद पर 21.51 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपणीय थाः किन्तु आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.6 (क))

(iii) व्यापारियों को कर योग्य वस्तुओं पर अनियमित छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरुप दो मामलों में 6.21 लाख रुपये की राजस्व की क्षति हुई ।

(प्रस्तर 2.7 (क) (ख))

3. राज्य आबकारी

रोजा (जनपद शाहजहांपुर) एवं सहारनपुर स्थित दो आसवनियों में निर्यात शुल्क के गलत दर से लगाये जाने के फलस्वरुप 7.99 लाख रुपये की राजस्व की क्षति हुई ।

(प्रस्तर 3.3 (i) एवं (ii))

4. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

(i) "वाहनों के पंजीयन, मार्ग कर की मांग से सम्बन्धित परिवहन विभाग में आन्तरिक नियंत्रण" पर की गयी एक पद्धति समीक्षा से निम्न बिन्दु प्रकाश में आए:

(क) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दिशा निर्देश के लिए अनुवर्ती कार्यविधि विषयक कोई संहिता विभाग में नहीं बनायी गयी है एवं विभिन्न अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में कोई विभागीय निर्देश भी नहीं है ।

(प्रस्तर 4.2.5)

(ख) क्रेताओं को हस्तान्तरित करने के पूर्व वाहन विक्रेताओं द्वारा वाहनों के पंजीयन पर विभाग

द्वारा अनुश्रवण न करने के कारण पंजीयन फीस तथा मार्गकर के भुगतान में विलम्ब हुआ ।

(प्रस्तर 4.2.6)

(ग) बकायों की वसूली हेतु विभाग द्वारा अनुगामी कार्यवाही की दक्षता का अनुश्रवण नं करने तथा आने वाली अड़चनों की पहचान एवं उनका निराकरण न होने के फलस्वरूप पथकर का बकाया 60.98 लाख रुपए (मार्च 1984) से बढ़कर 264.05 लाख रुपए (मार्च 1993) तक पहुँच गया ।

(प्रस्तर 4.2.7 (क))

(घ) सम्बन्धित अधिनियम एवं नियमावली में वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । कुल 6,275 में से केवल 2,292 वाहनों के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये । वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने का रजिस्टर जो कि नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, का उचित रख-रखाव नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 4.2.7 (ख) (i))

(ड.) अधिनियम के अन्तर्गत प्रयोग में न लाये जा रहे वाहनों के संबंध में कर मुक्ति पर उचित नियंत्रण नही रखा गया क्योंकि विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट 25 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत वाहनों की जांच उनके खड़े होने के स्थान पर की गयी थी ।

(प्रस्तर 4.2.8)

(च) आन्तरिक लेखापरीक्षा समन्वय केवल 10 से 18 प्रतिशत कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण करता रहा है । राजस्व संग्रह पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों, परिपत्रों तथा महत्वपूर्ण आदेशों को इस समन्वय को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं जिससे कि विभाग के राजस्व संग्रह के विभिन्न अभिकरणों (एजेन्सी) के क्रिया कलापों की जाँच सुगम हो सके ।

(प्रस्तर 4.2.10)

(ii) राज्य परिवहन प्राधिकरण के निर्देशों के बावजूद यात्री-कर आरोपित न किये जाने से 23.30 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 4.3)

5. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क

भूमि के अवमूल्यांकन के परिणाम स्वरूप 6 मामलों में 2.92 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया ।

(प्रस्तर 5.3)

6 भू-राजस्व

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक 9 जनपदों की 13 तहसीलों में गैर सरकारी संस्थाओं से वसूली प्रमाण -पत्र निर्गत होने के बाद वसूले गये देयों से सम्बन्धित 10.43 लाख रुपये का संग्रह प्रभार नहीं वसूला गया ।

(प्रस्तर 6.2)

7. अन्यकर प्राप्तियाँ

रक्षा कर्मियों को आपूर्त विद्युत के लिए पूर्ण दर पर विद्युत शुल्क न लगाए जाने के फलस्वरुप तीन मामलों में 6.06 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुई ।

(प्रस्तर 7.2)

8. वन प्राप्तियाँ

(i) "प्रमुख वन उत्पादो का दोहन" पर की गयी पद्धति समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुए।

(क) विक्रय सूची के सम्प्रेषण में विलम्ब, अर्थदण्ड के असमावेशन तथा लाटों के चिन्हित न करने के फलस्वरुप 464.73 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुयी ।

(प्रस्तर 8.2.6 (ख))

(ख) दोहन के दौरान लाटों की अवैध एवं असावधानी पूर्वक कटान की कीमत तथा क्षतिपूर्ति की वसूली न किए जाने के कारण 13.52 लाख रुपये का राजस्व अभी भी वसूल किया जाना है ।

(प्रस्तर 8.2.6 (ग))

(ग) मूल्य निर्धारण वर्ष में रायल्टी की दर निर्धारित करते समय बाजार दरों में असामान्य वृद्धि को ध्यान में नही रखा गया ।

(प्रस्तर 8.2.7 (क) (i))

(घ) दो सामाजिक वानिकी संभागों में 46.51 लाख रुपए की रायल्टी की वसूली नहीं की गयी ।

(प्रस्तर 8.2.7(क) (ii))

(ड.) रायल्टी के गलत निर्धारण के फलस्वरुप 16.05 लाख रुपए की कम वसूली की गई ।

(प्रस्तर 8.2.7(क) (iii) (क) (ख))

(च) 7 मण्डलों में उत्तर प्रदेश वन निगम को स्वीकृत समय सीमा विस्तार पर देय कुल शुल्क 7.68 लाख रुपये नहीं वसूला गया । समय सीमा विस्तारण शुल्क के भुगतान पर हुये विलम्ब के लिए ब्याज का कोई प्रावधान नहीं था ।

(प्रस्तर 8.2.7 (ग) (क))

(छ) 8 मण्डलों में किस्तों के 61 से 1583 दिनों तक के विलम्बित भुगतान के लिए देय कुल विलम्ब शुल्क 83.86 लाख रुपए नहीं वसूला गया ।

(प्रस्तर 8.2.7 (ग) (ख))

(ज) पुराने खैर के पेड़ों के गलत मूल्यानुमानों के परिणाम स्वरुप 22.93 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 8.2.8 (ख))

(ii) सम्भागों द्वारा लाटों की पुनर्नीलामी न करने के फलस्वरुप 84.96 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.3)

(iii) पशुपालन विभाग के वृक्षों के हस्तान्तरण के समय गणना न किए जाने के कारण 12.46 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.6)

9. अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

(i) राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुनरीक्षित अनुबन्ध न अपनाये जाने से 30.19 लाख रुपये जल प्रभार की कम वसूली हुई ।

(प्रस्तर 9.2 (i)

(ii) वर्ष 1987-88 और 1994-95 की समयावधि में 9 पुलों पर पथकर (टोल) संग्रह हेतु अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निष्पादित 13 पट्टा अनुबन्धों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क, प्रीमियम के बजाय इसे सुरक्षित किराया मानते हुए, किस्तों के आधार पर वसूल किया गया । परिणामतः 6.68 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुयी ।

(प्रस्तर 9.10 (क))

अध्याय - 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान उगाहा गया कर एवं गैर कर राजस्व वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तदनुरुपी आकड़े नीचे दिए गए है तथा चार्ट में भी दर्शाये गए है ।

		1990-91	1991-92	1992-93
			(करोड़ रुपये में)	
I.	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क)	कर-राजस्व	3162.12	3497.39	3886.34
(ख)	गैर कर राजस्व	777.47	1083.48	1420.89
		3939.59	4580.87	5307.23
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	2305.65	2731.35	3398.61
(ख)	सहायक अनुदान	2064.86	2362.39	2970.34
		4370.51	5093.74	6368.95
III.	राज्य की कुल प्राप्तियां (I + II)	8310 .10	9674.61	11676.18*
IV.	I से III की प्रतिशतता	47	47	45

वर्ष 1992-93 के लिए कर राजस्व का विवरण

---

* विवरण के लिए कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1992-93 में विवरण संख्या 11- लघु शीर्षवार राजस्व का ब्योरेवार लेखा देखें ।

6 A. G.—1

साथ ही पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए है तथा रेखाचित्र-। में ग्राफीय बिधि से दर्शाये गए हैं।

राजस्वशीर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1991-92 के संदर्भ में 1992-93 में वृद्धि(+) या कमी(-)	1991-92 के संदर्भ में प्रतिशतता में परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़ रुपए में)			
1. बिक्रीकर	1415.36	1641.83	1654.35	(+) 12.52	0.8
2. राज्य आबकारी	724.79	715.62	884.72	(+) 169.10	24
3. स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क	359.73	445.19	460.47	(+) 15.28	3
4. मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	211.97	188.22	300.97	(+) 112.75	60
5. माल एवं यात्रियों पर कर	151.69	161.42	195.12	(+) 33.70	21
6. वाहनों पर कर	85.42	92.99	102.96	(+) 9.97	11
7. गन्ने के क्रय पर कर	53.04	68.42	65.71	(-) 2.71	(-)4
8. विद्युत पर कर और शुल्क	53.07	57.13	63.58	(+) 6.45	11

कर-राजस्व की बढ़ोत्तरी

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक

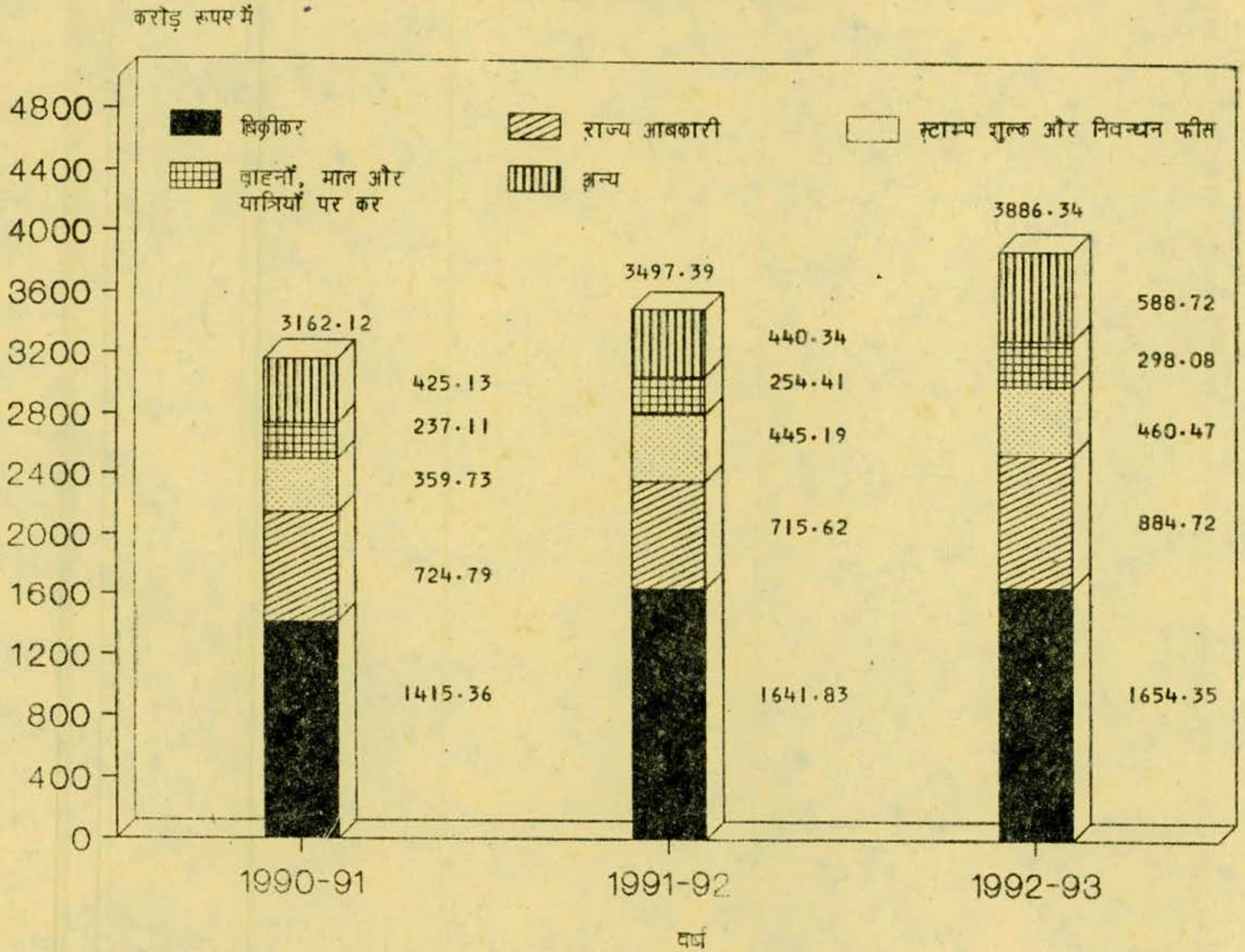

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.i पृष्ठ संख्या - 1)

रेखा चित्र - 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. भू-राजस्व	39.65	42.21	60.32 (+)	18.11	43
10. आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.05	-	1.78 (+)	1.78	178
11. कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	0.01	0.78	1.79 (+)	1.01	129
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	67.34	83.58	94.57 (+)	10.99	13
योग	3162.12	3497.39	3886.34 (+)	388.95	11

वर्ष 1992-93 में शीर्ष "आय तथा व्यय पर अन्य कर" (178 प्रतिशत), "कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर" (129 प्रतिशत), "मोटर स्पिरिट तथा स्नेहकों की बिक्री पर कर" (60 प्रतिशत), "भू-राजस्व" (43 प्रतिशत), "राज्य आबकारी" (24 प्रतिशत) तथा "माल एवं यात्रियों पर कर" (21 प्रतिशत) के अन्तर्गत पर्याप्त वृद्धि हुयी । वर्ष 1992-93 के दौरान "बिक्रीकर तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क" शीर्ष के अन्तर्गत संग्रह वस्तुतः विगत वर्षों के स्तर पर स्थिर रहा जब कि वर्ष 1991-92 के दौरान अभिवृद्धि क्रमशः 16 एवं 24 प्रतिशत पहुंच गयी थी । प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के कारणों को बताने के लिए अनुरोध किया गया था (जनवरी 1994) । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

(II) वर्ष 1992-93 के लिए गैर कर राजस्व का विवरण साथ ही उन विभागों के सम्बन्ध में पूर्व के दो वर्षों के आँकड़ें जिनकी प्राप्तियां 10 करोड़ रुपये से अधिक थी नीचे दिए गए हैं तथा रेखा- चित्र II में दर्शाये गए हैं ।

राजस्व शीर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1991-92 के संदर्भ में 1992-93 में वृद्धि (+) या कमी (-)	1991-92 के संदर्भ प्रतिशतता में परिवर्तन
	(करोड़ रुपए में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. विविध सामान्य सेवायें	161.94	390.17	513.30	(+) 123.13	32
2. ब्याज प्राप्तियां	302.08	298.93	317.70	(+) 18.77	6
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	88.09	85.43	106.88	(+) 21.45	25
4. बृहत और मध्यम सिंचाई	35.03	36.84	45.97	(+) 9.13	25
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	33.90	34.73	55.92	(+) 21.19	61
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	12.89	29.20	32.52	(+) 3.32	11
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	14.59	20.77	24.99	(+) 4.22	20
8. पुलिस	15.17	19.54	27.77	(+) 8.23	42
9. क्राप हसबेण्ड्री	8.46	16.93	12.58	(-) 4.35	(-)26
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9.17	16.01	44.59	(+) 28.58	179

कर-भिन्न राजस्व की बढ़ोत्तरी

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक

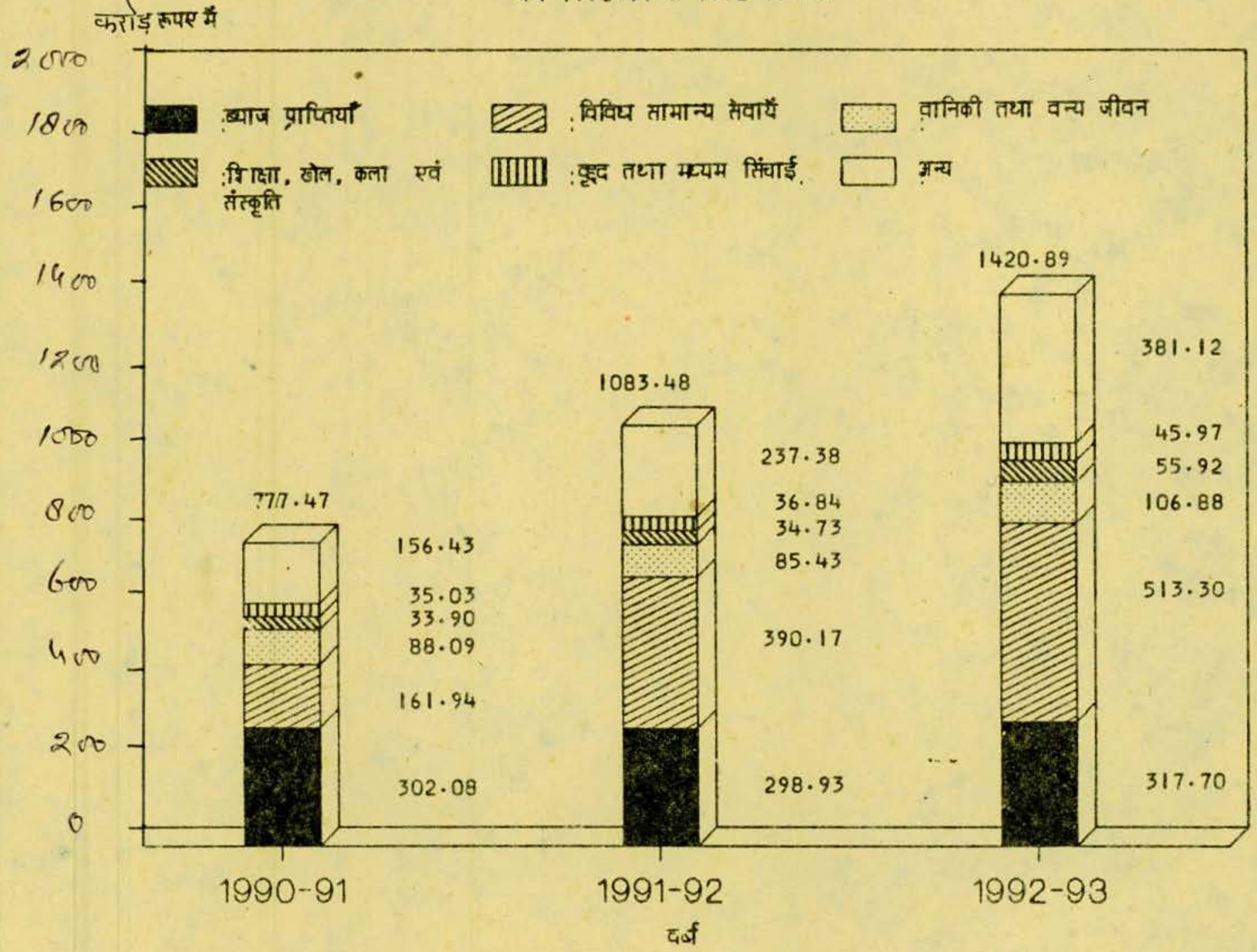

(सन्दर्भः प्रस्तर 1.1 (11) पृष्ठ संख्या - 3)

रेखा-चित्र - 11

5-क

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	15.74	14.45	18.61	(+) 4.16	28
12. लघु सिंचाई	8.75	14.33	46.01	(+) 31.68	221
13. सड़क एवं सेतु	11.79	11.43	11.13	(-) 0.30	(-) 3
14. लोक निर्माण	10.43	10.59	9.31	(-) 1.28	(-) 12
15. अन्य	49.44	84.13	153.61	(+)69.48	83
योग	777.47	1083.48	1420.89	(+)337.41	31

वर्ष 1992-93 में प्राप्तिशीर्ष - "विविध सामान्य सेवायें" (32 प्रतिशत), "अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग" (20 प्रतिशत) और "अन्य प्रशासनिक सेवायें" (11 प्रतिशत) के अन्तर्गत पर्याप्त वृद्धि हुयी परन्तु वर्ष 1991-92 में हुई वृद्धि "विविध सामान्य सेवायें" (141 प्रतिशत), "अन्य प्रशासनिक सेवायें" (127 प्रतिशत) तथा "अलौह घातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग" (42 प्रतिशत) की तुलना में यह बढ़ोत्तरी कम थी । शीर्ष "क्राप हसबेण्ड्री" (26 प्रतिशत) के अंतर्गत प्राप्तियों में वर्ष 1991-92 की 100 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में असमान्य गिरावट आयी ।

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया (जनवरी 1994) । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं :-

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए में)		
क. कर राजस्व	3665.07	3886.34	(+) 221.27	6
ख. गैर कर राजस्व	1275.53	1420.89	(+) 145.36	11

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर का विभाजन निम्नवार है :

प्राप्ति शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(करोड़ रुपए में)			
क. कर राजस्व				
1. बिक्रीकर	1720.00	1654.35	(-) 65.65	(-)3.8
2. राज्य आबकारी	805.46	884.72	(+) 79.26	9.8
3. स्टाम्प एवं पंजीयन	489.78	460.47	(-) 29.31	(-) 6
4. मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	251.56	300.97	(+) 49.41	20
5. माल एवं यात्रियों पर कर	194.18	195.12	(+) 0.94	0.5
6. वाहनों पर कर	106.49	102.96	(-) 3.53	(-)3.3
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क मनोरंजन कर	89.38	94.57	(+) 5.19	5.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. गन्ने के क्रय पर कर	68.59	65.71	(-) 2.88	(-) 4
9. विद्युत पर कर और शुल्क	59.98	63.58	(+) 3.60	6
10. भू-राजस्व	35.01	60.32	(+) 25.31	721
ख गैर कर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवायें	505.16	513.30	(+) 8.14	1.6
2. ब्याज प्राप्तियां	402.83	317.70	(-) 85.13	(-) 21
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	89.80	106.88	(+) 17.08	191
4. वृहत एवं मध्यम सिंचाई	61.62	45.97	(-) 15.65	(-) 25
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	44.70	55.92	(+) 11.22	25

बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था (जनवरी 1994)। किन्तु वे प्राप्त नहीं हुये। "मोटर स्पिरिट तथा स्नेहकों की बिक्री" (20 प्रतिशत), "भू-राजस्व" (72 प्रतिशत), तथा "शिक्षा, खेल तथा कला एवं संस्कृति" (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में बजट अनुमानों के ऊपर पर्याप्त वृद्धि रही। प्राप्ति शीर्ष, "बृहत्त एवं मध्यम सिंचाई" (25 प्रतिशत), "ब्याज प्राप्तियां" (21 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष के दौरान पर्याप्त गिरावट दर्ज की गई।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1990-91 से 1992-93 के तीन वर्षों के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1991-92 के आधार पर अखिल भारतीय औसत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़ रुपए में)			
1. बिक्रीकर	1990-91	1415.36	60.46	4	1.5
	1991-92	1641.83	60.34	4	
	1992-93	1654.35	66.45	4	
2. वाहनों पर कर	1990-91	85.42	5.31	6	
	1991-92	92.99	6.03	6	
	1992-93	102.96	7.33	7	
3. माल तथा यात्रियों पर कर	1990-91	151.69	0.39	1	3
	1991-92	161.42	2.12	1	
	1992-93	195.12	2.43	1	
4. विद्युत कर	1990-91	53.67	1.80	3	
	1991-92	57.13	1.81	3	
	1992-93	63.58	2.13	3	
5. मनोरंजन कर	1990-91	67.34	14.50	21	
	1991-92	88.58	13.56	16	
	1992-93	94.57	20.57	22	

"मनोरंजन कर" शीर्ष के अन्तर्गत संग्रह पर हुए व्यय में वृद्धि वर्ष 1991-92 में सकल संग्रह की 16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 22 प्रतिशत हो गयी ।

राजस्व संग्रह पर बढ़े हुए व्यय की प्रवृत्ति के कारणों एवं उसमें कमी करने हेतु अपनाये गए उपायों के बारे में अवगत कराने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था तथा

वर्ष 1992-93 में बिक्री कर विभाग में कर निर्धारण का निष्पादन

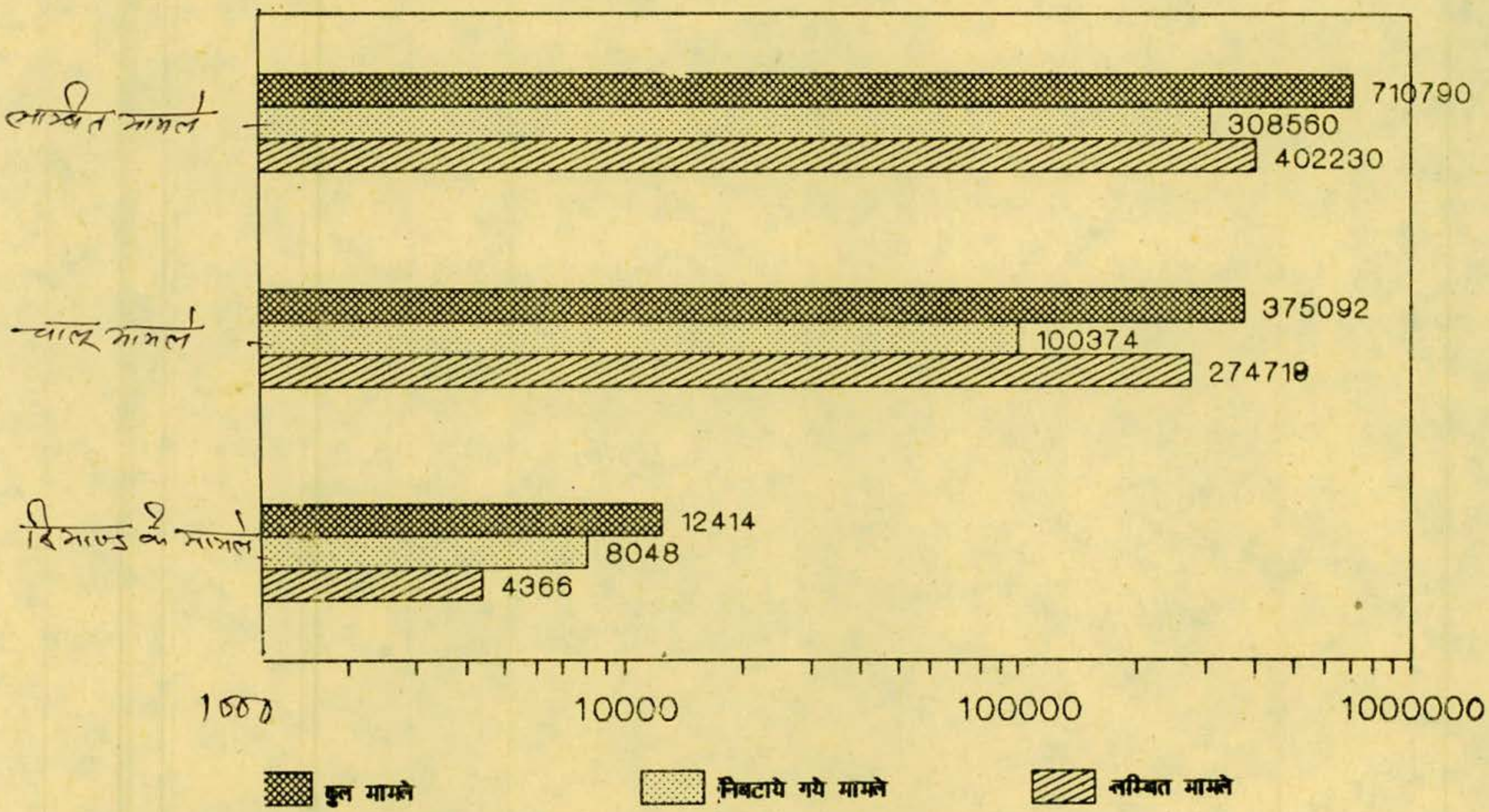

(सन्दर्भ प्रस्तर 1.4 (क) (1) पृष्ठ संख्या - 9)

रेखा-चित्र - III

अनुस्मारक भी भेजा गया था (जनवरी 1994) । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)।

1.4 कर निर्धारण के बकाया मामले

(क) बिक्रीकर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(i) कर निर्धारण वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान बिक्रीकर विभाग द्वारा निपटाये जाने हेतु अपेक्षित तथा निपटाये गए कर निर्धारण के मामलों की संख्या के साथ-साथ मार्च के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्नवत है :-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु अपेक्षित मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 का 4 से प्रतिशत
1988-89	732793	313187	1086480	344140	742340	31.7
1989-90	815564	336860	1152424	409782	742642	35.6
1990-91	812978	360130	1173108	527962	645146	45.0
1991-92	718433	376111	1094544	450354	644190	41.0
1992-93	710790	387506	1098296	416982	681314	38.0

(उपर्युक्त सूचनाओं को रेखा चित्र III में ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है)

वर्ष 1988-89 से 1992-93 के लिए अन्तशेष में आदि शेष से भिन्नता है । यह स्थिति सम्वीक्षा, त्रुटियों के परिशोधन तथा पूर्व की तिथियों से दिए गए पंजीयन के फलस्वरुप होना विभाग द्वारा बताया गया । विभाग का उत्तर अमान्य है क्योंकि किसी वर्ष विशेष का आदि शेष पूर्व वर्ष के अन्तशेष से भिन्न नहीं हो सकता । विभाग द्वारा आदि शेष में किए गए परिशोधनों को वर्ष के दौरान हुए संव्यवहारों के रुप में दर्शाना चाहिए भले ही यह समसामयिक पंजीयन दिए जाने से सम्बद्ध हो । ऐसी गड़बड़ी के परिहार के लिये यह आवश्यक है कि विभाग आंकड़ों के रख रखाव की पद्धति को सही करें ।

अवलोकनीय है कि वर्ष 1992-93 के अन्त में 64 प्रतिशत से अधिक मामले निर्धारण के लिए अपेक्षित थे । इसके अतिरिक्त, मामलों के निस्तारण की प्रतिशतता में हुयी गिरावट जो वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में क्रमशः 45 एवं 41 प्रतिशत थी, वर्ष 1992-93 में 38 हो गई ।

31 मार्च 1993 को लम्बित कर निर्धारण का वर्षवार विभाजन निम्न तालिकानुसार था :

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1987-88 तक	3,957
1988-89	24,576
1989-90	1,54,835
1990-91	2,18,862
1991-92	2,74,718
पुनर्कर निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा प्रति प्रेषित मामले	4,366
योग	6,81,314

(उपर्युक्त सूचना रेखा चित्र - IV में ग्राफीय रूप में प्रस्तुत की गयी है)

(II) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान निष्पादित कर निर्धारणों की तुलनात्मक स्थिति भी नीचे दी गयी है :

	1991-92			1992-93	
अवधि	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़ रुपए में)	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़ रुपए में)	निष्पादित निर्धारणों की प्रतिशतता
अप्रैल से दिसम्बर	2,46,997	207.01	2,35,531	211.78	56
जनवरी से मार्च	2,03,357	323.81	1,81,451	564.85	44
योग	4,50,354	530.82	4,16,982	776.63	

यह स्पष्टतः परिलक्षित है कि माह अप्रैल से दिसम्बर तक प्रतिमाह मामलों के निस्तारण की दर वर्ष के अन्तिम तिमाही के प्रतिमास निस्तारण की दर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम रही है ।

31 मार्च 1993 को बिक्री कर विभाग में लम्बित कर निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन

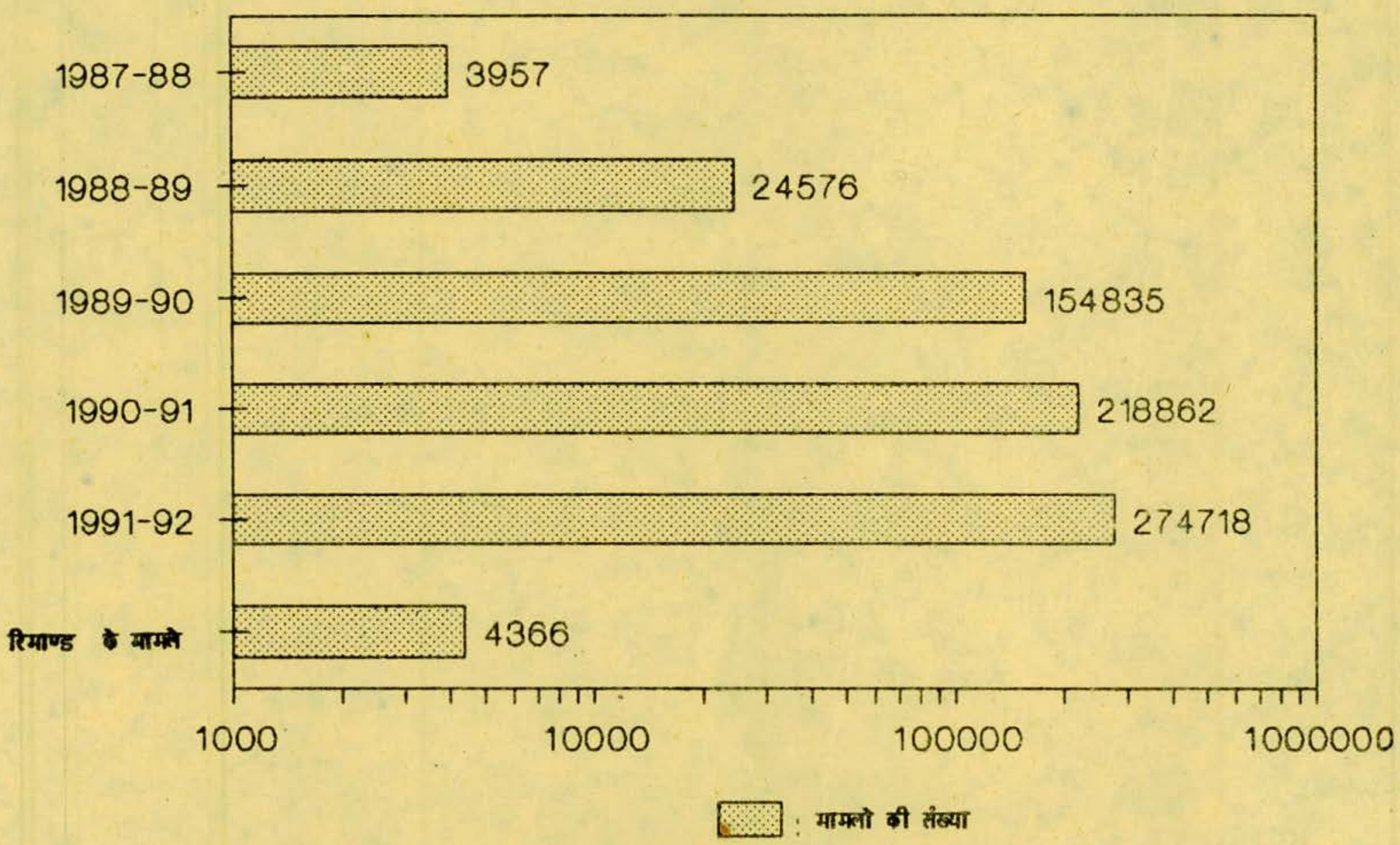

(सन्दर्भ प्रस्तर 1.4 (क) (1) पृष्ठ संख्या - 10)

रेखा चित्र - IV

क - 10

वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के लिए प्रथम तीन त्रैमास में उठाई गयी अतिरिक्त मांग क्रमशः 207.09 करोड़ रुपए तथा 211.78 करोड़ रुपए थी ।

(III) नीचे दिए गए निष्पादित मामलों के विभाजन से स्पष्ट है कि प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति रही है । विभाजन से प्रकट होता है कि निपटाए गए मामलों में से 44 प्रतिशत से अधिक मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने थे जो यदि उसी वर्ष के दौरान निस्तारित न किए गए होते तो उनके कालातीत हो जाने की संभावना थी ।

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष	जिस वर्ष से सम्बन्धित हैं उन वर्षों के अनुसार निस्तारित मामलों का विभाजन		
	वर्ष	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
1992	1987-88 तक	2,01,213	45
	1988-89	71,014	16
	1989-90	61,113	13
	1990-91	1,09,690	24
	प्रति प्रेषित मामले	7,324	2
	योग	4,50,354	
1993	1987-88 तक	41,491	10
	1988-89	1,77,462	43
	1989-90	46,569	11
	1990-91	43,038	10
	1991-92	1,00,374	24
	प्रति प्रेषित मामले	8,048	2
	योग	4,16,982	

प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति से, हड़बड़ी में किए गए कर-निर्धारण, अभिलेखों की अपर्याप्त जांच तथा समय व्यपगत के साथ व्यापारियों के दिवालिया या गुम हो जाने के कारण राजस्व की हानि हो जाने का खतरा रहता है ।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

वर्ष 1988-89 से 1992-93 तक के अपील एवं पुनरीक्षण के मामले जो बिक्री कर विभाग द्वारा निस्तारित किये जाने थे, तथा जो मामले निस्तारित किये गये, की संख्या तथा साथ ही साथ

वर्ष 1992-93 के अन्त में अपील एवं पुनरीक्षण के निष्पादन हेतु लम्बित तथा विभाग द्वारा सूचित मामलों की संख्या नीचे प्रदर्शित है :

अपील के मामले

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपील की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपील की सं०	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या में से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1988-89	58896	54609	113505	34608	78325*	30
1989-90	78325	50979	129304	45258	84046	35
1990-91	84046	44282	128328	49206	79122	38
1991-92	79122	45957	125079	57103	67976	46
1992-93	67976	45219	113195	48765	64430	43

पुनरीक्षण के मामले

1988-89	56891	17302	74193	20646	53547	28
1989-90	53547	16089	69636	17980	51656	26
1990-91	51656	21369	73025	18848	54177	26
1991-92	54177	25087	79264	18837	60427	24
1992-93	60427	23537	83964	19324	64640	23

अवलोकनीय है कि लम्बित अपील के मामलों की संख्या 58816 से 9.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी अंकित करती हुयी वर्ष 1992-93 के अन्त में 64430 हो गयी तथा उसी समय के दौरान निस्तारण हेतु लम्बित पुनरीक्षण के मामलों में 13.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी ।

---

* वर्ष 1988-89 का अंतिम अवशेष 78,897 है जिसे विभाग ने 78,325 दिखाया है । विभाग को इस त्रुटि का निराकरण करने को कहा गया है ।

1.5 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 1992-93 के दौरान बिक्रीकर के सकल संग्रह का विभाजन (पूर्व निर्धारण की अवस्था तथा नियमित निर्धारण के पश्चात) और गन्ने के क्रय पर कर (खांड़सारी इकाई) तथा पूर्व के दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़े, जैसा सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये, नीचे दिए गए हैं:

करशीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था मे संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत धनराशि	अन्य प्राप्तियां	प्रत्यार्पित धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	कालम 3 की 7 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बिक्रीकर	1990-91	1265.93	76.33	32.54	5.14	1369.66	92
	1991-92	1460.26	83.93	39.16	5.84	1577.51	93
	1992-93	1526.46	101.41	22.77	8.15	1642.49	93
गन्ना	1990-91	1.39	9.30	कोई नही	0.02	10.67	13
विभाग	1991-92	0.37	9.20	तदैव	0.04	9.53	4
(खांड़सारी इकाई)	1992-93	0.65	7.59	तदैव	कोई नही	8.24	8

विगत तीन वर्षों के दौरान मार्च 1993 के अन्त में समाप्त पूर्ववर्ती 3 वर्षों में बिक्रीकर तथा गन्ना विभाग (खांड़सारी इकाई) द्वारा संग्रहीत राजस्व की स्थिति, जैसा ऊपर वर्णित है, दर्शाती है कि बिक्रीकर विभाग में पूर्व निर्धारण की अवस्थां में संग्रहीत राजस्व 92 से 93 प्रतिशत तथा नियमित निर्धारण के पश्चात सृजित मांग केवल 5 से 6 प्रतिशत थी । यह कर दाताओं द्वारा स्वेच्छिक अनुपालन की जागरुकता तथा आय के उच्च लक्ष्य प्राप्ति में संलग्न बिक्रीकर विभाग के कर संग्रह साधनों के सीमित कर्तव्यों को प्रकट करती है किन्तु गन्ना विभाग (खांडसारी इकाई) में पूर्व निर्धारण अवस्था में हुये संग्रहों पर निर्धारण के पश्चात हुए कर संग्रह में अभिवृद्धि 80 और 97 प्रतिशत के मध्य रही । इससे गन्ना विभाग में करदाताओं में स्वेच्छिक अनुपालन की जागरुकता की कमी प्रकट होती है।

1.6 असंग्रहीत राजस्व

प्रमुख राजस्व शीर्षो के अन्तर्गत 31 मार्च 1993 को राजस्व बकाए का लम्बित संग्रह , जैसा विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, निम्नवत था :-

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने वकाया	अभ्युक्ति
	(करोड़ रुपए में)		
1. बिक्रीकर	1721.94	381.62	1721.94 करोड़ रुपए में से 333.19 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 261.38 करोड़ रुपए तथा 23.76 करोड़ रुपए की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी । प्रार्थना पत्रों की समीक्षा/परिशोधन के कारण 66.23 करोड़ रुपए की वसूली रुक गयी थी । व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण 5.42 करोड़ रुपए की वसूली प्रमाणित नही की जा सकी । 95.67 करोड़ रुपए के लिए मांग के अपलिखित होने की संभावना थी । 936.29 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा उठाये गये विशिष्ट कदमों का विवरण मांगा गया था (मई 1993) जिसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1994)।
2. गन्ने पर क्रय कर (चीनी मिलें)	10.89	8.1	10.89 करोड़ रुपए में से 2.66 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 5.7 करोड़ रुपए की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर

			दी गयी थी । 2.53 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये का निर्दिष्टीकरण विभाग द्वारा मांगा गया था (मई 1993) सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 1994) ।
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	7.94	4.35	7.94 करोड़ रुपए में से 6.09 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 60 लाख रुपए की वसूली न्यायलयों तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी । 7.5 लाख रुपए की एक मांग को हस्तगत जमानत के विरुद्ध समायोजित किया जाना, बताया गया । 117.7 लाख रुपए के सम्बन्ध में निर्दिष्टीकरण विभाग द्वारा मांगा गया (मई 1993), सूचना प्राप्त नहीं हुयी (जनवरी 1994)।
4. मनोरंजन कर	2.56	0.03	2.56 करोड़ रुपए में से 0.09 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 2.37 करोड़ रुपए की वसूली न्यायलयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 1.10 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में निर्दिष्टीकरण विभाग द्वारा मांगा गया था (मई 1993) सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 1994)।
5. विद्युत कर	25.09	कोई नही	25.09 करोड़ रुपए में से एक ही पार्टी से सम्बद्ध 24.94 करोड़ रुपए की मांग को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था ।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि मांगी गयी थी किन्तु प्राप्त नहीं हुई ।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान बिक्रीकर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण से 3,123 मामलों में 94.36 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण / कम आरोपण / राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये । इस वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 1,420 मामलों में 9.66 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिसमें से 2.37 करोड़ रुपए के 208 मामले वर्ष 1992-93 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये और शेष विगत वर्षों से सम्बन्धित थे ।

इस प्रतिवेदन में कर का कम आरोपण, अनारोपण, शुल्क, ब्याज , अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित सन्निहित धनराशि 14.06 करोड़ रुपए की दो समीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए 56 प्रस्तर है । विभाग / सरकार ने 2.40 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है जिसमें से सितम्बर 1993 तक 19.20 लाख रुपए की वसूली कर ली गयी थी । अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

(i) त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, कर के कम आरोपण , शुल्क, फीस आदि पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां और साथ ही लेखापरीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गयी कमियाँ जिनका स्थल पर समाधान न हो सका को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय प्राधिकारियों को संसूचित किया जाता है । अति महत्व पूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है । कार्यालयाध्यक्षों को सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(ii) राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 1992 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या तथा जिनके निस्तारण 30 जून 1992 तक विभागों द्वारा लम्बित रहे, साथ ही पूर्व के दो वर्षों के तद्नुरूपी आकड़ों सहित नीचे दिए गए है :-

	माह जून के अन्त में 1991	1992	1993
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1489	2582	3407
2. अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	3161	6112	8100
3. निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	22.07	109.91	182.77

(iii) लेखा परीक्षा आपत्तियों तथा अनिस्तारित (30 जून 1993 को) निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्षवार विभाजन नीचे दिया गया है -

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया)	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	निहित राजस्व (करोड़ रुपए में)
1988-89 तक	673	1838	20.94
1989-90	368	850	19.02
1990-91	518	1238	56.15
1991-92	1123	2345	45.78
1992-93	725	1829	40.88
योग	3407	8100	182.77

(iv) 30 जून 1993 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग वार विभाजन नीचे दिया गया है :-

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित प्राप्तियां (करोड़ रुपए में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नही हुए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	597	1119	96.31	1981-82 से 1992-93	216
2. बिक्रीकर.	1056	2299	26.09	1983-84 से 1992-93	1801
3. सिंचाई	131	472	14.47	1985-86 से 1992-93	13
4. राज्य आबकारी	290	489	11.66	1984-85 से 1992-93	119
5. भू-राजस्व	279	737	8.17	1984-85 से 1992-93	45
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	137	896	6.17	1984-85 से 1992-93	137
7. लोक निर्माण	115	383	5.85	1984-85 से 1992-93	8
8. गन्ने के क्रय पर कर	68	68	5.40	1981-82 से 1992-93	-
9. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	471	1240	4.66	1984-85 से 1992-93	471

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. अन्य विभाग (क्राप हस्बेन्ड्री, कृषि, विद्युत शुल्क खाद्य एवं रसद, सहकारिता एवं मनोरंजन कर)	263	397	3.99	1985-86 से 1992-93	128
योग	3407	8100	182.77		2938

प्रकरण शासन के मुख्य सचिव के संज्ञान में जुलाई 1993 में लाया गया था अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु शासन द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुयी (जनवरी 1994) ।

अध्याय - 2

बिक्री कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान किए गए बिक्रीकर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 1419 मामलों में 1079.49 लाख रुपए के कर अवनिर्धारण तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	ब्याज /अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	580	597.07
2.	अतिरिक्त कर का न लगाया जाना	93	99.24
3.	अनियमित छूटें	168	93.04
4.	केन्द्रीय बिक्रीकर से सम्बन्धित अनियमितताए	74	79.00
5.	कर की गलत दर का लगाया जाना	238	68.02
6.	माल का गलत वर्गीकरण	58	39.09
7.	कर योग्य विक्रय धन का कर निर्धारण से छूट जाना	50	11.02
8.	गणितीय त्रुटि के कारण अवनिर्धारण	33	4.49
9.	अन्य अनियमितताएँ	125	88.50
	योग	1419	1079.47

वर्ष 1992-93 के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 638 प्रकरणों में निहित 107.07 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें से 63 प्रकरणों में निहित 20.56 लाख रुपए 1992-93 के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए गए थे । कुछ प्रकरणों जिनमें 93.68 लाख रुपए का राजस्व निहित है, दृष्टान्त स्वरुप निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं ।

2.2 केन्द्रीय विक्रीकर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा पत्र "सी" अथवा "डी" से असमर्थित वस्तुओं की विक्री पर 10 प्रतिशत की दर अथवा ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर राज्य के अन्दर लागू दर , जो भी अधिक हो, की दर से कर की गणना की जायगी । न्यायिक रूप से यह प्रतिपादित किया गया* है कि राज्य अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के अन्दर जो कुछ भी कर के रुप में देय है वही केन्द्रीय कर के रूप में भी देय होगा । उत्तर प्रदेश विक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत कर के 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की दर से क्रमशः दिनांक 1 नवम्बर 1985 तथा 1 अगस्त 1990 से अतिरिक्त कर देय है । स्वीकृत रूप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नही किया जाता तो जमा की तिथि तक उक्त कर पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी देय है ।

सारणी में दर्शाए गए 12 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से असमर्थित वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय विक्री के निम्नलिखित मामलों में 10.38 लाख रुपए का कर आरोपणीय था जो कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किए जाने से रह गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त कर के जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी प्रभार्य है ।

क्रम संख्या	सम्बंधित मण्डल	राज्य के बाहर विक्रीत वस्तु	कर निर्धारण वर्ष	निहितकर की धनराशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.(i)	इलाहाबाद	टेलीफोन तथा टेलीफोन पार्टस	1986-87 और 1987-88	.57	उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 1994)
(ii)	"	टेफेन्ड ग्लास तथा लैमिनेटेड ग्लास मिरर्स	1987-88	.33	विभाग ने .33 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है
2.	आगरा	नायलान मोनोफिलामेंट यार्न	1986-87 से 1989-90 तक	.64	उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 1994)

---

* सत्यनारायण स्पिनिंग मिल्स बनाम वाणिज्य कर अधिकारी आंध्र प्रदेश (एस०टी०आई० 1988 सी०एस०टी०ए०डी०-2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	बदायूं	टिम्बर	1987-88 और 1988-89	.40	विभाग ने .40 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है
4.	फिरोजा-बाद	ग्लास वेयर	1985-86 (1नवम्बर 1985 से) तथा 1986-87	.35	उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 1994)
5. (i)	गोरख-पुर	एल्युमिनियम इनगट राड्स तथा शीट्स	1988-89	.57	विभाग ने .57 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है
(ii)	"	टिम्बर	1986-87 से 1987-88	.33	उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 1994)
6(i)	कानपुर	ट्रान्सफार्मर तथा उसके पार्ट्स	1985-86 तथा 1986-87	.54	विभाग ने 1.48 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है
(ii)	"	केमिकल्स	1987-88	.94	
7.	महोबा	मटर, एक अघोषित वस्तु	1989-90	1.64	विभाग ने 1.64 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है
8.	मथुरा	अग्निशमन यन्त्र	1986-87 तथा 1987-88	1.14	उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 1994)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. (i)	मेरठ	ट्रान्सफार्मर तथा उसके पार्टस	1986-87	.61	विभाग ने .61 लाख रुपए की माग सृजित कर दी है
(ii)	"	ट्रैक्टर पार्ट्स तथा संघटक पुर्जे	15 सितम्बर 1990 से मार्च 1991 तक	.51	विभाग ने .55 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है
10.	नोएडा	बिजली के पंखे	1986-87	.60	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)
11.	बदायूं	टिम्बर	अप्रैल 1990 से जुलाई 1990 अगस्त 1990 से मार्च 1991	.48	-- तदैव --
12. (i)	फैजाबाद	स्ट्राबोर्ड	1985-86 से 1987-88	.37	-- तदैव --
(ii)	"	आई.एम.एफ.एल.	1986-87	.36	-- तदैव --
		योग		10.38	

जिन प्रकरणों में मांग सृजित की गई है उनमें वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2.3 कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री/प्रसंस्करण सामग्री के क्रय पर कर में अनियमित छूट/रियायत

अगस्त 1987 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार बेकरी उत्पादों के निर्माता आटा, मैदा और सूजी पूर्ण कर मुक्त तथा अन्य उपभोज्य भण्डार, 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर देकर खरीदने के लिए अधिकृत थे। अग्रेतर नवम्बर, 1990 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन वस्तुओं के निर्माता 30 नवम्बर 1990 से रियायती दर से कर देकर अन्य कच्चा माल तथा पैकिंग सामग्री खरीदने

के लिए अधिकृत थे ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी के अन्तर्गत निर्गत 18 जुलाई 1979 की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार वनस्पति के निर्माता केवल कच्चा माल करमुक्त खरीदने के हकदार थे । अग्रेतर , 29 अगस्त 1987 की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार वनस्पति के निर्माता 1 सितम्बर 1987 से पैकिंग सामग्री भी कर मुक्त खरीदने के लिए प्राधिकृत थे ।

(i) बिक्रीकर के 4 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1990 एवं अगस्त 1992 के मध्य) कि बेकरी उत्पाद तथा लैमिनेटेड जूट बैग्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी को अक्टूबर 1985 से 1988-89 की अवधि के दौरान प्रपत्र 3-ख के घोषणा पत्रों के आधार पर 39.92 लाख रुपए मूल्य का कच्चा माल रियायती दर पर कर देकर क्रय करने हेतु अनियमित रुप से अधिकृत किया गया था जिसके लिए उपर्युक्त विज्ञप्ति के अनुसार इनकी हकदारी नहीं थी। अनियमित रियायती दर का लाभ कर निर्धारण के समय दिया गया । परिणामस्वरुप इससे 2.44 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्रमसं0	मण्डल	कर निर्धारण वर्ष	सामग्री के प्रकार	क्रय के वर्ष	प्रभावित राजस्व (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आजमगढ़	1987-88	पैकिंग सामग्री एवं वनस्पति इसेंस	1987-88	0.32
2.	बरेली	1986-87	वनस्पति रैपिंग पेपर	1986-87	0.38
3.	गाजियाबाद	1988-89	वनस्पति पैकिंग सामग्री	1988-89	0.81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. (i)	कानपुर	1988-89	वनस्पति पैकिंग सामग्री	अक्टूबर 1985 से अगस्त 1987	0.55
(ii)	--तदैव --	1987-88	पालिथीन फिल्म्स	1987-88	0.38
			योग		2.44

उपर्युक्त किसी भी प्रकरण में विभागीय उत्तर (जनवरी 1994) प्राप्त नहीं हुए है।

(ii) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद एवं कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (नवम्बर 1991 एवं नवम्बर 1990) कि वनस्पति के निर्माता व्यापारियों को 39.61 लाख रुपए की पैकिंग सामग्री (टिनशीट्स) और 14 लाख रुपए की प्रसंस्करण सामग्री (निकिल उत्प्रेरक) अनियमित रुप से 17 अगस्त 1987 से 27 अगस्त 1987 के मध्य वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 की अवधि में फार्म 3 ख के विरुद्ध घोषणाओं पर कर मुक्त क्रय हेतु अधिकृत किया गया था। कर मुक्ति केवल 1 सितम्बर 1987 से अनुमन्य थी अतः यह कर मुक्ति अनियमित थी। इसके परिणामस्वरुप इन दो प्रकरणों में 2.30 लाख रुपए (1.18 लाख रुपए + 1.12 लाख रुपए) की राजस्व क्षति हुई।

सम्प्रेक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1991) सहायक आयुक्त, कर निर्धारण, बिक्रीकर, गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि वनस्पति के निर्माताओं द्वारा पैकिंग सामग्री के प्रकरण में टिन शीट्स का कर मुक्त क्रय करना न्यायिक* रुप से नियमानुकूल प्रतिपादित किया गया है। तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है। उद्धृत प्रकरण में प्रान्त बाहर से फार्म "सी" के विरुद्ध माल क्रय किया गया था जब कि इस प्रकरण में फार्म 3- ख के विरुद्ध घोषणाओं से कर मुक्त पैकिंग सामग्री 1 सितम्बर 1987 से पूर्व क्रय करने हेतु अनियमित अधिकृत किए जाने का विन्दु समाहित है।

* सिविल अपील संख्या 1776 आफ 1969 (1993 यू०पी०टी०सी०-641)

प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सामग्री से संबन्धित प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किए गए जिनके उत्तर अभी (जनवरी 1994) प्राप्त नहीं हुए हैं ।

2.4 कच्चे माल का दुरुपयोग करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 4 ख (5) में प्रावधान है कि यदि कच्चे माल का उस प्रयोजन से जिसका उल्लेख निर्माता के मान्यता प्रमाण पत्र में किया गया है, अन्यथा प्रयोग किया जाता है तो वह ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रुप में भुगतान करने का दायी होगा जो उसके द्वारा प्राप्त कर में छूट की धनराशि से कम न हो परन्तु ऐसी छूट के तीन गुने से अधिक न हो । अपवंचित कर की वसूली हेतु कोई पृथक प्रावधान नहीं है ।

निम्नलिखत 4 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मान्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित माल के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के निर्माण के कारण कम से कम 4.57 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपणीय था लेकिन कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अंतिम कर निर्धारण करते समय आरोपित नहीं किया गया :-

क्रम सं0	सम्बन्धित मण्डल	जारी मान्यता प्रमाण पत्र	निर्मित माल	कर निर्धारण वर्ष	भ्रिहित कर की धनराशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गाजिया-बाद	आयरन फोर्जिग	मशीन एवं पेण्टेड फोर्जिग	1989-90	2.32	विभाग द्वारा 4.20 लाख रुपए तक अर्थदण्ड आरोपित
2.	कानपुर	फोर्जिग एवं ट्रैक्टर पार्ट्स	मशीनरी	1984-85	0.98	विभाग द्वारा 2.93 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	-तदैव-	टिनकन्टेनर्स	टिन कम्पोनेन्ट (कट एवं साइज्ड टिन प्लेटस)	1986-87	0.81	विभाग द्वारा 70,000 रुपए अर्थदण्ड आरोपित
4.	मेरठ	स्पोर्ट्स गुड्स	रबर सल्यूशन	1987-88	0.46	विभाग द्वारा 92,580 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित
				योग	4.57	

2.5 क्रय कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ऐसी वस्तु जिस पर उपभोक्ता को की गई बिक्री के बिन्दु पर कर देय है, जब किसी व्यापारी को बेची जाती है, परन्तु अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा बिक्री कर देय नहीं होता है और क्रेता व्यापारी उस वस्तु को उसी रुप एवं अवस्था में, जिसमें उसने उसे क्रय किया था राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान पुनर्बिक्री नहीं करता है तो क्रेता व्यापारी उक्त क्रय पर उसी दर से क्रय कर भुगतान करने का देनदार होगा जिस दर पर वह वस्तु उपभोक्ता को बिक्री के विन्दु पर प्रान्त के अन्दर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान कर योग्य है । 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी देय है।

दो विक्रीकर मण्डलों की लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी एवं मई 1992) कि व्यापारियों पर कर 8.8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर सम्मिलित करते हुए आरोपित नहीं किया गया जब कि उन्होंने खरीदी वस्तु की बिक्री उसी रुप एवं अवस्था में नहीं की जिसमें उन्होंने क्रय किया था । परिणाम स्वरुप 2.12 लाख रुपए क्रय कर लगाए जाने से रह गया । 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय है। विवरण नीचे प्रदर्शित है :-

क्रम सं	मण्डल के नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	बिक्रय धन की धनराशि (लाख रु0 में)	कर की धनराशि (लाख रु0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कानपुर	1987-88 एवं 1989-90	मोबिल आयल	14.21	1.25
2.	ऋषिकेश	1987-88 एवं 1988-89	पुराने एवं निष्प्रयोज्य प्लास्टिक जूते तथा चप्पल	9.94	0.87
				योग	2.12

मामले विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 एवं दिसम्बर 1992 के मध्य प्रतिवेदित किए गए थे पर उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994)।

2.6 अर्थदण्ड का अनारोपण

(क) प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत

(i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत प्रान्त के बाहर से सामान आयात करने के लिए इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से घोषणा प्रपत्र XXXI प्राप्त करेगा। यदि इस प्रकार का सामान राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से लाया जाता है तो वाहन का प्रभारी व्यक्ति जांच चौकी पार करने के पहले घोषणा प्रपत्र XXXI की एक प्रति जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को देगा और यदि इस प्रकार के सामान रेल, नदी, वायुयान या डाक द्वारा प्रेषित किये जाते हैं तो आयातकर्ता तब तक उनका परिदान (डिलवरी) प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह कर निर्धारण अधिकारी को अपने द्वारा विधिवत भरे गए तथा हस्ताक्षरित घोषणा, दो

प्रतियों में पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर देता । इन प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी निदेशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति देय कर के अतिरिक्त आयातित माल के मूल्य की 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि का अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा।

छ: मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 6 मामलों में व्यापारियों द्वारा बिना प्रपत्र XXXI के 53.77 लाख रुपए का सामान राज्य के अन्दर 1984-85 एवं 1988-89 के मध्य में आयात किया गया । अत: व्यापारियों पर 21.51 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

क्रमसं0	सम्बन्धित मण्डल	आयातित वस्तु	आयातित वस्तु का मूल्य (लाख रुपए में)	कर निर्धारण वर्ष	अर्थदण्ड की निहित अधिकतम धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	इलाहाबाद	कोयला	13.00	1985-86	5.20
2.	फिरोजाबाद	"	2.92	1984-85	1.17
3.	गोरखपुर	"	17.02	1985-86	6.81
4.	हाथरस	काटन	15.00	1987-88	6.00
5.	लखनऊ	रैपर	1.17	1985-86	0.47
6.	नैनीताल	घड़ियों के स्पेयर पार्ट्स	4.66	1988-89	1.86
		योग	53.77		21.51

लेखा परीक्षा में विभाग को इसके इंगित किए जाने पर (जनवरी 1990 तथा सितम्बर 1992 के मध्य) विभाग ने सभी 6 मामलों में 18.88 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (फरवरी 1993)।

मामलों को शासन को नवम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यदि व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत विधिक रूप से देय क्रय कर अथवा विक्री कर की धनराशि से अधिक धनराशि वसूल करता है तो वह अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि (देय कर के अतिरिक्त) के भुगतान करने का दायी होगा जो वसूल किए गए कर, जो विधिक रूप से देय नहीं था अथवा देय कर से अधिक वसूल किए गए कर की धनराशि से कम नहीं, किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

बिक्रीकर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1990) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान ब्लेड, प्रेशर कुकर तथा कन्फेक्शनरी की बिक्री पर विधिक रूप से देय कर की धनराशि से 76,093 रुपए अधिक वसूल किया। अतः वह 76,093 रुपए न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1990) विभाग ने बताया (जून 1992) कि 76,093 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1994)।

मामला सरकार को जनवरी 1990 एवं सितम्बर 1992 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रात नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

(ख) केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी कोई सामान मिथ्या रूप से निरुपित करते हुए कि ऐसा सामान उसके पंजीयन प्रमाण पत्र से आवृत्त है, कर की रियायती दर पर राज्य के बाहर से क्रय करता है अथवा कर की रियायती दर पर राज्य के बाहर से क्रय किए हुए सामान का प्रयोग, उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए पंजीयन स्वीकृत किया गया था, अन्यथा करता है तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसे सामान के विक्रय पर देय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

आठ जिलों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि 14 मामलों में व्यापारियों

ने 82.98 लाख रुपए का सामान जो उनके पंजीयन सर्टिफिकेट से अन्यथा थे , क्रय किया था। अतः 12.64 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आरोपित किए जाने से रह गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

क्रम सं०	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	आयातित माल	आयातित माल का मूल्य (लाख रुपए में)	अर्थदण्ड की निहित धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	इलाहाबाद	1985-86	प्रिन्टेड टेप्स, आल्टर सैटर तथा एल्युमिनियम क्वायल्स	3.54	0.53
2.	बस्ती	1985-86 तथा 1986-87	रबर एप्रन, रबर कोन, पेपर ट्यूब स्विचेज, कार्ड क्लोथिंग, सिंथेटिक थ्रेड टेप, बास्केट ट्रे, विद्युत का सामान, फिल्म प्रोजेक्टर, टेक्नोमीटर, तेल, तार तथा प्लास्टिक कोन	5.64	0.85
3.	गाजीपुर	1986-87	गनी बैग्स, केमिकल्स, सलफर तथा विद्युत का सामान	11.82	1.80
4.(i)	झांसी	1985-86	जनरेटर, सीमेन्ट तथा स्टीकर	2.60	0.39
(ii)	"	1986-87 तथा 1987-88	रेनकोट, फोम शीट, लैम्प कवर, ग्राइन्डर, काटन डक रबर माडेल ट्रान्जिस्टर तथा स्टेबिलाइजर्स	7.44	1.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.(i)	कानपुर	1985-86	पालीथीन फिल्म्स आफ इडिबिल ग्राउन्ड नट फ्लोर	3.01	0.45
(ii)	"	1985-86 तथा 1986-87	टूल्स तथा इन्स्ट्रुमेन्ट्स	5.83	0.87
(iii).	"	1986-87	फिनाइल तथा एल्युमिनियम शीट्स	9.48	1.42
(iv)	"	1987-88	टेल्कम, नीम का तेल, पैकिंग सामग्री तथा कास्टिक सोडा	5.91	0.89
6. (i)	लखनऊ	1984-85 से 1986-87 तक	प्लास्टिक के पाइप, बेल्डिंग इकुपमेन्ट्स, लेदर वाशर तथा प्लेट्स	5.13	0.77
(ii)	"	1987-88	डीजल जनरेटिंग सेट (विद्युत का सामान)	4.17	0.75
7.	सहारन-पुर	1985-86 तथा 1986-87	प्रिन्टिग का सामान इंक तथा वार्निश	7.04	1.08
8.(i)	वाराणसी	अप्रैल 84 से जून 84 तक	दवाएँ	7.57	1.13
(ii)	वाराणसी स्थित गोपीगंज	1986-87 तथा 1987-88	पेन्ट,पाइप तथा पाइप फिटिंग्स, हार्डवेयर तथा चूना आदि	3.80	0.59
			योग	82.98	12.64

लेखा परीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (मई 1990 से मई 1992 के मध्य) सभी 14 मामलों में 12.21 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी गई है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं (जनवरी 1994) ।

2.7 अनियमित छूट दिया जाना

(क) उत्तर प्रदेश विक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जो वस्तुएँ अन्यथा वर्गीकृत नहीं है, उनकी विक्री पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । स्वीकृत कर यदि देय तिथि तक जमा न किया जाय तो उस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय है ।

विक्रीकर मण्डल, लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (जनवरी 1990) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 के दौरान 59.42 लाख रुपए मूल्य का पुष्टाहार बेचा लेकिन इसकी विक्री पर कर आरोपित नहीं किया गया । चूंकि पुष्टाहार अन्यथा वर्गीकृत नहीं था, अतः इसकी विक्री पर 8.8 प्रतिशत की दर से (अतिरिक्त कर सहित) कर आरोपणीय था । अनियमित छूट के कारण 5.23 लाख रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ । कर स्वीकृत रुप से देय होने के कारण इस पर जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी आरोपणीय रहा ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 1990) विभाग ने फरवरी 1992 में 5.23 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी तथा 1 अक्टूबर 1986 से कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज जमा करने हेतु मागं पत्र जारी कर दिया । वसूली की सूचना प्राप्त नही हुई है ।

मामले को विभाग तथा शासन को जुलाई 1993 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

(ख) शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी 1985 के अनुसार कैन्टीन स्टोर विभाग/मिलीट्री कैन्टीन को की गई बिक्री पर जैसी भी स्थिति हो, खरीद और बिक्री पर, वस्तुओं के सम्बन्ध में, ऐसी वस्तुओं के अतिरिक्त जो सूची में दी गई है, कोई कर देय नहीं होगा । ये वस्तुएँ ऐसे अधिकारी जो कमान अधिकारी के पद के नीचे का न हो के द्वारा प्रमाणित हो कि यह भारतीय सेना/अन्य रक्षा संस्थानों के सदस्यों को बिक्री किए जाने हेतु है ।

बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1991) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1986-87 में कैण्टीन को 25.82 लाख रुपए मूल्य की वस्तुओं की बिक्री घोषित की गई, जिसमें 11.18 लाख रुपए मूल्य के हॉट गैस प्लेट्स की बिक्री भी सम्मिलित थी, जो कैण्टीन स्टोर विभाग/ मिलिट्री कैन्टीन को न कर, अन्य व्यापारियों को की गई थी । कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी द्वारा घोषित आवर्त को स्वीकार किया परन्तु इन वस्तुओं की बिक्री पर कोई कर आरोपित नहीं किया । कैन्टीन स्टोर विभाग/ मिलिट्री कैन्टीन के अतिरिक्त अन्य व्यापारियों को की गई बिक्री पर अनियमित कर मुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप 98,385 रुपए के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

लेखा परीक्षा (सितम्बर 1991) में इस त्रुटि को इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1992) कि 98,385 रुपए का कर आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1994)।

मामला शासन को मार्च 1993 में प्रतिवेदित किया गया था : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

(ग) विभाग द्वारा जुलाई 1988 में जारी किए गये निर्देशों के अनुसार ऐसी इकाइयां जो 1 अक्टूबर 1982 को या उसके बाद स्थापित हुई हैं, केवल उन्हीं वस्तुओं की कर मुक्ति बिक्री हेतु अधिकृत थीं जो उनके पात्रता प्रमाण पत्र में सम्मिलित थीं ।

बिक्रीकर मण्डल, मेरठ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1992) कि एक व्यापारी के मामले में जिसको केवल साइकिल ट्यूब के निर्माण हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था , कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय (नवम्बर 1991), अप्रैल से 21 सितम्बर 1988 तक की अवधि में व्यापारी द्वारा 68 लाख रुपए के मूल्य के टायर की बिक्री 5.98 लाख रुपए का कर आरोपित नहीं किया गया तथा साथ ही टायर के सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यापारी को 15 मार्च 1992 तक का समय इस तर्क पर प्रदान किया गया कि चूंकि व्यापारी को पूर्व में ही ट्यूब के निमार्ण हेतु पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया है, इस लिये टायर के लिए सुविधा न दिया जाना न्याय संगत नहीं होगा । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को अभिलेखों में संशोधन कराने तथा टायर के निर्माण हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह दी गई । चूंकि व्यापारी के पात्रता प्रमाण पत्र में टायर अंकित नहीं किया गया था, अत: कार्यवाही अनियमित थी एवं कर निर्धारण की तिथि तक उनकी बिक्री पर कर से छूट अनुमन्य नहीं थी ।

लेखा परीक्षा (सितम्बर 1992) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने मार्च 1993 में 5.98 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी । चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था, इसलिए व्यापारी जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भी दायी था जो लेखा परीक्षा (अगस्त 1992) तिथि तक 6.68 लाख रुपए आगणित होता था, आरोपित नहीं किया गया था ।

मामला विभाग तथा शासन को जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

2.8 गलत दर से कर का लगाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अनुसार 7 सितम्बर 1981 से उन वस्तुओं की बिक्री पर जो अन्य कहीं वर्गीकृत नहीं हैं, 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । सकल बिक्रय धन की धनराशि को बिना ध्यान में रखे दिनांक 1 नवम्बर 1985 से देय कर पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त स्वीकृत रुप से देय कर , यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया गया है, पर जमा होने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

सात बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1991 तथा अक्टूबर 1992 के मध्य) कि 1984-85 तथा 1988-89 के मध्य, व्यापारियों द्वारा 414.63 लाख रुपए के मूल्य की वस्तुओं को बेचा गया, जिस पर अतिरिक्त कर सहित 5.5 से 13.2 प्रतिशत तक की दर आरोपणीय कर के स्थान पर 2.2 से 8.8 प्रतिशत की दर से कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर आरोपित किया गया था । गलत दर से कर आरोपित होने के परिणामस्वरुप 18.73 लाख रुपए का कम कर आरोपित हुआ, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है । चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था, अतः जमा होने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी आरोपणीय था ।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	वस्तु का नाम	कर निर्धारण वर्ष	करयोग्य विक्रय धन (लाख रुपए में)	अतिरिक्त कर सहित कर की सही दर जो लगाई जानी थी	अतिरिक्त कर सहित कर की दर जो लगाई गई थी	कम आरोपित कर की धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.(i)	कानपुर	कापर वायर राडस्	1987-88	237	8.8%	2.2%	15.64

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(ii)	"	एसिड आयल	1987-88	70.12	5.5%	4.4%	0.77
2.	अल्मोड़ा	बिरोजा	1987-88 तथा 1988-89	18.74	13.2%	8.8%	0.82
3.	वाराणसी	खाद्य तेल	1986-87	40	5.5%	4.4	0.44
4.	जौनपुर	सूखेमेवे	1984-85	18	8.4%	6.3%	0.38
5.	इलाहाबाद	कारोगेटेड बाक्स	1986-87 तथा 1987-88	14.5	8.8%	6.0%	0.32
6.	लखनऊ	चलनी	1985-86 तथा 1986-87	16.27	8.8%	6.6%	0.36
						योग	18.73

ये मामले विभाग तथा शासन को मई 1992 तथा दिसम्बर 1992 के मध्य प्रतिवेदित किए गये थे : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

2.9 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

(i) उत्तर प्रदेश विक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 3 ख के अनुसार मिथ्या या गलत घोषणा प्रपत्रों के जारी करने के कारण यदि माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर देय नहीं रह जाता है तो व्यापारी ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो उसने कच्चे माल की खरीद पर कर के अनुतोष के रुप में प्राप्त किया था । इसके अतिरिक्त वह न्यूनतम अर्थदण्ड जो बचाए गये कर के 50 प्रतिशत से कम न हो का भी देनदार था ।

विक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च तथा जून 1992) कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 की अवधि में फुटवियर तथा बेकरी प्रोडक्ट्स के

निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र में दर्शित वस्तुओं के अतिरिक्त रियायती दर के घोषणा प्रपत्र 3- ख द्वारा 8.73 लाख रुपए मूल्य के माल की खरीद को स्वीकार किया गया था । घोषणा प्रपत्र के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप 66,106 रुपए का कम कर आरोपित हुआ जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम जिसके निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र स्वीकार किया गया था	अनियमितता की प्रकृति	कच्चे माल की खरीद में अन्तर्ग्रस्त धनराशि (लाख रुपए में)	आरोपणीय धनराशि	विशेष कथन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	कानपुर	1988-89	फुटवियर	कच्चे माल के रूप में लेदर बोर्ड तथा रेग माल की कर मुक्त अनियमित खरीद	3.02	0.33	विभाग ने 32,879 रुपए का कर आरोपित किया
(ii)	-उक्त-	1987-	बेकरी की वस्तुयें	रियायती दर पर बनस्पति, पैकिंग मैटीरियल, केमीकल्स तथा एसेंस की खरीद	5.71	0.33	विभाग द्वारा 33220 रुपए का कर आरोपित किया गया
				योग	8.73	0.66	

2.10 कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत चीनी की बिक्री पर कर मुक्ति दी गई है । यह न्यायिक रूप से निर्णीत * है कि चीनी की एक विशेष प्रकार के गनी बैग्स में पैकिंग तथा बिक्री की जाती है, जिसकी कीमत चीनी की कीमत में सम्मिलित रहती है अतः गनी बैग्स की बिक्री पर कर आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल , मेरठ की लेखा परीक्षा के दौरान (दिसम्बर 1991) यह देखा गया कि वर्ष 1987-88 में एक व्यापारी द्वारा 19.82 लाख रुपए के मूल्य की चीनी का सकल विक्रय धन घोषित करते समय 2.60 लाख रुपए के गनी बैग्स की कीमत अलग से दिखाई गई थी । गनी बैग्स की प्रान्तीय तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर आरोपित नहीं किया गया था, क्योंकि चीनी की बिक्री कर मुक्त है । अतः व्यापारी 12.23 लाख रुपए मूल्य के गनी बैग्स की प्रान्तीय बिक्री पर 6.6 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से 80,731 रुपए तथा 7.59 लाख रुपए मूल्य के गनी बैग्स की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर घोषणा प्रपत्र "सी" से अनाच्छादित होने के कारण 10 प्रतिशत की दर से 75,880 रुपए के कर का देनदार था । इसके परिणामस्वरुप कुल 1.57 लाख रुपए का कर आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 1992) विभाग ने फरवरी 1993 में बताया कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है तथा 1.57 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । चूंकि कर स्वीकृत रूप से देय था ; अतः 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

मामले को मार्च 1992 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

---

* मेसर्स छाता शुगर कं० लि० जिला मथुरा बनाम बिक्रीकर आयुक्त, उ० प्र० (एस०टी०आई० 1991, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

2.11 अशुद्ध गणना के कारण कम कर का आरोपित होना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 6 जून 1985 से सीमेन्ट की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 7 सितम्बर 1981 से काटन की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त दिनाकं 1 नवम्बर 1985 से , अघोषित वस्तुओं पर, कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । स्वीकृत रुप से देय कर पर, यदि नियत तिथि तक जमा नहीं है, जमा होने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

दो बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1992 और सितम्बर 1992) कि कर योग्य विक्रय धन की अशुद्ध गणना करने के परिणामस्वरुप 1.39 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ था। विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर योग्य विक्रय धन	कर आरोपणीय	कर आरोपित	अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि	विशेष कथन
				--(लाख रुपये में)--			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ललितपुर	1987-88	85.18	9.37	8.37	1.00	विभाग ने 1 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी है
2.	कानपुर	1987-88	10.75	0.43	0.04	0.39	विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।
		योग	95.93	9.80	8.41	1.39	

मामले शासन को नवम्बर 1992 और 1993 में प्रतिवेदित किये गये थे : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

2.12 गलत वर्गीकरण के कारण कम कर आरोपित होना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत क्राकरी, कटलरी, चाइनावेयर्स तथा स्टोन ग्लेजवेयर की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से तथा " चक्की का पत्थर" की बिक्री पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था । इसके अलावा दिनांक 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था । स्वीकृत रुप से देय कर पर यदि नियत तिथि तक नहीं जमा किया गया, 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

तीन बिक्रीकर मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि गलत वर्गीकरण के कारण पार्सलीन के बर्तनों तथा चक्की के पत्थर की बिक्री पर या तो कर मुक्ति दी गई या कम कर आरोपित किया गया था , विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	बिक्री की गयी वस्तु का नाम	अनियमितता की प्रकृति	कर योग्य टर्न ओवर (लाख रुपए में)	आरोपित होने वाले कर की दर (अतिरिक्त कर सहित)	आरोपित की गयी कर की दर (अतिरिक्त कर सहित)	कम आरोपित कर की धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	मुगलसराय	1987-88	पोर्सलीन के बर्तन	चीनी मिट्टी के बर्तन मानते हुए इन्हें कर मुक्त किया गया ।	3.97	11%	करमुक्त	0.44
2.	गाजियाबाद	1987-88 एवं 1988-89	चक्की का पत्थर	इन्हें मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स के रुप में गलत वर्गीकृत किया गया	28.95	8.8%	5.5%	0.95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	कानपुर	1988-89	उक्त	उक्त	94.85	8.8%	5.5%	0.49
							योग	1.88

मामले शासन तथा विभाग को फरवरी 1992 से मार्च 1993 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

2.13 कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दालों को सम्मिलित कर के खाद्यान्न (फूड ग्रेन) की खरीद पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से क्रेता के प्रथम बिन्दु पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यापारी द्वारा की गयी प्रत्येक खरीद, चाहे सीधे अथवा दूसरे व्यापारी के माध्यम से की गयी हो, चाहे अपने निजी खाते में अथवा किसी अन्य के खाते में की गयी हो, प्रथम खरीद मानी जायेगी : जब तक की व्यापारी द्वारा अधिनियम के द्वारा निर्धारित समय के अन्दर विक्रेता व्यापारी से प्रपत्र 3 ग में घोषणा प्रपत्र या प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करके अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाय । नियत समय के अन्दर कर के जमा न होने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होगा ।

बिक्रीकर मण्डल लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1991) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान 1.14 करोड़ रुपए के मूल्य के गेहूं की खरीद की गयी थी । इसमें से 13.48 लाख रुपए के गेहूं की खरीद पर कर आरोपित नहीं किया गया था, जब कि यह निर्धारित प्रपत्र 3 ग में प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं था। इसके परिणामस्वरुप 53,945 रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ । चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था, अतः जमा होने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखा परीक्षा में चूक को इंगित करने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1992) कि 53,945 रुपए का कर आरोपित कर दिया गया है । इसकी वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1994)।

मामला शासन को अक्टूबर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)।

अध्याय - 3

राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान की गई लेखा-परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा तथा प्रासंगिक अभिलेखों की जांच -परीक्षा से 2,737 लाख रुपए धनराशि की शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 182 मामले सामने आए, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	अतिशय पारेषण/भंडारण छीजन	18	19.30
2.	निर्यात पास-फीस का कम आरोपण	7	12.76
3.	ब्याज का अनारोपण	18	10.40
4.	समझौता शुल्कों/अर्थदण्डों का अनारोपण	19	6.75
5.	देशी शराब की न्यूनतम गारंटीड मात्रा (एम.जी.क्यू.) का अयुक्त निर्धारण	1	2308.40
6.	न्यूनतम निर्धारित उत्पादन का बरकरार न रखना	1	132.71
7.	अन्य अनियमितताए	118	246.68
	योग	182	2737.00

वर्ष 1992-93 की अवधि के दौरान संबंधित विभाग ने 95.52 लाख रुपए से संबंधित अवनिर्धारण आदि के 150 मामले स्वीकार किए, जिनमें से 17.65 लाख रुपए से संबंधित 24 मामले लेखा-परीक्षा में, वर्ष 1992-93 के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्व-वर्ती वर्षों में। 99.26 लाख रुपए से संबंधित कुछ एक निदर्शी मामलों का उल्लेख निम्न प्रस्तरों में किया गया है ।

3.2 नियमों का अनुपालन न करने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञापियों (लाइसेंसियों) को बोली की रकम का 25 प्रतिशत जमानत के रुप में जमा करना आवश्यक है । बोली की रकम का आठवां भाग, बोली तोड़े जाने पर नकद रुप में नीलामी के दौरान ही अदा किया जाना होता है और बाद में दस दिनों के भीतर चौबीसवां भाग नकद रुप में और अवशेष बारहवां भाग या तो नकद या बैंक गारंटी सावधि जमा रसीद के रुप में । लाइसेंसी को उसके बाद, सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए लाइसेंस - शुल्क प्रत्येक माह की 20 तारीख तक जमा होने वाली 12 मासिक किस्तों में अदा करना होता है। अदा न की गई पूरी अथवा अधूरी मासिक किस्त की घटी हुई रकम जमानती जमा से समायोजित कर ली जाती है और अगर उसे दस दिन के भीतर पूरा न किया जाए तो लाइसेंस रद्द करके उसे नए सिरे से व्यवस्थापित करना पड़ता है और इससे यदि कोई नुकसान, दूकान (दूकानों) की दोबारा नीलामी के कारण होता है तो वह बची हुई जमानत तथा अवशेष से, यदि हो, भू-राजस्व के बकाए के रुप में वसूल किया जा सकता है । जमानती जमा, जब तक कि उसे जब्त न कर लिया गया हो, यदि लाइसेंसी द्वारा समस्त आबकारी बकायों का हिसाब साफ कर दिया जाता है, आबकारी वर्ष (वित्तीय वर्ष) की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व वापस कर दिया जाता है। यह सब होते हुए , सावधि जमा रसीद पर अर्जित होने वाली ब्याज की धनराशि सरकार के हिस्से में होगी ।

(i) जिला आबकारी कार्यालय , प्रतापगढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान,जानकारी में आया (नवम्बर 1991) कि जिले केसगरा सुन्दरपुर समूह की देशी शराब की 10 दूकानें 63.46 लाख रुपए की सब से ऊँची बोली पर उठाई गई थीं (मार्च 1991) । 15.87लाख रुपए की कुल मांग के विरुद्ध लाइसेंसियों ने जमानती जमा के रुप में 15.79 लाख रुपए जमा किए, जिनमें 4.71 लाख रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र के रुप में शामिल थे जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम बन्धक नहीं थे और इस लिए नियमों के अन्तर्गत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं थे । 5.29 लाख रुपए के विरुद्ध 17 व 18 मई 1991 को केवल 33,800 रुपए अदा करके लाइसेंसियों ने अप्रैल 1991 की किस्त जमा करने में नियम-चूक की। विभाग ने लाइसेंस रद्द कर दिया (15 मई 1991) और दूकानें 25 मई 1991 से 30 सितम्बर 1991 तक केवल 18.43 लाख रुपए की आमदनी करते हुए दैनिक आधार पर चलाई गई। 30 सितम्बर 1991 को दूकानें दोबारा नीलाम पर चढ़ायी गयी, और 28.25 लाख रुपए की बोली पर उठा दी गई। इस प्रकार 63.46 लाख रुपए के विरुद्ध विभाग को 58.10 लाख रुपए प्राप्त हुए। विभाग ने नियम-चूक करने वाले लाइसेंसियों से, 5.86 लाख रुपए की घाटारकम, भू-राजस्व के बकायों के रुपए वसूल करने की कोई कार्रवाई नहीं की । इससे बढ़कर, अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम बन्धक करवाए बगैर 4.71 लाख रुपए के राष्ट्रीय बचत-पत्रों को गलत तौर से स्वीकार करने के अलावा विभाग द्वारा दूकानों की दोबारा नीलामी में भी विलम्ब किया गया ।

लेखा-परीक्षा में, इसे सुझाए जाने पर (मार्च 1993), जिला आबकारी अधिकारी ने बताया (मार्च 1993) कि जिला आबकारी अधिकारी के नाम बन्धक रखवाए गए 58,000 रुपए

धनराशि वाले 9 राष्ट्रीय बचत-पत्र रोक लिए गए हैं और बन्धक नहीं रखवाए गए। शेष राष्ट्रीय बचत पत्र आबकारी आयुक्त के आदेशों के तहत संबंधित व्यक्तियों को लौटा दिए गए हैं और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है ।

मामले की सूचना, विभाग तथा शासन को जून 1992 में दी गई थी; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

(ii) 23 फरवरी 1989 को हुए सार्वजनिक नीलाम में, विभाग ने लखनऊ जिले की विदेशी शराब की दुकानें वर्ष 1989-90 के लिए सात समूहों में 7.25 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली पर व्यवस्थापित कीं । इस व्यवस्थापन को , माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्ड पीठ) ने अपने आदेश दिनांक 27 अप्रैल 1989 द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया कि लाइसेंसियों ने जमानती अग्रिम की धनराशि समय से जमा नहीं की थी । माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार दूकानों की नीलामी दोबारा करवाई जाए । फिर भी दूकानें 4 मई 1989 से दैनिक आधार पर चलाई गईं और बाद में 7 अगस्त 1989 को दोबारा नीलामी पर चढ़ाई गईं। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से 27 सितम्बर 1989 को दूकानें, उच्चतम बोली (4.54 करोड़ रुपए) बोलने वाले को हस्तान्तरित कर दी गईं । वर्ष की समाप्ति पर, इन दूकानों से प्राप्त किया गया राजस्व, बोली की रकम 4.54 करोड़ रुपए के विरुद्ध 4.47 करोड़ रुपए था । इसके परिणामस्वरुप 7.12 लाख रुपए की धनराशि की राजस्व - हानि हुई ।

मामले की सूचना, विभाग और शासन को जनवरी 1993 में दी गई । उनके उत्तर प्रात नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

(iii) निम्नलिखित दो मामलों में लाइसेंसियों द्वारा जमानती जमा के स्थान पर जमा की गई सावधि जमा रसीदों पर अर्जित ब्याज सावधि जमा रसीदों को उनके पक्ष में मुक्त करते समय, वसूल नहीं किया गया ।

क्रम संख्या	जि0आ0अ0 का नाम	सावधि जमा रसीद की की धनराशि (लाख रुपए में)	वर्ष	प्रभार्य ब्याज दर	अर्जित ब्याज की धनराशि (लाख रुपए में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर	9.97	1991-92	@9%	0.75	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	जिला आबकारी अधिकारी जौनपुर	6.14	1991-92	@9%	0.55	-तदैव-
			योग		1.30	

3.3 निर्यात सीमा शुल्क की गलत दर लगाए जाने के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा आबकारी शुल्क कें आरोपण के उद्देश्य से उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शराब को या तो देशी शराब या फिर भारत में तैयार विदेशी शराब (आई0एम0एफ0एल0) के नाम से वर्गीकृत किया जाता है । देशी शराब की श्रेणी में आने वाली, आसवन के द्वारा प्राप्त शराब सादी स्पिरिट अथवा आउट स्टिल शराब हो सकती है और आई0एम0एफ0एल0 श्रेणी में आने वाली शराब परिशोधित स्पिरिट हो सकती है । 60^0 ओ0पी0 (91.27 प्रतिशत आयतन से आयतन) से कम शक्ति रखने वाली स्पिरिट , सादी स्पिरिट कहलाती है और 60^0 ओ0पी0 अधिक शक्ति वाली परिशोधित स्पिरिट । 60^0 ओ0पी0 से कम शक्ति वाली सादी स्पिरिट , चाहे वह शीरे के आसवन से प्राप्त की जाती हो या माल्ट, अंगूर तथा सेब से , आबकारी शुल्क लगानें के उद्देश्य से , देशी शराब की श्रेणी में आती है । राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर 1989 तथा 25 मार्च 1991 की विज्ञप्तियों के द्वारा देशी शराब और आई0 एम0एफ0एल0 के निर्यात पर सीमा शुल्क की दरें क्रमशः 7 रुपए तथा 2.50 /3 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) निर्धारित की।

(i) यह बात जानकारी में आई (मई 1992) कि रोजा (शाहजहांपुर) की एक आसवनी ने 15 मार्च 1991 से 29 फरवरी 1992 की अवधि के दौरान 60^0 ओ0पी0 से कम (56.7 प्रतिशत आयतन से आयतन से लेकर 61.0 प्रतिशत आयतन से आयतन तक) शक्ति की 68,217 ए0 एल0 सादी स्पिरिट राज्य से बाहर निर्यात की, जिसे हाई ब्यूक स्पिरिट का नाम दिया गया था और जो देशी शराब की श्रेणी में आती है । उपर्युक्त स्पिरिट के निर्यात पर निर्यात सीमा-शुल्क 7 रुपए प्रति ए0 एल0 की सही दर के विरुद्ध 2.50 रुपए तथा 3.00 रुपए प्रति ए0 एल की दर से वसूल किया गया था । इससे 2.90 लाख रुपए की राजस्व हानि का परिणाम सामने आया ।

मामले की सूचना विभाग तथा शासन को सितम्बर 1992 में दी गई थी; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

(ii) यह देखा गया (मार्च 1992) कि सहारनपुर स्थित एक आसवनी ने मई 1990 और फरवरी 1992 के मध्य 60^0 ओ0पी0 से कम शक्ति की (57.6 प्रतिशत आयतन से लेकर 63.2 प्रतिशत आयतन से आयतन) माल्ट से तैयार 1,20,756.6 ए0 एल0 सादी स्पिरिट का निर्यात राज्य से बाहर किया जो देशी शराब की श्रेणी में आती है । वास्तविक रूप में 2.50/3 रुपए प्रति ए0एल0 की दर से आरोपित किए जाने के बजाए निर्यात सीमा-शुल्क 7 रुपए प्रति ए0एल0 की दर से

आरोपित किया जाना था। इसकी परिणति सीमा शुल्क की 5.09 लाख रुपए तक की कम वसूली में हुई।

मामले की सूचना विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1992 में दी गई थी; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994)।

3.4 गलत दर लगाए जाने के कारण परिशोधित स्पिरिट के निर्यात पर निर्यात पास फीस की कम वसूली

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम,1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत 60^{0} ओ०पी० (91.27 प्रतिशत आयतन) तथा उससे ऊपर की सान्द्रता रखने वाली स्पिरिट को परिशोधित स्पिरिट का नाम दिया गया है। यह स्पिरिट मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। पेय उपयोग हेतु परिशोधित स्पिरिट के निर्यात पर निर्यात शुल्क के बजाय निर्यात पास फीस आरोपणीय है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 1989 की अधिसूचना द्वारा पेय उपयोग हेतु परिशोधित स्पिरिट के निर्यात पर 4 रुपए प्रति बल्क लीटर की दर से निर्यात पास फीस निर्धारित किया। मार्च 1991 की अधिसूचना द्वारा यह दर पुनरीक्षित करके 5 रुपए प्रति बल्क लीटर कर दी गई थी। 23 मार्च 1992 की अधिसूचना द्वारा दर पुनः बढ़ाकर 6 रुपए पर पहुंचा दी गई थी।

तीन आसवनियों में यह देखा गया (मार्च 1992 तथा अगस्त 1992) कि एक प्रकरण में निर्यात पास फीस के स्थान पर निर्यात शुल्क वसूल किया गया था जब कि अन्य दो मामलों में निर्यात पास फीस त्रुटिपूर्ण दरों पर वसूल किया गया था जिसके फलस्वरूप 3.76 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे वर्णित है :-

क्रम संख्या	आसवनी तथा जनपद का नाम	सम्बन्धित वर्ष	निर्यातित परिशोधित स्पिरट की मात्रा (बल्क लीटर में)	निर्यात करने की अवधि	प्रतिवल्क लीटर निर्यात पास फीस की सही दर	अनियमितता की प्रकृति	लगाई गई दर प्रति ए.एल.*/बी.एल.** तथा मात्रा ए० एल० में	राजस्व की हानि (लाख रुपए में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	रोजा (शाहजहांपुर)	1990-91	30,000	23 मार्च 1991	रु04	रु0 4/5 प्रति ए.एल. निर्यात पास फीस के स्थान पर रु0 2.50/3 प्रति ए.एल. की दर पर निर्यात शुल्क वसूल किया गया	27390 ए.एल. रु0 2.50 प्रति ए.एल. की दर पर	0.52	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)

*अल्कोहलिक लीटर (ए०एल०) का तात्पर्य स्पिरिट के अल्कोहलिक कण्टेण्ट्स से है।

** बल्क लीटर (बी०एल०) का तात्पर्य कण्टेण्ट्स के बल्क या मात्रा से है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1991-92	90,000	15अप्रैल 1991 से 14मार्च 1992	रू0 5	तदैव	13695ए. एल. रू0 2.50 प्रति ए0एल0 की दर पर 68505 ए0एल0 रू0 3 प्रति ए.एल.की दर पर	2.10	
			1,20,000					2.62	
2.	स्योहारा (बिजनौर)	1991-92	84,223.7	28 मार्च 1992 से 31 मार्च 1992	रू0 6	रू0 6 प्रति बी. एल के स्थान पर रू0 5 प्रति बी.एल. की दर पर निर्यात पास फीस वसूल किया गया	रू0 5 प्रति बी. एल.	0.84	तदैव
3.	बाजपुर (नैनीताल)	1990-91	30,000	31 मार्च 1991	रू05	रू0 5 प्रति वी.एल. के स्थान पर रू04 प्रति की दर पर निर्यात पास फी वसूल किया गया ।	रू0 4 प्रति बी0एल.	0.30	तदैव
							योग	3.76	

3.5 भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाए जाने के कारण शुल्क का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश विदेशी शराब बोतल बन्दी नियम, 1969 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के तहत बनाए गए उत्तर प्रदेश आबकारी नियमों के अन्तर्गत बेची जाने वाली व्हिस्की , ब्राण्डी, रम, तथा जिन के लिए निर्धारित तीव्रता स्पिरिट की वह प्रत्यक्ष तीव्रता है जो रंग व सुगन्ध देने वाली वस्तुएँ मिलाए जाने के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित होती है । इस प्रकार इंगित तीव्रता , मुहर बन्द और पुटित बोतलों पर चिपकाये जाने वाले लेबिलों, पर , उल्लिखित की

जानी होती है । व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम के लिए न्यूनतम तीव्रता 25^{0} अण्डर प्रूफ* (42.8 प्रतिशत आयतनिक सान्द्रता है, जिन के लिए यह 35^{0} अन्डर प्रूफ (37.1 प्रतिशत आयतनिक सान्द्रता) है और राज्य से बाहर निर्यात किए जाने के लिए तैयार की जानी वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की तीव्रता वह होगी जो क्रेता राज्यों द्वारा वांछित हो । मुहर बन्द और पुटित बोतलों की आई० एम० एफ० एल० में मौजूद प्रति लीटर अल्कोहल के लिए सीमा शुल्क मार्च 1991 तक 40 रुपए तथा उसके पश्चात 44 रुपए की दर से प्रभार्य है ।

लेखा-परीक्षा के दौरान सहारनपुर स्थित एक आसवनी में देखा गया (मार्च 1992) कि जनवरी 1991 से जनवरी 1992 तक की अवधि के दौरान , रंग और सुगन्ध पैदा करने वाली वस्तुओं के मिलाए जाने के उपरान्त, शराब में स्पिरिट की, हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित की गई वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रता व्हिस्की, ब्राण्डी और रम के मामले में 42.9 प्रतिशत आयतन से आयतन और जिनके मामले में 37.2 प्रतिशत आयतन से आयतन थी । आई. एम. एफ. एल. (रम) के मामले में जो दिल्ली राज्य को निर्यात होनी थी (आसवनी के अभिलेखों के अनुसार) अपेक्षित तीव्रता 28.5 प्रतिशत आयतन से आयतन के विरुद्ध वास्तविक दृष्टिगत तीव्रता 28.7 प्रतिशत .आयतन से आयतन थी । इससे व्हिस्की, जिन तथा रम के मामलों में 0.1 प्रतिशत आयतन से आयतन तक और दिल्ली राज्य को निर्यात के उद्देश्य से तैयार की गई आई० एम० एफ० एल० (रम) के मामले में 0.2 प्रतिशत आयतन से आयतन तक निर्धारित तीव्रता (जैसा कि बोतलों पर चिपकाए गए लेबलों पर इंगित है) का अतिक्रमण हुआ । इसके परिणाम स्वरूप 2.61 लाख रुपए की धनराशि का सीमा शुल्क कम आरोपित किया गया ।

मामले को लेखा-परीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 1992) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1992) कि आई० एम० एफ० एल० की बोतल बन्दी उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के नियम 805 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई थी जिसमें मदिरा की तीव्रता सिद्ध करते समय 0.5 प्रतिशत की घट-बढ पर विचार किया गया है । फिर भी , नियम में आबकारी शुल्क से छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं है । आबकारी नियम 790 के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा की तीव्रताएं हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित प्रत्यक्ष तीव्रताएं ही होती है। आबकारी शुल्क इन्हीं तीव्रताओं के आधार पर आगणित अल्कोहल पर आरोपणीय होता है ।

मामला शासन को अगस्त 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)।

---

* "अन्डर प्रूफ" (यू०पी०) का तात्पर्य लन्दन प्रूफ से कम ताकत की स्पिरिट से है

3.6 अल्कोहल की विक्री पर क्रय-कर की वसूली न किया जाना

उ0 प्र0 मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अल्कोहल का अर्थ ईथाइल अल्कोहल है जो मानव उपभोग में लाई जाने वाली अल्कोहलीय शराब नहीं होती और जिसमें परिशोधित स्पिरिट विकृत स्पिरिट एवं परिशुद्ध अल्कोहल शामिल है । एक न्यायिक फैसले * में कहा गया था कि अल्कोहलीय शराबों "अल्कोहलीय स्पिरिट और माल्ट शराबों" का अर्थ उन नशीली मदिराओं से है , जिनका सेवन मादक पेय के रुप में किया जा सकता है और जिनका अधिक मात्रा में सेवन करने से नशा उत्पन्न होता है । अतः किसी आसवनी के आसवन संयत्र से सीधे उत्पादित प्रत्येक स्पिरिट चाहे वह 60^{0} ओ0पी0** से कम हो अथवा अधिक अल्कोहल ही होती है अल्कोहलीय शराब नहीं, जब तक कि तनुकरण द्वारा उसकी तीव्रता घटा कर उसे मनुष्य के सेवन के योग्य नहीं बना दिया जाता । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के अन्दर अल्कोहल की प्रथम खरीद के विन्दु पर 40 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से क्रय-कर आरोपणीय है।

पिलखनी (जनपद-सहारनपुर) और हरगांव (जनपद सीतापुर) स्थित आसवनियों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मार्च 1992 तथा दिसम्बर 1991) कि मई 1990 से अगस्त 1991 तक की अवधि के दौरान आसवनियों के आसवन संयत्र से सीधे तौर पर उत्पादित 126,196 बल्क लीटर स्पिरिट (60^{0} ओ0पी0 से कम) की बिक्री पर 40 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से आरोपणीय क्रय-कर आरोपित नहीं किया गया था । इसके फलस्वरुप 50,478 रुपए की धनराशि के राजस्व की हानि हुई ।

मामलों को विभाग और सरकार को दिसम्बर 1992 तथा फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

3.7 देशी मदिरा के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत वास्तविक मार्गस्थ छीजन (रिस जाने, वाष्पित हो जाने या अन्य अपरिहार्य कारणों से) के लिए राज्य के भीतर काठ के पीपों, धातु के बने पात्रों या टैंकरों में बाण्ड के अन्तर्गत ले जाई जाने वाली मानव - सेवन के उपयुक्त शराब पर 0.5 प्रतिशत तक की घट-बढ़ अनुमन्य है । फिर भी, राज्य के भीतर बाण्ड के अन्तर्गत मुहर-बन्द बोतलों और पाउचों में ले जाई जाने वाली ऐसी शराब पर नियमों के-अन्तर्गत किसी प्रकार का मार्गस्थ छीजन अनुमन्य नहीं है। ऐसे मामलों में शराब के मार्गस्थ छीजन पर, यदि हो, पूर्ण आबकारी शुल्क वसूल किया जाता है ।

---

* प्रकरण सं0 हावर्ड बनाम एक्मे ब्रीविंग कम्पनी 143 ग -, 83 यस0 ई0 1006, 1007 अन्नकास 1917 ए 91, एफ0 डब्लू0 उल्स वर्थ अ0 के0 एल0 की 125 , 113 पी0 2 डी0 399, 40 बी0 (पी0-10 आफ वर्ड्स एण्ड फ्रेजेज इन उत्तर प्रदेश)

** ओवर प्रूफ (ओ0पी0) का तात्पर्य लन्दन प्रूफ से अधिक ताकत की स्पिरिट से है

(i) मझोला (जनपद पीलीभीत) स्थित एक आसवनी की लेखा-परीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1992) कि वर्ष 1991-92 के दौरान, बाण्ड के तहत मुहर बन्द बोतलों तथा पाउचों में, मझोला आसवनी से विभिन्न बन्धित गोदामों तक पहुंचाई जाते हुए, मार्ग में छीज गई बताई गई 14,367.8 अल्कोहलिक लीटर मानव सेवन के लिए उपर्युक्त मसालेदार देशी शराब पर 37.50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से आबकारी शुल्क आरोपित नहीं किया गया था । इसके परिणाम स्वरूप 5.39 लाख रुपए का आबकारी शुल्क आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग और सरकार को जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

(ii) सरदार नगर (जनपद गोरखपुर) स्थित एक आसवनी की लेखा परीक्षा में देखा गया (नवम्बर 1992) कि फ़रवरी 1992 में, बाण्ड के तहत मुहरबन्द पाउचों में , राज्य के विभिन्न बन्धित गोदामों तक परिवहित 1,50,727 अल्कोहलिक लीटर देशी शराब के 72 पारेषणों के मामले में 1722.70 अल्कोहलिक लीटर की मार्गस्थ क्षति मान ली गई थी और 64,601 रुपए का आबकारी शुल्क आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग और सरकार को जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

3.8 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अन्तर्गत , जैसा कि उसे 29 मार्च, 1985 से संशोधित किया गया है, जहां किसी आबकारी राजस्व की अदायगी, देय तिथि से तीन माह के भीतर नहीं की जाती, वहां उस पर उस तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जाता है । उस आबकारी राजस्व के सम्बध में जो अधिनियम में किए गए संशोधन की तारीख से पूर्व देय हो गया था और संशोधन की तारीख से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया गया था , ब्याज उसी दर से (अर्थात 18 प्रतिशत वार्षिक) 29 मार्च , 1985 से वसूल किया जाना आवश्यक है ।

5 जिला आबकारी कार्यालयों (कानपुर, मेरठ, मिर्जापुर, फतेहपुर तथा उन्नाव) तथा काशीपुर (नैनीताल) स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1991 से अक्टूबर 1992 तक के दौरान) कि अधिनियम की शुरुआत के बाद देय 155.74 लाख रुपए का आबकारी राजस्व 29 मार्च 1985 से गणना करने पर अपनी देय तिथि से 3 से 79 महीनों के विलम्ब से अदा किया गया । इस प्रकार, आबकारी राजस्व के इन विलम्बित भुगतानों पर 63.36 लाख रुपए की धनराशि का ब्याज आरोपणीय था, जिसे जैसे भी हुआ, निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार आरोपित और वसूल नहीं किया गया :-

क्रम सं0	जिला आबकारी कार्यालय/आसवनी का नाम	देय आबकारी राजस्व (लाख रुपए में)	विलम्बन की अवधि (महीनो में)	ब्याज जो आरोपित/वसूल नहीं हुआ (लाख रुपए में)	टिप्पणी
1.	कानपुर	128.0	11 से 41	58.50	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)
2.	काशीपुर आसवनी (नैनीताल)	12.64	3 से 15	1.73	विभाग ने बताया कि ब्याज जमा करने हेतु नोटिस जारी की गई है (नवम्बर 1992)
3.	मेरठ	0.70	76	0.80	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)
4.	मिर्जापुर	1.65	25 से 79	1.01	-- तदैव --
5.	उन्नाव	11.63	4 से 5	0.75	-- तदैव--
6.	फतेहपुर	1.12	10 से 38	0.57	-- तदैव --
योग		155.74	3 से 79	63.36	

मामलों की सूचना सरकार को मार्च 1992 और जनवरी 1993 के मध्य दी गई थीः उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994)।

3.9 समझौता शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा अधिकार-प्राप्त कोई भी आबकारी अधिकारी , प्रत्येक मामले में 5000 रुपए से अनधिक समझौता शुल्क की अदायगी पर लाइसेंस के निरस्तीकरण अथवा निलम्बन अथवा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के मामलों को प्रशमित (कम्पाउण्ड) कर सकता है ।

सहारनपुर स्थित जिला आबकारी कार्यालय की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 1992) कि 1988-89 से 1991-92 तक की अवधि में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 484 अपराधों को प्रशमित किया गया और 1.22 लाख रुपए की धनराशि का समझौता शुल्क आरोपित किया गया लेकिन उसकी वसूली नहीं की गई ।

लेखा परीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (फरवरी 1992), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि समझौता शुल्क वसूल किया जाएगा । इसके बाद कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1994)।

मामला सरकार को दिसम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया था: उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

अध्याय - 4

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 1992-93 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 233 मामलों में, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, 128.85 लाख रुपए की धनराशि के करों/शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना उद्घटित हुआ ।

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	यात्री-कर / अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना या न लगाया जाना	107	91.71
2.	मार्ग-कर का अवनिर्धारण	54	26.29
3.	माल-कर का कम लगाया जाना	15	6.16
4.	अन्य अनियमितताएं	57	4.69
	योग	233	128.85

वर्ष 1992-93 के दौरान विभाग ने 116 मामलों में निहित 58.16 लाख रुपए के अवनिर्धारणों आदि को स्वीकार किया । इनमें से 3.17 लाख रुपये से संबधित 10 मामले वर्ष 1992-93 की लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्व के वर्षों में । "वाहनों का पंजीकरण, मार्ग-कर की मांग सम्बन्धी परिवहन विभाग के आन्तरिक नियन्त्रण " पर की गई समीक्षा सहित परिवहन विभाग के 41.97 लाख रुपए से संबंधित कुछ एक निदर्शी मामलों को उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिया जा रहा है ।

4.2 वाहनों के पंजीयन, मार्गकर की मांग से संबंधी परिवहन विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण

4.2.1 प्रस्तावना

आन्तरिक नियन्त्रणों का उद्देश्य तुरन्त तथा कुशल सेवा और साथ ही साथ करों तथा शुल्कों के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त रक्षोपाय उपलब्ध करना है । उनके होने का अर्थ है कि कानूनों नियमों तथा विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो, धोखा-धड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनके नियन्त्रण में सहायता मिले । वे विश्वसनीय आर्थिक तथा प्रबन्धीय सूचना पद्धति के सृजन में भी सहायक होतें हैं । इस लिए किसी भी विभाग का यह दायित्व होता है कि वह सुनिश्चित करे कि एक उचित आन्तरिक नियन्त्रण सरंचना की संस्थापना की जा चुकी है और उसे प्रभावी रखने के लिए उसकी समीक्षा और उसका अद्यतनीकरण होता रहता है ।

राज्य में परिवहन विभाग की स्थापना मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 (1939 की सं0 4) जिसे अब निरस्त किया जा चुका है और जिसका स्थान अब मोटर गाड़ी अधिनियम - 1988 ने ले लिया है की धारा 133-क के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 1945 में की गई थी । विभाग इस अधिनियम तथा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है । मार्ग कर, माल-कर, यात्रीकर, लाइसेन्स शुल्क अन्य विभागीय शुल्क तथा पथकर से वसूल किया गया राजस्व, कुल कर-प्राप्तियों का लगभग 7.5 प्रतिशत होता है । उ0 प्र0 मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपणीय मार्ग-कर विभागीय राजस्व के 33 से 40 प्रतिशत के बीच ठहरता है ।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग का शीर्षस्थ अधिकारी होता है और अपने काम में उसे तीन अवर आयुक्तों, 6 उपायुक्तों तथा एक सहायक आयुक्त की सहायता प्राप्त होती है । प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को उप परिवहन आयुक्तों, संभागीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के प्रभार में चलने वाले क्रमशः 7 परिक्षेत्रों , 16 संभागों तथा 42 उपसंभागों में विभाजित किया गया है । परिक्षेत्रीय मुख्यालय आगरा, बरैली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, पौड़ी तथा वाराणसी में स्थित हैं ।

4.2.3 लेखा-परीक्षा का कार्यक्षेत्र

गाड़ियों का पंजीकरण, मार्गकर की मांग के विषय में परिवहन विभाग के आन्तरिक नियन्त्रणों की समीक्षा , उनकी पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता का पता करने के लिए लेखा परीक्षा संचालित की

गई । इस उद्देश्य से, परिवहन आयुक्त के कार्यालयों के अभिलेखों के अतिरिक्त 7 में से 3 उपायुक्त कार्यालयों* 16 में से 7 संभागीय परिवहन आयुक्त कार्यालयों** तथा 42 में से 22 उप-संभागीय कार्यालयों*** के अभिलेखों की नमूना-जांच वर्ष 1989-90 से वर्ष 1992-93 तक की अवधि के लिए की गई । चयनित उप परिवहन आयुक्त के कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त संभागीय / उप संभागीय कार्यालयों को इस समीक्षा में आच्छादित किया गया है ।

4.2.4 प्रमुखांश

(i) विभाग के पास ऐसी कोई नियम पुस्तिका (मैनुअल) नहीं है जिससे फील्ड स्टाफ उस प्रक्रिया के विषय में मार्ग- दर्शन प्राप्त कर सके जिसे अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अनुपालित किया जाना है । विभिन्न अभिलेखों के रख-रखाव के संबध में किसी प्रकार के निर्देश भी नहीं थे ।

(प्रस्तर 4.2.5)

(ii) क्रेताओं को हस्तान्तरित किए जाने से पूर्व व्यापारियों के द्वारा गाड़ियों के पंजीकरण का अनुश्रवण करने में विभाग की विफलता के कारण पंजीयन शुल्क तथा मार्गकर का भुगतान विलम्ब से किया गया।

(प्रस्तर 4.2.6)

(iii) बकाया के संग्रहण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की दक्षता का अनुश्रवण न कर पाने, अड़चनों की पहचान न कर पाने तथा उन्हें दूर न कर पाने आदि के परिणामस्वरुप मार्ग-कर का बकाया 60.98 लाख रुपए (मार्च 1989) से बढ़कर 264.05 लाख रुपए (मार्च 1993) हो गया ।

(प्रस्तर 4.2.7 (क))

----

* परिक्षेत्रीय कार्यालय — कानपुर, मेरठ और वाराणसी

** सम्भागीय कार्यालय — इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ और वाराणसी

*** उप- सभांगीय कार्यालय — आजमगढ़, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलंदशहर, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, फर्रूखाबाद,गाजीपुर हमीरपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, महराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फर नगर, उरई, प्रतापगढ, सिद्धार्थ नगर, और सोनभद्र

(iv) प्रवर्तन शाखा को प्रदत्त जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने के लिए की गई अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता में आयुक्त स्तर पर कमी थी । संग्रह सुनिश्चित करने में सं०प०अ० / स० सं० प० अ० तथा प्रवर्तन शाखा के मध्य सहयोग की प्रमात्रा का मूल्यांकन करने के लिए कोई क्रिया-विधि भी नहीं थी ।

(प्रस्तर 4.2.7 (क) (ii) व (iii))

(v) बकाया के संबंध में वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिनियम तथा नियमों में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है । 15 कार्यालयों में कुल 6275 में से केवल 2292 गाड़ियों के विषय में वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे । वसूली प्रमाण पत्र के निर्गमन के लिए बनी पंजी का रख रखाव जो नियन्त्रण का एक महत्व पूर्ण औपचारिक अभिलेख है, उचित ढंग से नहीं किया गया था ।

(प्रस्तर 4.2.7 (ख) (i)).

(vi) प्रयोग में नहीं लाई जा रही बताई गई गाड़ियों के बारे में कर-मुक्ति पर नियन्त्रण ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया गया था, क्योंकि विभाग द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत के विरुद्ध अपने स्थान पर खड़ी केवल 3 प्रतिशत गाड़ियों की ही जांच की गई थी ।

(प्रस्तर 4.2.8)

(vii) गाड़ियों के स्वामियों से त्रैमासिक अग्रिम कर के संग्रह के लिए अधिनियम में दी गई पद्धति का अनुपालन विभाग ने नहीं किया और उस अवधि से संबंधित रकम वापस कर दी, जिसमें गाड़ियों का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(प्रस्तर 4.2.9)

(viii) आन्तरिक लेखा-परीक्षा शाखा वार्षिक रूप से केवल 10 से 18 प्रतिशत कार्यालयों का निरीक्षण करती रही है । विभाग की राजस्व - संग्रह एजेन्सियों की कार्यविधियों के परीक्षण को सुविधा जनक बनाने के लिए राजस्व - संग्रह पर विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश, परिपत्र तथा महत्वपूर्ण आदेश भी इस शाखा को उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं ।

(प्रस्तर 4.2.10)

4.2.5 विभागीय नियमावली की अनुपस्थिति

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 39 तथा मोटर यान कराधान अधिनियम, 1935 की धारा 5 क्रमशः यानों के पंजीकरण और मार्ग-कर के संग्रहण से संबद्ध रखती है । इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक नियन्त्रण के रूप में विभाग में एक ऐसी नियमावली का होना

सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था जो अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की रुप रेखा प्रस्तुत करती हो । फिर भी लेखा-परीक्षा में यह पाया गया कि विभाग में ऐसी कोई नियमावली नहीं है । आगे यह कि विभाग लेखा- परीक्षा को उसके अनुरोध के बावजूद प्राप्तियों एवं वापसियों आदि की पंजिका जैसे विभिन्न अभिलेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में कर अधिकारी को जारी किये गये कार्यकारी निर्देशों की प्रतियां भी उपलब्ध नहीं करा सका ।

विभाग ने किसी संहिता-बद्ध नियमावली की अनुपस्थिति में तथा विभिन्न अभिलेखों के रख-रखाव पर विभाग के कार्यकारी निर्देशों की अनुपलब्धता के कारण भी, लेखा-परीक्षा द्वारा उन नियन्त्रणों का, जिनको अभ्यास में लाया जाना आवश्यक था तथा उनकी प्रभावोत्पादकता का पता नहीं लगाया जा सका ।

4.2.6 यानों के पंजीयन पर नियन्त्रण

मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा उसके तहत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत कोई भी व्यापार प्रमाण-पत्र धारक (व्यापारी) बिना अस्थाई अथवा स्थाई पंजीकरण के किसी क्रेता को कोई मोटर यान हस्तान्तरित नहीं कर सकता। मोटर यान जब तक कि पंजीकृत न हो जाए और उस पर निर्धारित ढंग से वर्णित पंजीयन चिन्ह न लग जाए , किसी भी व्यक्ति को मोटर यान चलाने की अनुमति नहीं होगी और मोटर यान का कोई मालिक किसी सार्वजनिक स्थान अथवा अन्य किसी स्थान पर किसी यान को न तो चला सकता है और न उसे चलाने की अनुमति दे सकता है । निर्धारित ढंग से वर्णित पंजीयन चिन्ह के मामले में व्यापार प्रमाण धारकों को भी पंजीकरण के बगैर , क्रेता को मोटर यान हस्तान्तरित करने की अनुमति नहीं है । क्रेता को हस्तान्तरित करने से पूर्व यान को पंजीकृत करवाने में व्यवसायी की विफलता के मामले में, व्यवसायी का व्यापार प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है ।

29 कार्यालयों में जहां नमूना जांच की गई, 17 कार्यालयों* में यह बात जानकारी में आयी कि 1473 यानों के मालिकों ने अपने यान का पंजीकरण व्यवसायी से यान की डेलीवरी प्राप्त करने की तिथि से 7 दिनों से 5 वर्षो तक के मध्य की अवधियों के बाद व्यवसायी के बजाय, जैसा कि आवश्यक था, स्वयं करवाया । इनमें से 542 यान 3 महीने के विलम्ब से पंजीकृत करवाए गए । पंजीकरण पर आन्तरिक नियन्त्रण की कमी इस तथ्य से उजागर हुई कि विलम्ब का विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका । इसका न केवल यह परिणाम हुआ कि गाड़ियां बिना सड़क योग्यता प्रमाण

----

* (इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, मऊ, मिर्जापुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा वाराणसी)

पत्र के सड़कों पर दौड़ाई गई बल्कि 780 रुपए, (मार्गकर 750 रुपए,पंजीयन शुल्क 30 रुपए) प्रति यान की न्यूनतम दर से पंजीकरण शुल्क तथा मार्गकर की कुल 11.48 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान भी विलम्बित हुआ । चूक करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

4.2.7 मार्ग-कर के बकाये

शासन को मार्ग-कर के बकायों की समेकित स्थिति प्रतिवेदित करने के लिए विभाग ने मार्ग-कर के बकायों की स्थिति का अनुश्रवण करने के निमित्त प्रत्येक सं० प० अ० / स० सं० प० अ० द्वारा परिक्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली एक मासिक विवरणी (रुप पत्र - 2 टी० ए०) निर्धारित की है । इसे दृष्टि में रखते हुए, परिवहन आयुक्त, स्टाफ की मासिक बैठक संयोजित करता है और बकायों सहित राजस्व की समग्र स्थिति की समीक्षा करता है तथा द्रुत वसूली के लिए समय समय पर निर्देश जारी करता है। नियमों के अन्तर्गत कर अधिकारी के लिए , बकाबों में पाये जाने वाले मोटर यान के मालिक को निर्धारित रुप-पत्र (रुप पत्र - ई०) में नोटिस जारी करना आवश्यक है । कर के भुगतान के बगैर प्रयोग में लाये जाने का पता लगने पर परिवहन यानों को देय कर अदा किए जाने तक पकड़े/ रोके रक्खा जा सकता है । तथापि जहां मांग - पत्र जारी करने के बाद मालिक देय कर अदा करने के लिए सामने नही आता, वहां कराधान अधिकारी को भू-राजस्व के बकायों के समान देय धनराशि की वसूली के लिए जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त हैं । बकायों की वसूली के लिए स० सं० प० अ० (प्रशासन) के लिए भी आवश्यक है कि वह स० सं० प० अ० (प्रवर्तन) को बकाया में चल रहे यानों की एक सूची भेजे ।

(क) नीचे दी गई सारणी से, जिसमें वर्ष 1989-90 से 1992-93 तक के लिए मार्ग-कर के बकायों की स्थिति प्रदर्शित है, यह स्पष्ट होगा कि परिवहन आयुक्त द्वारा आहूत मासिक बैठकों के माध्यम से विभाग की प्राप्तियों के नियमित अनुश्रवण करने के बावजूद इन वर्षो के दौरान, बढे हुए बकायों में हुई वृद्धि . वसूली की तुलना में सदैव अधिक रही है जिसका परिणाम यह था कि 1 अप्रैल 1989 के दिन की बकाया की धनराशि (60.98 लाख रुपए) दिनाक 31.3.93 तक 400 प्रतिशत बढ़कर 264.05 लाख रुपए .हो गई । विवरण नीचे इंगित किया गया है ।

वर्ष	1 अप्रैल को आदि शेष	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष के दौरान ताजा वृद्धियां	31 मार्च को अन्त शेष
	-------- लाख रुपए में -------			
1989-90	60.98	22.47	30.32	68.83
1990-91	68.83	24.06	51.54	96.31
1991-92	96.31	39.08	175.31	231.54
1992-93	231.54	99.50	132.01	264.05

यह बात जानकारी में आयी कि जहां प्राप्तियों का मासिक अनुश्रवण किया जा रहा है वहीं वसूलियों को बढाने की दृष्टि से अड़चनों और दिक्कतों की शिनाख्त करने और उन्हें दूर करने के निमित्त देय धनराशियों के संग्रहण से संबधित अनुवर्ती कार्रवाई की दक्षता का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है ।

मांग और वसूली के नियन्त्रण में असफलता और कमी पर अतिरिक्त चर्चा उत्तरवर्ती उप-प्रस्तरों में की जा रही है ।

(i) परिवहन आयुक्त द्वारा जारी (अप्रैल 1991) निर्देशों के अनुसार, मार्गकर के बकायों की वास्तविक धनराशि की सूचना उनके पास त्रैमासिक रूप से भिजवाना, फील्ड अधिकारियों के लिए आवश्यक है । (29 में से) 5 कार्यालयों में जिनकी नमूना जांच, लेखा-परीक्षा में की गई, यह पाया गया कि इन कार्यालयों द्वारा परिवहन आयुक्त को सूचित आँकड़े कम कर के बताए गए हैं क्योंकि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जिन यानों पर मांग-नोटिसें / वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उन्हें बकाया सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

जिला	31 मार्च, 1993 को बकाया		यानों के विरुद्ध बकाया जहां मांग-नोटिसें/ वसूली प्रमाण पत्र जारी थे लेकिन जिन्हें बकाया सूची में शामिल नही किया गया	
	संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
कानपुर (शहर)	2,031	19.81	232	24.63
बुलन्द शहर	अनुपलब्ध	1.76	46	4.83
गाजियाबाद	533	5.65	546	15.49
फर्रुखाबाद	146	2.67	7	0.29
मुजफ्फर नगर	274	5.94	7	0.32
योग	2,984	35.83	838	45.56

(ii) आगे, बकाया वाले मोटर यानों की त्रैमासिक सूचियाँ जिसमें ऐसे यानों से प्राप्य धनराशियां इंगित हों, तैयार करना सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन) के लिए आवश्यक होता है । इन सूचियों को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को हस्तान्तरित किया जाना होता है जिसे अपने कर्तव्य - निर्वाह के दौरान इन यानों की जांच करना और संबंधित मोटर यानों के मालिकों से बकाया की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक होता है ।

नमूना जांच के दौरान यह जानकारी में आया कि प्रवर्तन शाखा में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिससे पता चल सके कि स० सं० प० अ० (प्रशासन) द्वारा उन्हें दी गई सूची के हिसाब से करों के बकायों की वसूली अमल में लाने के लिए, समयबद्ध तौर पर कोई कार्रवाई की जा रही है अथवा नहीं। यह भी देखने में आया कि अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रवर्तन शाखा को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा आयुक्त स्तर पर नहीं की गई ।

(iii) प्रवर्तन शाखा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि देय करों की अदायगी के बगैर कोई गाड़ी, किसी सार्वजनिक स्थान पर चलने न पाए। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन शाखा कोयह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि पंजीकरण, स्वस्थता प्रमाण पत्र तथा अनुज्ञापत्र (परमिट) के बिना कोई गाड़ी सड़क पर न चलने पाए । चूक की स्थिति में प्रवर्तन शाखा को अपने सामान्य कार्य के निर्वहन के दौरान बकाया वाले वाहनों को पकड़ना होता है और बकायों की वसूली के लिए कदम उठाना होता है ।

इस शाखा को एक सीजर रजिस्टर का रख-रखाव भी करना पड़ता है। नमूना जांच के दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि 1989-90 से 1992-93 के दौरान 7 कार्यालयों* की प्रवर्तन शाखा ने 1030, 1684, 1500 तथा 1889 मोटर यानों को पकड़ा और क्रमशः 6.90 लाख रुपए, 17.59 लाख रुपए, 24.49 लाख रुपए और 40.79 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया। फिर भी प्रवर्तन शाखा द्वारा इस प्रकार वसूल की गई धनराशि, सं० प० अ०/ स० सं० प० अ० द्वारा उन्हें सौंपी गई बकाया मांग में सूची-बद्ध यानों के सबंन्ध में वसूली गई धनराशियों और बकाया मांग सूची में शामिल न किए गए अन्य यानों के सम्बन्ध में वसूली गई धनराशियों को अलग-अलग नहीं इंगित करती । बकायों का संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु सं० प० अ० / स० सं० प० अधिकारियों तथा प्रवर्तन शाखा के मध्य सहयोग की प्रमात्रा का मूल्यांकन करने के लिए विभाग द्वारा कोई आन्तरिक नियंत्रण तंत्र संस्थापित नहीं किया गया था । यह बात जानकारी में आयी कि बुलन्दशहर उप-संभाग को छोड़कर किसी संभाग/उप संभाग द्वारा सीजर-रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था ।

बुलन्दशहर में रखे गए सीजर रजिस्टर की जांच के दौरान यह जानकारी में आया कि 1991-92 के दौरान पकड़े गए 9 मोटर यानों और 1992-93 के दौरान पकड़े गए 13 मोटर यानों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध देय पूर्ण कर की वसूली के बगैर छोड़ दिया गया था। विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

----

* (बांदा, इटावा, गाजियाबाद, हमीरपुर, कानपुर, कानपुर (देहात) व उरई)

वर्ष	पकड़े गए यानों की संख्या	बकाया करों की धनराशि (लाख रुपयों में)	स०सं०प०अ० द्वारा अवमुक्त गाड़ियों की संख्या	वसूली गई धनराशि (लाख रुपएमें)	नहीं वसूली गई धनराशि (लाख रुपए में)
1991-92	9	2.95	3	1.63	1.32
1992-93	18	7.75	7	4.73	3.02

बकाया करों की पूर्ण वसूली के बगैर स०सं०प०अधिकरी द्वारा यानों का छोड़ा जाना उ० प्र० मोटर यान कराधान अधिनियम, 1935 की धारा 5- क की शर्तों के अनुसार अनियमित था । ऐसा करने के लिए सीजर रजिस्टर में कोई कारण दर्ज नहीं पाया गया ।

(ख) (i) अधिनियम के अन्तर्गत, कराधान अधिकारी को , जिलाधिकारी के पास, अपने हस्ताक्षर से,किसी व्यवित जो बिना किसी उचित कारण के कर अदा करने में विफल होता है या अदा करने से इन्कार करता है, से प्राप्य कर की धनराशि का उल्लेख करते हुए, वसूली प्रमाण-पत्र अग्रेपित करना होता है । ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर, जिलाधिकारी द्वारा वह धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रुप में वसूल की जानी होती है । भू-राजस्व के रुप में करों के बकाया की वसूली अमल में लाने के लिए जिलाधिकारी को जिस समय - सीमा के भीतर वसूली प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक होता है, उसका उल्लेख न तो अधिनियम और नियमों में किया गया है और न ही प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से विभाग/शासन द्वारा उसे निर्धारित किया गया था । इस प्रकार के नियंत्रण की अनुपस्थिति का परिणाम यह है कि कराधान अधिकारियों द्वारा अपने विवेक से वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने में विचारणीय विलम्ब होता है ।

(29 में से) 15 कार्यालयों * में नमूना जांच के दौरान लेखा-परीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 6.275 मोटर यानों को 84.53 लाख रुपए की धनराशि के बकायों में बताया गया था । इनमें से केवल 2292 मोटर यानों, जो बकाया में चल रहे यानों की कुल संख्या का 25.54 प्रतिशत होते है, के स्वामियों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना पाया गया । शेप कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना लेखा परीक्षा को नहीं उपलब्ध करवाई गई थी ।

(ii) **वसूली प्रमाण-पत्र निर्गमन संबंधी पंजी का अनुपयुक्त रख-रखाव**

संभागों / उप-संभागों में जिनकी नमूना जांच की गई, रखे जा रहे नियन्त्रण के महत्वपूर्ण साधन वसूली प्रमाण पत्र के निर्गमन सबंन्धी रजिस्टर की जांच में सामान्यत: निम्नलिखित

---

* (इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बांदा, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कानपुर, ललितपुर, मुजफ्फर नगर, उरइ, प्रतापगढ़ व वाराणसी)

अनियमितताएं पायी गयीं ।

(i) रजिस्टर में अंकित समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा की गई वसूलियों का विवरण दर्ज नहीं किया गया था ।

(ii) जिलाधिकारी को जारी किए गए अनुस्मारकों का संदर्भ दर्ज नहीं पाया गया था ।

(iii) वाराणसी संभाग में रजिस्टर का रख-रखाव तैथिक क्रम में नहीं किया गया था और वह भी कि रख-रखाव केवल 24 जुलाई 1992 से किया गया था। कोई अन्य वसूली प्रमाण-पत्र रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया था

(iv) मदों के निस्तारण तथा अवशेष को प्रदर्शित करते हुए रजिस्टरों को समय समय पर बन्द नहीं किया गया था ।

(v) रजिस्टरों को कभी उनके मूल्य-निर्धारण तथा प्रमाणिकीकरण के लिए किसी पर्यवेक्षकीय स्टाफ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4.2.8 मोटर यानों का अपर्याप्त भौतिक सत्यापन

किसी मोटर यान के स्वामी को जब तीन माह से अधिक की अवधि के लिए अपना मोटर यान प्रयोग से हटाना हो तो उसे यान के संबंध में जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा टोकन कराधान अधिकारी को समर्पित कर देना चाहिए तथा रुप पत्र "एफ" के भाग-एक में एक घोषणा दाखिल करनी चाहिए अन्यथा यही माना जाएगा कि मोटर यान प्रयोग में है । समर्पण की स्वीकृति देने पर कराधान अधिकारी को रुप-पत्र के भाग-दो को पूर्ण करना और पंजीकरण प्रमाण पत्र में और समर्पण रजिस्टर में भी तैथिक क्रम में समर्पण की तिथि दर्ज करके मालिक को वापस करना होता है । परिवहन यानों के मामले में उनसे संबंधित अनुज्ञा-पत्र भी समर्पित करना होता है । जब मालिक अपने यान को प्रयोग में लाना तय करता है, तो उसके लिए कराधान अधिकारी के समक्ष रूप-पत्र "एफ" में हर प्रकार से पूर्ण एक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है । यदि वह अवधि जिसके लिए कर अदा किया गया है ऐसी प्रस्तुति की तिथि को असमाप्त है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र और टोकन, मालिक को, पंजीकरण प्रमाण पत्र में वापसी की तिथि अंकित करने के उपरान्त लौटा देना होता है ।

जिन मोटर यानों का प्रयोग में न होना, उनके मालिकों द्वारा घोषित हो, उनके विषय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सचमुच प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं और रूप-पत्र "एफ" के भाग-एक में मालिक द्वारा जाहिर किए गए स्थान पर जांच के लिए उपलब्ध हैं, विभाग द्वारा जारी (जून/ जुलाई 1988) निर्देशों के अन्तर्गत स0 स0 प0 अ0 (प्रवर्तन) द्वारा उनकी भौतिक जांच की जानी होती है । यदि कोई यान बताए गए स्थान पर खड़ा नहीं पाया जाता है तो उसे प्रयोग में होने

जैसा समझा जाएगा और ऐसे मामलों में मार्ग-कर का निर्धारण और वसूली सामान्य गति-क्रम . की जानी होगी । प्रारम्भ में विभाग द्वारा नियन्त्रण तन्त्र के रूप में कोई प्रतिशत "चेक" नहीं निर्धारित किया गया था । तथापि, जून, 1992 में विभाग ने निर्देश जारी किए कि प्रयोग से वापस लिए गए कम से कम 25 प्रतिशत यानों का भौतिक सत्यापन किया जाए । फिर भी, 25 कार्यालयों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 1989-93 के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए केवल 14,369 यान प्रयोग से वापस लिए गए थे । इनमें से इन वर्षों के दौरान स० सं० प० अ० (प्रवर्तन) द्वारा जाँच किये गए ऐसे यानों की संख्या केवल 444 थी, जो प्रयोग से वापस लिए गए यानों की कुल संख्या का 3 प्रतिशत ही होती है । प्रयोग न किए जाने के तहत केवल 444 यानों की उनके ठिकानों पर जांच यानों की कर-मुक्ति की यथा तथ्यता पर नियन्त्रण न रखने के बराबर ही है । इस प्रकार विभाग द्वारा जारी निर्देशों का न तो फील्ड कार्यालयों मेंसख्ती से पालन किया जा रहा था, न ही विभाग उसकी निगरानी कर पा रहा था क्योंकि नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा कोई अनुपालन आख्या नहीं प्राप्त की जा रही थी ।

4.2.9 मार्ग-कर की अदायगी से अनधिकृत छूट

उ० प्र० मोटर यान कराधान अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत यानों पर कर (मार्ग-कर) , मोटर यान के मालिक द्वारा प्रत्येक वर्ष , जनवरी के 15 वें दिन या उससे पूर्व अग्रिम रूप में अदा किया जाना होता है । परिवहन यानों के सबन्ध में मार्ग-कर त्रैमासिक किस्तों में अदा किया जा सकता है । ऐसे यानों के प्रयोग में न होने के मामले में , अग्रिम रूप मे जमा मार्ग-कर की वापसी, यान के प्रयोग में न रहने की अवधि के लिए अनुज्ञेय है । अधिनियम में, कर-मुक्ति के लिए, किसी रूप में, कोई प्रावधान नहीं है ।

नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (मई , 1993) कि 25 जिला कार्यालयों के 717 मामलों में जिनमें कुल 35.26 लाख रुपए का कर अन्तर्निहित था, संभागीय/उप-संभागीय अधिकारियों ने न तो उस तिमाही के लिए, जिसमें यान मार्गेतर (प्रयोग में नहीं) रहा, अग्रिम रूप में कर की पूर्ण वसूली की और न ही प्रयोग में न होने के परिणाम स्वरुप अतिरिक्त जमा कर की वापसी की। इसके बजाय , अधिनियम में निर्धारित कार्य - विधि के विरुद्ध कराधान अधिकारी ने प्रयोग की अवधि के लिए कर तब वसूल किया जब मालिक ने यान को सड़क पर पुन: उतारने की सूचना दी । निर्दिष्ट प्रणाली का अननुवर्तन मार्ग-कर की अनधिकृत छूट के रूप में प्रतिफलित हुआ ।

निर्धारित प्रणाली के अननुवर्तन के मामलों की शिनाख्त करने के लिए समीक्षा जैसी कोई आन्तरिक नियन्त्रण क्रिया विधि विभाग के पास नहीं थी ।

4.2.10 आन्तरिक लेखा-परीक्षा

विभाग की एक आन्तरिक लेखा - परीक्षा शाखा है, जो एक सहायक लेखाधिकारी के

पर्यवेक्षणाधीन काम करती है । 1989-93 के मध्य, इस शाखा द्वारा वार्षिक रूप में जितने कार्यालयों की लेखा परीक्षा की गई, उनकी संख्या कुल कार्यालयों की संख्या का 10 से 18 प्रतिशत तक रही ।

यह भी देखा गया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा को विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए वे निर्देश, परिपत्र तथा महत्वपूर्ण आदेश नहीं प्राप्त करवाए गए जिनका विभाग की राजस्व संग्रह एजेन्सियों की कार्य-शैली पर सीधा प्रभाव होता है ।

उपर्युक्त अवलोकन (आब्जर्वेशन्स) विभाग तथा शासन की जानकारी में लाए गए थे (दिसम्बर 1993), उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)

4.3 यात्रीकर का अनारोपण

उ० प्र० मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यात्री-कर (1 मई , 1979 से) स्टेज कैरेज के चालक को देय किराए के 16 प्रतिशत की दर से लगाया जाना होता है ।

वाराणसी संभाग में, संभागीय परिवहन कार्यालय की लेखा-परीक्षा के दौरान यह बात जानकारी में आई (मई, 1990) कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ ने चौबीस अन्तर्सम्भागीय और अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए 191 अनुज्ञा- पत्र (परमिट) जारी किए (अगस्त, 1989 से जनवरी, 1990) तथा यात्री-कर की वसूली के लिए कराधिकारी को मार्च, 1990 में निर्देशित किया गया । फिर भी विभाग कर लगाने और उसे वसूल करने में असफल रहा । इसके परिणाम स्वरुप जनवरी 1990 से मार्च 1990 तक की अवधि के दौरान 23.30 लाख रुपए की हानि हुई ।

लेखा परीक्षा में इसके सुझाए जाने पर विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और 11.73 लाख रुपए वसूल किए (जुलाई 1991) । अवशेष धनराशि की वसूली की सूचना अभी प्राप्त नही हुयी है (जनवरी 1994) ।

मामले की सूचना शासन को भेज दी गई थी (अगस्त 1991) : उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी , 1994) ।

4.4 बढ़े हुए मार्ग पर यात्री-कर की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किसी विशेष मार्ग पर चलने वाले स्टेज कैरेज के संबंध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत अदा किए जाने वाले यात्री-कर का आगणन अन्य बातों के साथ-साथ पूरे मार्ग के लिए अदा किए जाने वाले कुल किराए , एक तरफा फेरों की संख्या जिनकी अनुमति है या जो स्टेज कैरेज द्वारा लगाई

जानी संभावित है तथा भार कारक के आधार पर किया जाता है । मार्ग, फेरों की संख्या, बैठने या खड़े होने की क्षमता अथवा किराए में कसी प्रकार के परिवर्तन से एकमुश्त अनुबन्ध, परिवर्तन की तिथि से प्रभाव शून्य हो जाता है और उसके बाद अनुबन्ध की असमाप्त अवधि के संबंन्ध में, नया अनुबन्ध निष्पादित किए जाने की आवश्यकता होती है ।

संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान, यह बात जानकारी में आयी (जनवरी 1992) कि नवम्बर 1990 के एक संकल्प द्वारा प्राधिकरण ने किशनी-विधुना मार्ग को अयाना तक बढ़ा दिया था और इस आशय का पृष्ठांकन दिसम्बर, 1990 में अनुज्ञा-पत्रों पर कर दिया गया था । एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत लगाया जाने वाला यात्रीकर भी कराधिकारी द्वारा 46.84 रुपए प्रति सीट प्रति माह की दर से आगणित किया गया था । लेकिन विभाग 10 दिसम्बर, 1990 से 31 दिसम्बर 1991 तक की अवधि के दौरान सात स्टेज कैरेजों के सम्बन्ध में, प्रसारित मार्ग के लिए अदा किया जाने वाला कर, बढ़ी हुई दर से वसूल करने में विफल रहा । इससे 73,714 रुपए की धनराशि के राजस्व की हानि प्रतिफलित हुई ।

इसके इंगित किए जाने पर (जनवरी 1992), विभाग ने चूक स्वीकार कर ली। फिर भी धनराशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 1994) ।

मामले की सूचना, शासन को नवम्बर , 1992 में भेज दी गई थीः उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी , 1994) ।

4.5 मार्ग की दूरी की गलत संगणना के कारण यात्री-कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किसी विशेष मार्ग पर चलने वाले स्टेज कैरेज के सबंध मे एक-मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्रीकर का आगणन, अन्य बातों के साथ-साथ पूरे रास्ते के लिए सामान्यतया अदा किए जाने वाले कुल किराए के आधार पर किया जाता है

दो संभागीय/उप-संभागीय परिवहन कार्यालयों की लेखा-परीक्षा के दौरान मार्ग की लंबाई के त्रुटि पूर्ण परिकलन के कारण दो मामलों में, यात्री-कर का अवनिर्धारण जानकारी में आया (अप्रैल व मई, 1992) । विवरण नीचे दिया गया है ।

संभाग/उपसंभाग का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की वास्तविक लम्बाई	मार्ग की लम्बाई जिसके लिए यात्रीकर निर्धारित किया गया	हानि की अवधि	अवनिर्धारित धनराशि (लाख रुपए में)
1. गाजियाबाद	गाजियाबाद - लोनी रतौल	34 कि० मी०	30 कि०मी०	दिसम्बर 1987 से नवम्बर 1990 तक	1.03
2. सहारनपुर	मेरठ-अम्बाला (अन्तर्राज्यीय मार्ग)	153 कि०मी०	148 कि०मी०	दिसम्बर 1987 से मार्च, 1992 तक	0.40
				योग	1.43

मामले की सूचना विभाग तथा शासन को दी गई थी (अगस्त तथा जून, 1992); अनुस्मारकों के बावजूद, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी, 1994)।

4.6 यात्री-कर का निर्धारण से छूट जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत, यदि किसी कारण से, किसी माह के संबंध में, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय सम्पूर्ण कर अथवा उसका कोई भाग आरोपित नहीं किया गया है, तो कर अधिकारी उस माह की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, उस कर को आरोपित कर सकता है जो निर्धारित होने से रह गया है ।

कानपुर देहात उप-संभाग की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1992) कि एक वाहन के संबंध में 3 जनवरी 1971 से कानपुर - झींझक मार्ग के लिए एक अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया था तथा 21 जुलाई 1992 को उसका नवीनीकरण किया गया था लेकिन उक्त वाहन के संबंध में यात्री-कर का निर्धारण और वसूली नहीं की गई थी । इसके परिणाम स्वरुप 46,093 रुपए की हानि हुई ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को फरवरी 1993 में प्रेषित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

4.7 (क) (i) **शुद्ध किराये की गलत संगणना के कारण कम यात्री-कर का आरोपण**

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत, राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबन्ध में यात्रीकर उस दर से आरोपणीय है जो किसी स्टेज कैरेज में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किए गए अथवा अदा किए जाने योग्य किराए के 16 प्रतिशत के बराबर हो। दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को बीमा उपलब्ध करवाने के लिए स्टेज कैरेज में ले जाए जा रहें प्रत्येक यात्री से यात्रीकर के अतिरिक्त यात्री-कर के 5 प्रतिशत की दर से अधिकर की वसूली भी की जाती है। यात्रीकर तथा अधिकर को निकटतम पैसे में पूर्णांकित किया जाना होता है।

संभागीय परिवहन कार्यालय, मेरठ संभाग की लेखा-परीक्षा के दौरान यह बात जानकारी में आयी (जनवरी 1992) कि संभागीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम, मेरठ ने मेडिकल कालेज से सिटी स्टेशन तथा मेडिकल कालेज से कैन्टोन्मेंट स्टेशन तक के मार्गों का किराया करों सहित 1.50 रुपए निर्धारित किया था (फरवरी 1986)। यात्री-कर तथा उस पर लगने वाले अधिकर को निकाल कर शुद्ध किराया, विभाग द्वारा आगणित शुद्ध किराये 1.25 रुपए के विरुद्ध 1.29 रुपए आगणित होता है। इसके कारण मार्च 1986 से जून 1992 तक की अवधि के दौरान कर तथा अधिकर का 1.71 लाख रुपए की धनराशि का अवनिर्धारण फलीभूत हुआ।

मामले की सूचना विभाग तथा शासन को नवम्बर 1992 में प्रेषित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

(ii) **निर्धारित न्यूनतम किराये के न अपनाए जाने के कारण कर की वसूली न होना**

राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति दिनांकित 10 जून 1992 के द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण/ संभागीय परिवहन प्राधिकरण को विशेष तथा "ए" श्रेणी मार्गों, "बी" श्रेणी मार्गों तथा "सी" श्रेणी मार्गों पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों (स्टेज कैरेजेज) के लिए किराये की न्यूनतम दर क्रमशः 14.90 पैसे, 16.30 पैसे और 19.00 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित करने का निर्देश दिया।

(क) आजमगढ उप-संभाग की लेखा-परीक्षा (अक्टूबर 1992) के दौरान यह जानकारी में आया कि महाराज गंज - खैरुद्दीनपुर, चंदेसर - खमरिया तथा सराय मीर - खेता सराय के तीन मार्गों पर किराये की न्यूनतम दरें लागू नहीं की गई थीं और एक मुश्त कर का पूर्व-पुनरीक्षित दरों पर वसूल

किया जाना जारी रहा । इससे जून 1992 से नवम्बर 1992 तक की अवधि के दौरान 30,902 रुपए की हानि फलीभूत हुई ।

प्रकरण विभाग/शासन को नवम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

(ख) बहराइच उप-संभाग की लेखा-परीक्षा (सितम्बर 1992) के दौरान जानकारी में आया कि "ए" श्रेणी में वर्गीकृत तीन मार्गों के संबंध में एक मुश्त यात्री-कर, न्यूनतम दर पर प्रभार्य किराये के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया था और यात्रीकर की वसूली पूर्व-पुनरीक्षित दरों पर की जानी जारी रखी गई। इसके परिणाम स्वरुप जून 1992 से सितम्बर 1992 की अवधि के दौरान 42,584 रुपए की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग / शासन को नवम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

4.7 (ख) परिचालकों द्वारा वसूल किए गए वास्तविक किराये का न अपनाया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए, नियमों के अन्तर्गत एक मुश्त अनुबन्ध के अधीन किसी प्रक्रम वाहन द्वारा अदा किए जाने वाले यात्री-कर का परिकलन अन्य बातों केसाथ-साथ उस किराये पर निर्भर होता है जो उस मार्ग के लिए सामान्यतया अदा किया जाता है जिस पर प्रक्रम वाहन चलता है । किराए में कोई परिवर्तन जिससे परिचालक की प्राप्तियों में बढ़ोतरी होती है, अनुबंध कोऐसे परिवर्तन की तिथि से प्रभाव - शून्य कर देता है और उसके बाद अनुज्ञा-पत्र की असमाप्त अविध के लिए एक-मुश्त अनुबन्ध निष्पादित किया जाना होता है ।

(i) संभागीय कार्यालय , वाराणसी तथा उप-संभागीय कार्यालय सीतापुर की लेखा-परीक्षा के क्रम में यह देखा गया (जनवरी तथा जून 1992 के मध्य) की यात्री-कर , किराये की कम दर पर निर्धारित तथा वसूल किया गया था जिसके फलस्वरुप, जैसा कि नीचे इंगित है, 1.12 लाख रुपए की धनराशि की राजस्व हानि हुई ।

संभाग/ उप संभाग का नाम	मार्ग का नाम	परिचालकों द्वारा सूचित किया गया किराया	सूचना की तिथि	50 पैसे के गुणांक मे पूर्णांकनोपरान्त सम्पूर्ण किराया	शुद्ध किराया जिसपर विभाग द्वारा यात्री कर निर्धारित किया गया	शुद्ध किराया	सन्निहित गाड़ियाँ	अवधि जिससे हानि संबंधित है	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.वाराणसी	वाराणसी गाजीपुर	रु010.00	जून 1990	रु010.,00	रु08.50पैसे	रु07.20पैसे	28	1.6.90 से 11.8.90	रु089.304
2.सीतापुर	(क)सीतापुर लहरपुर वाया लालपुर	रु05.95 पैसे	सितम्बर 1990	रु06.00	रु05.05पैसे	रु05.00	12	सितम्बर 1990 से दिसम्बर 1991	
	(ख) सीतापुर लहरपुर वाया कसरैला	रु04.75पैसे	सितम्बर 1990	रु05.00	रु04.20 पैसे	रु03.95पैसे	38		रु022,831
								योग	1.12 लाख रुपए

(ii) सीतापुर- हरगांव तम्बौर मार्ग के सम्बन्ध में यात्री-कर , संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 77 किलोमीटर के लिए 7.20 रुपए की दर के बजाए 72 कि0मी0 के लिए 6.90 रुपए की दर से वसूल किया गया था । गलत किराये पर यात्रीकर के परिकलन के परिणामस्वरुप दिसम्बर 1987 और दिसम्बर 1991 के बीच की विभिन्न अवधियों के दौरान 27,858 रुपए की कम वसूली हुई ।

उपर्युक्त मामले विभाग तथा शासन को मार्च 1992 / फरवरी 1993 में सूचित किए गए थेः उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी, 1994) ।

4.7 (ग) सकल किराये का पूर्णांकन न किए जाने के कारण यात्री-कर का अवनिर्धारण

इस प्रावधान के साथ कि यात्री-कर अतिरिक्त यात्री-कर तथा बीमा अधिकर सहित किराये का पूर्णांकन पचास पैसे के निकटतम गुणांक में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 1987 में, प्रक्रम वाहनों के संबंध में किराए की न्यूनतम दरें निर्धारित की ।

वाराणसी संभाग तथा बस्ती उप-संभाग की लेखा-परीक्षा के दौरान, जानकारी में आया (जून तथा अक्टूबर 1989) कि छः मार्गों (2 वाराणसी संभाग में तथा 4 बस्ती उप- संभाग में) के सम्बन्ध में यात्री-कर , कर-सम्मिलित सकल किराए के पूर्णांकन के बिना निर्धारित किया जा रहा था । इसकी परिणति, दिसम्बर 1987 और सितम्बर 1989 के बीच की अवधि के दौरान 51,693 रुपए के कम कर निर्धारित किए जाने में हुई ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को अगस्त 1991 में दी गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

4.7.(घ) (i) पारियों की त्रुटिपूर्ण संख्या अपनाये जाने के कारण यात्री-कर की वसूली न होना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किसी मार्ग के परिचालक अपने प्रक्रम वाहनों की आमद तथा रवानगी का समय नियमित करने वाली सारणी निर्धारित प्राधिकारी को सुलभ करवाएंगे । नियमों में यह प्रावधान भी है कि किसी विशेष मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहन के संबंध में अदा किए जाने वाले यात्री-कर के बदले में एक-मुश्त अदायगी का अनुबन्ध, अन्य बातों के साथ-साथ उन एकल पारियों की संख्या पर निर्भर करता है जिनका विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान लगाया जाना मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों के लिए अनुज्ञेय अथवा संभावित है ।

(क) लखनऊ संभाग की लेखा परीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1991) कि लखनऊ - हरदोई मार्ग के परिचालकों सितम्बर , 1990 में लखनऊ - हरदोई के मध्य 65 तथा लखनऊ - संडीला के मध्य 30 पारियां लगाने का अनुबन्ध किया । फिर भी , विभाग ने गलती से लखनऊ-हरदोई के मध्य 61 पारियों तथा लखनऊ-संडीला के मध्य 34 पारियों के लिए एक मुश्त अनुबन्ध निष्पादित किया। मार्गों पर पारियों की त्रुटिपूर्ण संख्या अपनाये जाने के परिणामस्वरुप सितम्बर, 1990 से अगस्त 1991 तक की अवधि के दौरान 1.64 लाख रुपए की धनराशि के यात्री-कर की वसूली संभव नहीं हुई ।

लेखा-परीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1991), कर अधिकारी ने भूल स्वीकार की और 1 अक्टूबर, 1990 से देय यात्री-कर के अन्तर की वसूली हेतु जून 1992 में एक-मुश्त अनुबन्ध को पुनरीक्षित किया । वसूली की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रकरण विभाग / शासन को नवम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

(ख) इटावा उपसंभाग की लेखा-परीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 1992) कि इटावा - गोपालपुर मार्ग के परिचालकों ने अक्टूबर 1991 में एक समय सारणी सुलभ करवाई जिसके अनुसार उन्हें इटावा-गोपालपुर के मध्य 4 वापसी पारियां लगानी थी, लेकिन विभाग ने परिचालकों द्वारा सूचित वापसी पारियों के बजाय 2 वापसी पारियों के आधार पर एक मुश्त यात्री-कर का त्रुटि पूर्ण परिकलन किया । इसके परिणामस्वरुप 16 अक्टूबर 1991 से 30 नवम्बर 1992 तक की अवधि के दौरान 1.04 लाख रुपए की धनराशि के यात्रीकर का कम निर्धारण हुआ ।

मामला विभाग / शासन को फरवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1994) ।

4.7(घ)(ii) एक-मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रक्रम वाहनों पर यात्रीकर का कम आरोपण

(क) वाराणसी संभाग की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1992) कि "ए" श्रेणी में वर्गीकृत मार्ग वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर 29 प्रक्रम वाहन बारी-बारी से प्रतिमाह एक ओर से दूसरी ओर तक की 42 पारियां लगा रहे थे । दो प्रक्रम वाहनों के मार्गेतर होने के कारण 1 नवम्बर 1990 से 27 प्रक्रम वाहन बारियों (रोटेशन) के आधार पर चल रहे थे । चूंकि समय - सारणी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था इसलिए मार्ग पर वास्तव में चल रहे शेष 27 वाहनों को समय - सारणी के अनुसार सेवा कायम रखने के लिए अतिरिक्त पारियां लगानी पड़ रहीं थीं । फिर भी संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी ने मार्ग पर चल रहे शेष प्रक्रम वाहनों द्वारा लगाई जा रही पारियों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर यात्री-कर के पुनर्निर्धारण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की । इसकी परिणति नवम्बर 1990 से मई 1992 तक की अवधि के दौरान 1.12 लाख रुपए तक के यात्री-कर के कम आरोपण और वसूली में हुई ।

प्रकरण विभाग / शासन को सितम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

(ख) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मथुरा उप-संभाग की लेखा-परीक्षा के दौरान यह

देखा गया (अगस्त 1992) कि लोहाबन टर्निंग - सादाबाद मार्ग के 47 प्रक्रम वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त अनुबन्धों को पुनरीक्षित किए बिना जनवरी 1990 से नवम्बर 1990 तक विभिन्न अवधियों के दौरान 5 से 10 वाहनों के मार्गेतर हो जाने के कारण एक ओर से दूसरी ओर तक की पारियों की संख्या बढ़ा दी थी । इसकी परिणति 47,917 रुपए की सीमा तक यात्रीकर के कम आरोपण में हुई ।

प्रकरण विभाग / शासन को सितम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

4.7 (ङ.) भारकारक की कमतर प्रतिशतता को अपनाये जाने के कारण यात्री-कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत, किसी विशेष मार्ग पर प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत अदा किया जाने वाला यात्रीकर अन्य बातों के साथ- साथ अपने प्राधिकृत भारकारक अर्थात बैठाने की पूर्ण क्षमता तथा खड़े होने की क्षमता के 50 प्रतिशत, यदि इसकी अनुमति हो, पर निर्भर करता है लेकिन तय किया जाने वाला भारकारक किसी भी हालत में 75 प्रतिशत से कम न होगा ।

(i) बरेली संभाग की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (दिसम्बर 1991) कि आँवला- बदायूं - वजीरगंज-शाहाबाद मार्ग पर चलने वाले 14 प्रक्रम वाहनों के संबंध में अप्रैल 1989 से अक्टूबर 1990 तक की अवधि के दौरान 95 प्रतिशत भार कारक के आधार पर यात्री-कर तय किया गया था। लेकिन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली द्वारा दिनांक 1 फरवरी 1991 को किए गए सर्वेक्षण के आधार पर नवम्बर 1990 से भारकारक को घटाकर 78 प्रतिशत कर दिया गया । भारकारक में अनुदर्शी तिथि से कमी करने के फलस्वरुप जनवरी 1990 से जनवरी 1991 तक की अवधि के दौरान 47,039 रुपए की धनराशि के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग / शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया : उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

(ii) उपसंभाग इटावा तथा बाराबंकी की लेखा-परीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1991 तथा अगस्त 1992) कि दो विभिन्न मार्गों पर चलने वाले 48 वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर उस भार कारक की तुलना में कमतर भारकारक पर निर्धारित तथा वसूल किया मया था जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया था । इसकी परिणति , जैसा कि नीचे इंगित किया गया है, नवम्बर 1991 तथा नवम्बर 1992 के मध्य विभिन्न अवधियों के दौरान 81,428 रुपए की राजस्व हानि में हुई ।

चौक-नवाबगंज मार्ग पर चलने वाली 5 मिनी बसों के सम्बन्ध में यात्री-कर वाहनों की खराबी और मरम्मत के लिए छूट देते हुए, 30 दिन के बजाए माह के 20 दिनों में लगाई गई पारियों के आधार पर परिकलित किया गया था । इससे जून 1985 में परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए ऊपर सन्दर्भित निर्देशों का उल्लंघन हुआ । इसके परिणाम स्वरुप मई 1989 से जून 1992 की अवधि के दौरान 1.46 लाख रुपए की धनराशि के यात्री-कर का कम आरोपण हुआ ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को सितम्बर 1992 में दी गई । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

4.9 यात्री-कर की अनियमित छूट

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के स्वामित्व वाले प्रक्रम वाहनों को विज्ञप्ति दिनांकित 30 सितम्बर, 1962 द्वारा यात्री-कर की अदायगी से मुक्त कर दिया गया है ।

तीन उप संभागों (बिजनौर, बाराबंकी और कानपुर देहात) में दिसम्बर 1988 और अक्टूबर 1990 के बीच स्कूल बसों के रुप में मिलों के नाम पंजीकृत चार वाहनों का प्रयोग मिलों के कर्मचारियों के बच्चों को उनके परिसर से स्कूल तक और वापस ले जाने-ले आने के लिए किया जा रहा था । चूंकि वाहन किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के स्वामित्व में नहीं थे, इस लिए ये वाहन यात्री-कर से मुक्ति के हकदार नहीं थे । इसकी परिणति जैसा कि नीचे इंगित है, 3.71 लाख रुपए की धनराशि के यात्री-कर के अनारोपण में हुई :-

उपसंभाग का नाम	वाहन जिसके नाम पंजीकृत है	पंजीयन का माह	सन्निहित वाहन	अवधि जिससे अनारोपण सम्बन्धित है	सन्निहित अनारोपित कर (लाख रुपए में)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बिजनौर	शुगर मिल धामपुर	जून 1989	1	5.6.89 से 4.9.92	1.84
	कोआपरेटिव शुगर मिल्स नजीबाबाद उ0 प्र0	अक्टूबर 1990	1	12.10.90 से 11.9.92	

(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
2. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बाराबंकी	राज्य स्पिनिगं मिल सोमैया-नगर बाराबंकी	दिसम्बर 1988	1	जनवरी 1989 से जनवरी 1991	0.72
3. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर (देहात)	शुगर कम्पनी कानपुर	जनवरी 1989	1	20.1.89 से 31.10.92	1.15
	योग		4		3.71

मामले विभाग तथा शासन को नवम्बर 1992 / जनवरी 1993 में सूचित किए गए ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

4.10 ट्रैक्टर ट्रेलरों के अनुज्ञा-पत्रों के न जारी किए जाने के कारण राजस्व की हानि

मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत वाहन जब तक कि अधिनियम के अनुसार पंजीकृत तथा निर्धारित शुल्क की अदायगी पर संभागीय अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा - पत्र से आच्छादित न हो, किसी मोटर वाहन का मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा किसी भी अन्य स्थान पर यात्री अथवा सामान ढोने के उद्देश्य से वाहन का न तो प्रयोग करेगा और न ही उसके प्रयोग की अनुमति देगा । अधिनियम में 3000 किलोग्राम से अनधिक सकल वाहन भार वाले किसी भी माल वाहन के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने से छूट का प्रावधान है ।

मिर्जापुर उप-संभाग की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 1992) कि वर्ष 1991-92 के दौरान 3000 किलोग्राम से अधिक सकल वाहन भार रखने वाले 31 ट्रैक्टर ट्रेलर (माल वाहन) स्वामियों को अस्थाई अनुज्ञा-पत्र (परमिट) प्राप्त करने का निर्देश दिए बिना पंजीकृत कर दिए गए । इस चूक की परिणति 62,000 रुपए (वसूली योग्य न्यूनतम शुल्क के आधार पर परिकलित) की धनराशि के अनुज्ञा-पत्र शुल्क की अदम-वसूली में हुई ।

पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती हैं।

(I) उप निबंधक मैनपुरी कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अप्रैल 1992) कि ग्राम मैनपुरी देहात स्थित 2.36 एकड़ भूखण्ड के विक्रय सम्बन्धी पांच हस्तान्तरण विलेख माह मई 1991 तथा जून 1991 में 74,000 रूपयों में पंजीकृत किये गये । उप निबधंक के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भूखण्डों का मूल्यांकन 5.31 लाख रुपए हुआ । निम्नतर दर अपनाने के परिणाम स्वरुप 66,957 रुपए का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क कम आरोपित हुआ ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को दिसम्बर 1992 में दी गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (जनवरी 1994) ।

(II) उप निबंधक कार्यालय हंडिया (इलाहाबाद) की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1989) कि 19 हस्तान्तरण विलेख 1 अगस्त 1987 से 23 सितम्बर 1989 के मध्य पंजीकृम किये गये जिनपर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क विलेखों में उल्लिखित बाजार मूल्य पर वसूला गया जो जिलाधिकारी द्वारा अधिसूचित बाजार मूल्य से कम था । इसके परिणामस्वरुप स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क के रुप में 66,850 रुपए कम आरोपित किये गये ।

लेखा परीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1989) विभाग ने कहा (नवम्बर 1990) कि 13 मामलों (19 मामलों में से) में 75,365. रुपए (45,886 रुपए स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क एवं 29,479 रुपये दण्ड स्वरुप) जिलाधिकारी द्वारा आरोपित किये गये । इसमें से मात्र 4648 रुपए वसूल किये गये तथा शेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये ।

मामले शासन को फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1994)।

5.3 कृषि इतर भूमि का अवमूल्यन किये जाने से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपित किया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्मित उत्तर प्रदेश स्टाम्प मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे कृषि इतर भूखण्ड जो किसी नगर क्षेत्र, नगर पालिका या नगर महा पालिका की नगर सीमा के अन्तर्गत आते हैं के स्थानान्तरण से संबंधित हस्तान्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में निर्धारित विलेख के निष्पादन की तिथि को उस क्षेत्र में प्रचलित औसत मूल्य प्रति वर्ग मीटर के आधार

पर आरोपणीय होता है ।

पांच उप निबंधक कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान जनवरी 1991 से जुलाई 1992 के मध्य, यह देखा गया कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन न करने के कारण निम्न विवरण के अनुसार 2.92 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया :

क्रम संख्या	पंजीकरण कार्यालय का नाम	सम्पत्ति का प्रकार कृषि एवं कृषि इतर	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर तथा बाजार दर पर मूल्यांकन	विलेख में प्रदर्शित मूल्यांकन	कम स्टाम्प शुल्क	आरोपित पंजीकरण शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1 (i)	उप निबंधक फिरोजाबाद	कृषि इतर भूमि	13.37 लाख रुपए (1910 वर्ग मीटर x 700 रुपए)	8.22	0.75	-
(ii)	--तदैव--	कृषि इतर	4.03 लाख रुपए भूमि कृषि भूमि के रूप में (2016 वर्गमीटर x 200 रुपए)	0.50	0.51	-
2.	उप निबंधक महमूदाबाद (सीतापुर)	--तदैव--	5.27 लाख रुपए (2419.8 वर्ग मीटर x 217.80 रुपए)	0.20	0.63	-
3.	उप निबंधक स्याना (बुलन्द शहर)	--तदैव--	2.88 लाख रुपए (1920 वर्गमीटर x 150 रुपए)	0.60	0.28	-
4.	उप निबंधक (मैनपुरी	--मदैव--	2.43 लाख रुपए (809.4 वर्गमीटर x 300 रुपए)	0.10	0.34	0.0014

अध्याय - 6

भू - राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 की अवधि में लेखा परीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखों तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जाँच परीक्षण से 321 मामलों में 375.80 लाख रुपए के भू-राजस्व का न लगाया जाना, संग्रह प्रभारों की कम वसूली तथा जोत बहियों के मूल्य की कम वसूली आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	भू-राजस्व का न लगाया जाना/ कम लगाया जाना	34	54.08
2.	संग्रह प्रभारों की कम वसूली	92	177.49
3.	अन्य अनियमिततायें	195	144.23
	'योग	321	375.80

वर्ष 1992-93 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 59 मामलों में निहित धनराशि 79.57 लाख रुपए में से 36 मामलों की निहित धनराशि 18.74 लाख रुपए वर्ष 1992-93 की लेखा परीक्षा में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । उदाहरणार्थ एक मामला जिसमें 10.43 लाख रुपए सन्निहित थे, नीचे दिया गया है ।

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम 1978 के अनुसार राजस्व प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे निगमों या बैंकिंग कम्पनियों से वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसमें निर्दिष्ट धनराशि के साथ कार्रवाई पर होने वाले व्यय (संग्रह प्रभारों) की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रुप में करेंगे । राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किये गये देयों के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार वसूली योग्य हो जाते हैं ।

नौ जनपदों की तेरह तहसीलों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान वसूल की गयी 1085.29 लाख रुपए की धनराशि पर 10.43 लाख रुपए संग्रह प्रभार की वसूली नहीं की गयी ।

उक्त मामले जून 1992 से जनवरी 1993 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1994) ।

अध्याय - 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

क - विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक विद्युत सुरक्षा निदेशकों/ नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों के जाँच परीक्षण से 59 मामलों में 95.32 लाख रुपए के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1.	विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	47	86.20
2.	ब्याज की वसूली न किया जाना	4	6.83
3.	निरीक्षण फीस की वसूली न किया जाना	8	2.29
	योग	59	95.32

वर्ष 1992-93 की लेखापरीक्षा के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 32 मामलों में रुपये 29.94 लाख का कम आंकलन स्वीकार किया जिनमें से वर्ष 1992-93 के 12 मामलों में 12.98 लाख रुपये की धनराशि सन्निहित है तथा शेष विगत वर्षों के। निम्नलिखित प्रस्तरों में अंकित उदाहरण स्वरूप 6.46 लाख रुपये के वित्तीय परिणाम के मामले दिये गये हैं :-

7.2 विद्युत शुल्क का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952 एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विद्युत शुल्क उपभोक्ताओं को विक्रय की गयी ऊर्जा के अनुसार उन दरों पर आरोपणीय है जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर अधिसूचित करती रहती है । विद्युत शुल्क की गणना हेतु अधिनियम में यह प्रावधान है कि विद्युत की आपूर्ति चाहे शुल्क सहित हो या कुछ उपभोक्ताओं को कम दर पर चाहे अनुज्ञापी या परिषद् द्वारा दी गयी हो, वह उसी भाँति लागू होगी जैसा कि अन्य

उपभोक्ताओं को दी गयी दरों पर लागू है । सरकार ने सितम्बर 1984 में स्पष्ट किया कि विद्युत की आपूर्ति जिसे रक्षा विभाग के नियुक्त अधिकारियों ने सैन्य अधिकारियों को दिया है चाहे शुल्क रहित की गयी हो या दरों में छूट दी गयी हो रक्षा विभाग ने चाहे शुल्क रहित दरों या छूट की दरों का अन्तर स्वयं वहन किया हो तो भी विद्युत शुल्क का भुगतान विद्युत की पूर्णदर से ही होगा । निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने अगस्त 1986 में पुनः परिपत्र निर्गत किया जिसमें रक्षा विभाग के समस्त नियुक्त अधिकारियों को विद्युत शुल्क की उसी दर से वसूली करने को कहा है जो साधारण उपभोक्ता को देय है ।

तीन नियुक्त अधिकारियों की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया (जुलाई 1992 एवं सितम्बर 1992) कि रक्षा विभाग के कर्मचारियों को धरेलू उपभोग के लिये माह अक्टूबर 1984 से सितम्बर 1991 तक शुल्क रहित अथवा छूट की दर पर रुपये 123.95 लाख यूनिट विद्युत उर्जा की आपूर्ति की गयी जिसमें 6.06 लाख रुपये की वसूली नहीं की गयी । मामलों का विवरण निम्नवत अंकित है :-

क्रम संख्या	नियुक्त अधिकारियों के नाम	कुल आपूर्ति की गयी यूनिट (लाख में)	उपयोग की अवधि	दरें	देय विद्युत शुल्क की धनराशि (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.(i)	दुर्ग अभियंता (एम.ई.यस.) कानपुर	15.31	अक्टूबर 984 से दिसम्बर 1986	चार पैसे प्रति यूनिट	0.62
(11)	--- तदैव ---	58.87	जनवरी 1987 से मार्च 1992	5 पैसे प्रति यूनिट	2.95
2.	दुर्ग अभियता (एम.ई.एस.) मेरठ	38.02	अप्रैल 1989 से जून 1992	तदैव	1.90
3.	दुर्ग अभियता (खेरिया) आगरा	11.75	सितम्बर 1990 से सितम्बर 1991 तक	तदैव	0.59
	योग	123.95			6.06

उपर्युक्त मामलों को विभाग तथा सरकार को माह सितम्बर 1992 एवं नवम्बर 1992 में

प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

7.3 विद्युत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज न वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञापी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित मीटर रीडिंग के दो माह के भीतर देय विद्युत शुल्क की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को किया जाना अपेक्षित है । धनराशि के न जमा होने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुज्ञापी द्वारा देय होगा । ब्याज की धनराशि प्रत्येक माह, जिसके लिए ब्याज प्रभार्य है, की समाप्ति के सात दिनों के अन्दर सरकारी कोषागार में अलग चालान से जमा की जायेगी ।

चुर्क (मिर्जापुर) के एक अनुज्ञापी की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया (अप्रैल 1992) कि अगस्त 1990 से दिसम्बर 1991 तक की अविध तक 8.34 लाख रुपये के विद्युत शुल्क की धनराशि एक मास से नौ महीनों तक के विलम्ब से जमा की गई। विलम्ब से भुगतान किये जाने पर अनुज्ञापी से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज 40248 रुपए देय था , परन्तु उसका आरोपण नहीं किया गया ।

मामले को विभाग एवं सरकार को सितम्बर 1992 एवं पुनः जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 1994) ।

ख गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क

7.4 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान लेखा परीक्षा मे किये गये चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लखों तथा सम्वद्ध अभिलेखों के नमूने जाँच से 0.64 लाख रुपये के गन्ने के क्रय पर देय क्रय कर का एवं 1.19 लाख रुपये शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर देय प्रशासनिक शुल्क के आरोपण न किये जाने / कम किये जाने के क्रमशः 9 एवं 2 मामले प्रकाश में आये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

(क)	गन्ना पर क्रय-कर	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	नियमों का अनुपालन न करने के कारण कर का कम निर्धारण	2	0.51
2.	बिना क्रय कर का भुगतान किये चीनी की निकासी	1	0.09
3.	अन्य अनियमिततायें	6	0.04
	योग	9	0.64

(ख) प्रशासनिक शुल्क

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	शीरे की छीजन के कारण प्रशासनिक शुल्क की हानि	2	1.19
	योग	2	1.19

वर्ष 1992-93 के दौरान संबंधित विभाग ने 11 मामलों में 174.25 लाख रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया । इनमें 0.48 लाख रुपये का एक मामला वर्ष 1992-93 के दौरान लेखा परीक्षा में इंगित किया गया था । 34.70 लाख रुपये के निदर्शनात्मक मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं :-

7.5 गन्ना क्रय पर कर का भुगतान न किया जाना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत चीनी के उत्पादन में प्रयुक्त गन्ने पर क्रय कर मिल से चीनी की निकासी के समय आरोपित किया जाता है । अधिनियम की धारा 3 ए की उपधारा (i) के अनुसार किसी भी चीनी मिल का मालिक चीनी मिल में उत्पादित चीनी की उपभोग अथवा बिक्री अथवा मिल में या बाहर किसी अन्य वस्तु के उत्पादन हेतु निकासी नहीं करेगा या करायेगा: जब तक वह अधिनियम की धारा के अन्तर्गत गन्ने पर आरोपित कर का भुगतान न कर चुका हो । राज्य सरकार ने 30 दिसम्बर 1988 को आदेश निर्गत किया जिसके अन्तर्गत क्रय कर का भुगतान वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक 5 वर्षों की अवधि के लिये स्थगित किया गया था जो सितम्बर 1990 में समाप्त हो गयी । तथाकथित आदेश की शर्तों के अनुसार मिल की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक समिति का गठन किया जाना था । स्थगित धनराशि के सुलभ भुगतान हेतु एक कोष स्थापित किया जाना था । दिसम्बर 1988 के कार्यकारी आदेश का संशोधन पुनः मई 1991 में किया गया ताकि गन्ना क्रय कर का भुगतान किस्तों में किया जा सकें ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया (जून 1990 और 1991) कि खीरी जनपद में वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि में 1.27 करोड़ कुन्तल गन्ना खरीदा गया जिसपर 170.10 लाख रुपये के क्रय कर की धनराशि इन सत्रों के दौरान उत्पादित 12,25,476 कुन्तल चीनी की निकासी के पूर्व उसी सत्र की अवधि में भुगतान किया गया था । चीनी मिल ने बिना गन्ना क्रय कर का भुगतान किये हुये समस्त उत्पादित चीनी वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक अपने कार्यकारी आदेश की शर्तों का अनुपालन किये बिना ही निकासी कर दिया । विभाग के पत्र दिनांकित 16 मई 1991 द्वारा माँगी गई 34.22 लाख रुपये की प्रथम किस्त का भुगतान भी चीनी मिल द्वारा नहीं किया गया ।

मामले को लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1990, अगस्त 1991 एवं दिसम्बर 1991) विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1993) कि 25 जनवरी 1993 के पत्र द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह मिल से गन्ना क्रय कर के रुप में भुगतान न की गई धनराशि के भुगतान हेतु आदेश निर्गत करें । भुगतान न किये गये कर की धनराशि की वसूली एवम् उस पर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड की वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचनायें प्राप्त नहीं हुयी हैं (जनवरी 1994) ।

7.6 कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर चीनी की निकासी न किये जाने के फलस्वरुप कर का कम भुगतान

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत चीनी के उत्पादन में प्रयुक्त गन्ने की खरीद पर कर मिल से चीनी की निकासी के समय आरोपित किया जाता है । इस उद्देश्य के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पेराई के सत्र के आरम्भ में (सितम्बर / अक्टूबर) पूर्वगामी सत्र के आधार पर चीनी के प्रति बोरे पर कर की अनन्तिम दर निर्धारित की जाती है और कर की अन्तिम दर सत्र के चीनी के अवशेष भण्डार तथा उसी सत्र के लिये अनन्तिम दर पर भुगतान की गयी कर की धनराशि को दृष्टि में रखकर पेराई सत्र (मार्च / अप्रैल) के अंत में निर्धारित की जाती है । पुनः अधिनियम के अनुसार चीनी मिल मालिक द्वारा भुगतान न किये गये कर की अवशेष धनराशि को मिल से चीनी की अन्तिम बोरी की निकासी के समय जमा करना अपेक्षित होता है । ऐसा न करने पर अधिनियम के अन्तर्गत वह देय अवशेष कर से अनधिक (शत-प्रतिशत) अर्थदण्ड का दायी हो जाता है ।

बरेली जनपद की एक चीनी मिल ने पेराई सत्र 1987-88 में 10.88 लाख कुन्तल गन्ना क्रय किया जिस पर सत्र के दौरान उत्पादित 86005 बोरे चीनी की कुल मात्रा पर गन्ना क्रय कर के रुप में 13.60 लाख रुपये की धनराशि (1.25 रुपया प्रति कुन्तल गन्ना की दर से) का भुगतान किया जाना था । करनिर्धारण अधिकारी ने प्रारम्भ में चीनी की निकासी पर प्रति बोरा 15.54 रुपये कर की अनन्तिम दर निर्धारित की और तत्पश्चात् 1 अक्टूबर 1988 से प्रति बोरा 16.42 रुपये की अन्तिम दर निर्धारित की । फिर भी चूंकि मिल ने कर का भुगतान नहीं किया, 1 जून 1989 से प्रति बोरे की दर 77.89 रुपया पुनरीक्षित कर दी गयी ।

मिल ने फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित दरों पर क्रय कर का भुगतान नहीं किया और लेखा परीक्षा के समय तक (सितम्बर 1992) क्रयकर के भुगतान हेतु 4,83,80 रुपये की धनराशि अवशेष रही । इसी बीच मार्च 1991 में चीनी के अन्तिम बोरे की निकासी कर दी गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1992) विभाग ने क्रय कर के बकाये को जमा करने हेतु 30 जनवरी 1993 को मिल को अनुदेश निर्गत किया तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम 1961 की धारा 3 ए (5) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया । कर की अवशेष

धनराशि की वसूली तथा अर्थदण्ड की वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना नहीं प्राप्त हुई है (जनवरी1994)।

मामला सरकार को नवम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जनवरी 1994) ।

अध्याय - 8

वन प्राप्तियां

8.1 लेखा-परीक्षा के परिणाम

1992-93 के दौरान लेखा-परीक्षा द्वारा की गई प्रभागीय अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पायी गईं अनियमितताएं मोटे तौर पर निम्नवत थीं :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	रायल्टी का गलत निर्धारण	97	2163.53
2.	पट्टा किराए का वसूल न किया जाना	17	564.40
3.	अर्थदण्डों का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	52	271.27
4.	लीसा निकालने में अनियमितताएं	21	126.60
5.	आरा मशीनों का पंजीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि	15	35.29
6.	तेंदू पत्तों के संग्रह एवं विक्रय में अनियमितताएं	2	32.23
7.	स्टाम्प शुल्क न लगाए जाने के कारण राजस्व की हानि	5	4.58
8.	विविध	128	1042.82
	योग	337	4242.72

वर्ष 1992-93 की अवधि के दौरान संबंधित विभाग ने 74 मामलों में निहित 109.96 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिनमें से 10.50 लाख रुपए के सरोकार वाले 7 मामलों को, लेखा-परीक्षा में, वर्ष 1992-93 के दौरान और शेष को पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया था । कुछ निदर्शी मामले और "प्रधान वनोत्पादों का दोहन" पर की गई समीक्षा के अधिगम जिनमें 1040.94 लाख रुपए सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए जा रहे हैं ।

8.2 प्रमुख वन उत्पादों का दोहन

8.2.1 प्रस्तावना

वन विभाग का राजस्व, मुख्यतः प्रधान तथा लघु वनोत्पादों के विक्रय से प्राप्त

किया जाता है । प्रधान वनोत्पादों में इमारती तथा जलावनी लकड़ियां आती हैं, जो प्रत्येक वर्ष, वन विभाग के कुल राजस्व के लगभग 80 प्रतिशत का जरीया बनती हैं । प्रधान वनोत्पादों के विकास के लिए बेहतर संरक्षण तथा पर्यवेक्षण मुहैया करने के उद्देश्य से, वनों के दोहन यानी वृक्षों को इमारती तथा जलावनी लकड़ी के रूप में बदलने का कार्य नवम्बर 1974 से उत्तर प्रदेश वन निगम को सौंपा गया है ।

वनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है और इन्हीं से वन विभाग , प्रत्येक वर्ष, राज्य के विभिन्न वनों में कटान के लिए वृक्षों की पहचान करता है । विभाग, ऐसे वृक्षों की क्षेत्र-वार और वर्गीकरण-वार (मजबूत , उपयुक्त और अनुपयुक्त) दोनों प्रकार की सूची तैयार करता है और तब "लाट" कहे जाने वाले ये चिन्हित वृक्ष, उ0 प्र0 वन निगम को दोहनार्थ हस्तान्तरित कर दिए जाते है । उ0 प्र0 वन निगम द्वारा वन में दोहन का कार्य "उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वनों में चिरान / कटान की शर्तों" नामक शर्तों से नियमित किया जाता है जिन्हें सितम्बर 1978 के शासकीय आदेश द्वारा निर्धारित किया गया है । इमारती तथा जलावनी लकड़ी में बदलने के लिए, वन के चिन्हित वृक्षों का जिम्मा संभालने के साथ ही, उ0 प्र0 वन निगम की गतिविधि की शुरुआत हो जाती है और निगम इसके बदले में, मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) , उ0 प्र0 वन निगम के प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित मण्डल के वन संरक्षक के साथ प्रत्येक वर्ष होने वाली बैठक में, शासन द्वारा इस संबन्ध में, समय समय पर जारी किए गए निदेशों के आधार पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर रायल्टी अदा करता है ।

8.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शीर्ष पर स्थित, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन कानूनों आदि के नियमन तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है । उसकी सहायता के लिए क्षेत्रीय स्तर पर 11 मुख्य वन संरक्षक, मण्डलीय स्तर पर 35 वन संरक्षक और प्रभागीय स्तर पर 34 प्रभागीय वन अधिकारी होते हैं। मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) नैनीताल, वनोत्पाद के दोहन के लिए अपनाई जाने वाली नियोजक, अनुश्रवण् तथा नियामक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है ।

8.2.3 लेखा-परीक्षा का कार्य-क्षेत्र

नियमों तथा शासकीय निदेशों / आदेशों का अनुपालन किस हद तक किया जा रहा है, यह देखने के उद्देश्य से जुलाई, 1992 से अप्रैल, 1993 तक के दौरान 84 वन प्रभागों (42 प्रादेशिक वन प्रभागों तथा 42 सामाजिक वानिकी प्रभागों) . में से 20 प्रभागों * तथा मुख्य वन संरक्षक

---

* बिजनौर वृक्षारोपण प्रभाग, पूर्वी बहराइच वन प्रभाग, देहरादून वन प्रभाग, हल्द्वानी वन प्रभाग, झांसी प्रभाग, लैण्ड्सडाउन प्रभाग, उत्तर गोरखपुर, ओबरा वन प्रभाग, रेनूकूट वन प्रभाग, दक्षिण गोरखपुर, दक्षिण लखीमपुर-खीरी, दक्षिण पीलीभीत, तराई पूर्व, तराई पश्चिम, टेहरी वन प्रभाग, पश्चिम अल्मोड़ा, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा , ललितपुर, मुरादाबाद तथा मुजफ्फर नगर वन प्रभाग

(प्रबंध एवं प्रशिक्षण), नैनीताल के कार्यालय में वर्ष 1987-88 से 1991-92 तक के दौरान किए गए प्रधान वनोत्पादों के विदोहन की समीक्षा की गई ।

8.2.4 मुख्य अंश

(i) विक्रय-सूचियों के सम्प्रेषण में विलम्ब, अर्थदण्ड संबंधी धारा के न जोडे जाने तथा लाटों पर काम न किए जाने के फलस्वरूप 464.73 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 8.2.6 (ख))

(ii) पांच क्षेत्रों में अवैध कटान के कारण वर्ष 1987-88 से 1991-92 तक की अवधि के लिए उ0 प्र0 वन निगम के विरुद्ध 13.52 लाख रुपए की धनरशि बकाया है ।

(प्रस्तर 8.2.6(ग)

(iii) रायल्टी की दरों का निर्धारण करते हुए मूल्य निर्धारण वर्ष के दौरान बाजार भाव में हुई असामान्य वृद्धि पर विचार नहीं किया गया ।

(8.2.7 (क) (ख) (i))

(iv) दो सामाजिक वानिकी प्रभागों में 46.51 लाख रुपए धनराशि की रायल्टी असंग्रहीत पड़ी रही ।

(8.2.7 (क) (ख) (ii))

(v) रायल्टी के गलत निर्धारण के कारण 16.05 लाख रुपए कम वसूल किए गए ।

(प्रस्तर 8.2.7 (क) (ख) (iii) (क तथा ख))

(vi) वर्ष 1991-92 की समाप्ति पर, उ0 प्र0 वन निगम से वसूली के लिए राजस्व का कुल बकाया 71.30 लाख रुपए था ।

(प्रस्तर 8.2.7 (ख))

(vii) सात मण्डलों में उ0 प्र0 वन निगम को समय दिए जाने के लिए कुल जोड़कर 7.68 लाख रुपए का शुल्क वसूल नहीं किया गया । समय बढ़ाने के लिए लगने वाले शुल्क की

अदायगी में विलम्ब पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं था ।

(प्रस्तर 8.2.7 (ग) (क))

(viii) आठ खण्डों में, 61 से 1583 दिनों तक के विलम्ब से अदा की गई किस्तों के लिए, कुल जोड़कर 83.86 लाख रुपए के विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई ।

(प्रस्तर 8.2.7 (ग) (ख))

(ix) खैर वृक्षों के उत्पादन के विषय में गलत आकलन के कारण 22.93 लाख रुपए की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.8 (ख))

8.2.5 प्रमुख वनोत्पादों की पैदावार तथा मूल्य

गत 5 वर्षों (1987-88 से 1991-92 तक) के दौरान प्रधान वनोत्पादों की कुल पैदावार तथा मूल्य निम्नवत था :-

वर्ष	इमारती लकड़ी		जलावनी लकड़ी		कुल मूल्य
	मात्रा (लाख घनमी में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (लाख घनमी में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपए में) (स्तम्भ 3 व 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1987-88	6.83	59.53	6.11	4.90	64.44
1988-89	6.99	66.95	5.27	4.53	71.48
1989-90	4.86	53.55	2.68	2.68	56.24
1990-91	4.86	61.53	2.84	3.26	64.80
1991-92	5.00	69.60	3.00	3.75	73.35

* 1991-92 के लिए आकड़े अनन्तिम हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि 1989-90 में प्रधान वनोत्पादों की पैदावार , पूर्व वर्ष के स्तर से तेजी से नीचे आई थी । पैदावार, उसके पश्चात, लगभग स्थिर रही । मुख्य वन संरक्षक (प्रबंध एवं प्रशिक्षण) ने बताया (मार्च 1993) कि उ0 प्र0 वन निगम में अपर्याप्त परिसंसाधनों एवं अत्यधिक कार्य भार के कारण आवंटन वर्ष में लाटों पर काम नहीं किया गया । इस उत्तर से तेजी से आयी गिरावट का स्पष्टीकरण नहीं होता ।

8.2.6 प्रमुख वन उत्पादों का दोहन

(क) लाटों का आवंटन

वन विभाग , प्रत्येक वर्ष, राज्य के विभिन्न वनों में कटान के लिए वृक्षों की पहचान करता है, क्षेत्र तथा वर्गीकरण (मजबूत, उपयुक्त तथा अनुपयुक्त वृक्ष) दोनों के अनुसार ऐसे वृक्षों की एक सूची तैयार करता है और तब लाट पुकारे जाने वाले ये चिन्हित वृक्ष विदोहनार्थ उ0 प्र0 वन निगम को हस्तान्तरित कर दिए जाते है । शासनादेश 1978 के अनुसार कल्चर* आपरेशन लाटों को छोड़कर, जिन्हें प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक 31 जनवरी तक हस्तान्तरित किया जाना था, हस्तान्तरित किए जाने वाले लाटों के सम्बन्ध में विक्रय-सूची प्रत्येक वर्ष उ0 प्र0 वन निगम को अधिक से अधिक 31 अक्टूबर तक सुलभ करवाई जानी थी ताकि जैसा कि लाटों की सूची में इंगित है, निर्धारित समय के भीतर विदोहन-कार्य को पूरा किया जा सके ।

वर्ष 1987-88 से 1991-92 तक के दौरान तीन मण्डलों में आवटंन के उपरान्त लाटों की कटान में कमी निम्नवत थी :-

---

* कल्चर आपरेशन में उन वृक्षों की कटान, जिन्हें चिन्हित करके काटा नहीं गया था, क्षति ग्रस्त विरवों की छंटाई, खर-पतवार की सफाई, अधिक मूल्यवान प्रजातियों को दबाने वाली घटिया प्रजातियों का हटाना, छटाई तथा फसल की बेहतरी के लिए अन्य कार्य-कलाप सम्मिलित है ;

रीजन/सर्किल	---- लाटों की संख्या ---			कटान में कमी की
का नाम	आंवटित	जिन पर कार्य हुआ	जिन पर कार्य नही हुआ	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पूर्वीक्षेत्र				
वाराणसी-I	422	355	67	16
वाराणसी-II	116	93	23	20
पूर्वी	2704	2496	208	8
इलाहाबाद	132	49	83	63
	3374	2993	381	11
कुमायूं क्षेत्र				
कुमायूं	1544	1544	-	-
टिम्बर आपूर्ति	1203	1203	-	-
पश्चिमी	8030	6895	1135	14
	10777	9642	1135	11
पश्चिमी क्षेत्र				
मेरठ	788	527	261	33
मुरादाबाद	340	238	102	30
बरेली	948	832	116	12
बृजभूमि	311	134	177	57
	2387	1731	656	27

पांच प्रभागों की नमूना - जांच में देखा गया कि प्रभागों द्वारा बिक्रय-सूचियों के सम्प्रेषण (जनवरी 1992 तथा अप्रैल 1992 के मध्य) में विलम्ब के कारण उ0 प्र0 वन निगम को वर्ष 1991-92 में आबंटित 114 लाटों का दोहन अनुबद्ध वर्ष में नहीं किया जा सका ।

मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) ने बताया (मार्च 1993) कि लाटों में अवैध कटान , कंटीलेतार की बाड़ की अनुपलब्धता के कारण चिन्हित वृक्षों की कमी, उ0 प्र0 वन

निगम के अपर्याप्त संसाधन तथा दीमक खुर्दा लाटों पर काम न होने के कारण थे ।

(ख) लाटों का निस्तारण

(i) उ0 प्र0 वन निगम से संबंधित आवंटन-नियमों के अनुसार पूरक/कल्चर आपरेशन लाटों की विक्रय-सूची, प्रत्येक वर्ष, प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा उ0 प्र0 वन निगम को अधिक से अधिक 31 जनवरी तक हस्तान्तरित की जानी थीं और उ0 प्र0 वन निगम , विक्रय सूची प्राप्त करने तथा आबटंन को निगम के प्रतिनिधि द्वारा बाउण्डरी-रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा के स्वीकार करने के पश्चात ही विदोहन के लिए उत्तरदायी होगा । उ0 प्र0 वन निगम यदि आबंटित वर्ष में लाटों का संपादन न करें तो इसके लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं किया गया था । फिर भी उ0 प्र0 वन निगम को नियमों के अन्तर्गत लाटों का प्रभार संभालने की तिथि से काम पूरा होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक लाटों में आने वाली किसी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था ।

चार प्रभागों की नमूना -जाचं (जुलाई 1992 से अप्रैल 1993) में पाया गया कि बिक्रय-सूचियों के सम्प्रेषण में विलम्ब तथा आवंटन नियमों में दण्ड की धारा के शामिल न किए जाने के कारण विभाग ने 449.71 लाख रुपए की हानि उठाई, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है :-

क्रमांक	प्रभाग का नाम	वर्ष जिनसे लाटों का संबंध है मय मात्रा तथा दिनांक जिस पर लाटों को हस्तगत करादेना चाहिए था				दिनांक जिसपर लाट वस्तुतः हस्तगत कराये गये	वसूल नहीं किया गया राजस्व (लाख रुपए में)
		वर्ष	लाटों की संख्या	मात्रा (घ0मी0 में)	दिनांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.(i)	दक्षिणी गोरखपुर	1982-83	6	90.712	31.1.83	13.3.84	5.36
(ii)	वन प्रभाग गोरखपुर	1983-84	7	303.583	31.1.84	तदैव	
			13	394.295			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.(i)	उत्तरी गोरखपुर	1982-83	32	-	31.1.83	अनुपलब्ध	
(ii)	वन प्रभाग गोरखपुर	1983-84	55	-	31.1.84	तदैव	444.35
		1984-85	11	-	31.1.85	तदैव	
		1985-86	9	-	31.1.86	तदैव	
			107	31,801.44			

दोनों मामलों में विभाग ने बताया (अगस्त 1992) कि मामले की छान-बीन के पश्चात मांग सृजित की जाएगी ।

(ii) टिहरी वन प्रभाग में यह भी देखने में आया (अप्रैल 1993) कि यद्यपि वर्ष 1979-80 हेतु विक्रय - सूचियां समय से सम्प्रेषित कर दी गई थीं, फिर भी उ0 प्र0 वन निगम द्वारा 6 लाटों का (14184 घमी) समय से संपादन न किये जाने के कारण 15.02 लाख रुपए का राजस्व वसूल नहीं किया गया था ।

विभाग द्वारा बताया गया (अप्रैल 1993) कि हरे वृक्षों की कटान पर रोक लगा दिए जाने के कारण लाटों का दोहन नहीं किया जा सका। फिर भी, उत्तर तर्क-संगत नहीं है क्योंकि रोक मार्च 1981 से लगायी गई थी जब कि लाटों पर कार्य-संपादन अधिक से अधिक जून 1980 तक पूरा किया जाना था ।

(ग) अवैध कटान

उ0 प्र0 वन निगम के संबन्ध में बनाए गए सितम्बर 1978 के आवंटन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दिया है कि सरोकार रखने वाले मण्डल के विक्रय-नियम उ0 प्र0 वन निगम पर भी ठीक उसी ढंग से लागू होंगे जैसा कि वे पट्टाधारियों के मामले में लागू होते हैं । विक्रय- नियमों के अनुसार, उ0 प्र0 वन निगम, विदोहन के दौरान लाटों के अवैध तथा असावधानी पूर्ण कटान के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार की अवैध कटान के संबंध में, अपराध की गम्भीरता पर निर्भर विभिन्न दरों से मूल्य तथा मुआविजा, उ0 प्र0 वन निगम से वसूल किया जा सकेगा ।

1987-88 तथा 1991-92 के मध्य उ0 प्र0 वन निगम के विरुद्ध पांच क्षेत्रों (पूर्वी, गढ़वाल, कुमाऊं, पश्चिमी तथा वन्य जीवन) में कुल मिलाकर 16.21 लाख रुपए की मांग सृजित की गयी थी । उपर्युक्त माँग के विरुद्ध उ0 प्र0 वन निगम द्वारा 2.69 लाख रुपए जमा कर दिए गये थे (फरवरी 1993) । 13.52 लाख रुपए की वसूली के विषय में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1994) ।

8.2.7 प्रमुख बनोत्पादों से प्राप्त राजस्व

(क) रायल्टी का निर्धारण

प्रधान वनोत्पाद में इमारती तथा जलावनी लकड़ी आती है । प्रत्येक वर्ष, वन विभाग, शासन द्वारा समय -समय पर जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर उ0 प्र0 वन निगम से वसूल की जाने वाली प्रधान वनोत्पाद रायल्टी तय करता है (सर्किल वार)। शासन के 20 सितम्बर 1983 के आदेशों के अनुसार, उ0 प्र0 वन निगम से 1983-84 तथा बाद के वर्षों के लिए रायल्टी पूर्व वर्ष की रायल्टी में निम्नांकित वृद्धियां जोड़ने के पश्चात वसूल की जाएगी ।

(क) उ0 प्र0 वन निगम द्वारा पूर्व वर्ष बेची गई इमारती लकड़ी के मूल्य में पूर्ववर्ती वर्ष के मूल्य पर हुई प्रतिशत वृद्धि ।

(ख) मूल्य निर्धारण वर्ष में बाजार-दर में हुई असामान्य वृद्धि, यदि कोई हो ।

(i) मुख्य वन संरक्षक (प्रबंध एवं प्रशिक्षण), नैनीताल के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (मार्च 1993) कि विभाग ने बाजार-दरों का कभी पता नहीं लगाया और प्रतिशत वृद्धियों पर आधारित रायल्टी ही तय कर दी । इससे आदेशों का उद्देश्य ही पराजित हो गया । 1983-84 से लेकर, किसी भी वर्ष के दौरान, बाजार-दर के संकेत की अनुपस्थिति में, लेखा-परीक्षा अकलन के कारण हुई राजस्व की हानि का परिकलन नहीं कर सकी।

(ii) आवंटन नियमों के अनुसार, वन विभाग के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च की पहली तारीख से पहले-पहले रायल्टी की दरें तय कर देना आवश्यक होता है ताकि उ0 प्र0 वन निगम प्रत्येक वर्ष पहली मार्च, पहली जून तथा पहली सितम्बर को तीन किस्तों में निर्धारित दर से रायल्टी जमा कर सके । शासन ने उ0 प्र0 वन निगम को 1989-90 से सामाजिक वानिकी प्रभागों के वनोत्पाद के विदोहन की जिम्मेदारी पर लगाया (अक्टूबर 1989) ।

तीन सामाजिक वानिकी वन प्रभागों (इटावा, मुरादाबाद तथा मुजफ्फर नगर) के जांच परीक्षण में देखा गया कि 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के लिए रायल्टी का निर्धारण नहीं किया गया था ।

मुख्य वनसंरक्षक (प्रबंध एवं प्रशिक्षण) ने बताया (मार्च 1993) कि रायल्टी पूर्व वर्ष की दरों के आधार पर वसूल की जा रही है तथा अंतिम रायल्टी के निर्धारण की कार्रवाई प्रगति पर है ।

इसके बाद , 2 सामाजिक वानिकी वन प्रभागों (मुजफ्फर नगर तथा मुरादाबाद) में देखा गया कि उपर्युक्त आधार पर निर्धारित कुल मिलाकर 46.51 लाख रुपए की रायल्टी, उ0 प्र0 वन निगम से वसूल नहीं की गई है ।

(iii) अभिलेखों के जांच परीक्षण से उद्घाटित हुआ कि रायल्टी, निम्नलिखित मामलों में त्रुटि-पूर्ण ढ़ंग से निर्धारित की गई थी ।

(क) जैसा की उ0 प्र0 वन निगम ने सूचित किया था, 1985-86 में, मध्य सर्किल में साल, जामुन, तथा असना के संबंन्ध में विक्रय मूल्य में वृद्धि क्रमशः 44.70 प्रतिशत, 39.60 प्रतिशत तथा 22.38 प्रतिशत थी । इस प्रकार वर्ष 1986-87 के लिए उपर्युक्त प्रजातियों की रायल्टी, साल, जामुन तथा असना वृक्षों की 1985-86 की रायल्टी दरों में क्रमशः 45 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत जोड़ते हुए निर्धारित की जानी चाहिए थी । मुख्य वन संरक्षक (प्रबंध तथा प्रशिक्षण) ने रायल्टी का निर्धारण त्रुटिपूर्ण ढंग से किया और मध्य तथा पूर्वी मण्डलों में प्राप्त की गई, बिक्रय मूल्य की भारित औसत वृद्धि के आधार पर साल, जामुन और असना के लिए दरों में क्रमशः 35, 26 तथा 9 प्रतिशत की वृद्धि मान ली जो शासकीय आदेशों के विपरीत था । इस प्रकार, दक्षिणी पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत में उ0 प्र0 वन निगम को 7056 घनमीटर इमारती लकड़ी की आपूर्ति पर रायल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के परिणामस्वरुप 13.99 लाख रुपए की राजस्व - हानि हुई ।

(ख) दक्षिणी गोरखपुर वन प्रभाग में वर्ष 1984-85 में उ0 प्र0 वन निगम को आपूर्त कुकाठ* की रायल्टी की दर 1656 रुपए प्रति धनमीटर थी। उ0 प्र0 वन निगम द्वारा बिक्री की गई कुकाठ के विक्रय मूल्य में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 9, 6 तथा 6.46 प्रतिशत थी । मुख्य वन संरक्षक (प्रबंध तथा प्रशिक्षण) ने संबंधित वर्ष में पूर्वोक्त वृद्धि को नहीं माना और वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान 1656 रुपए प्रति धनमीटर की दर से रायल्टी वसूल की जिसके परिणाम स्वरुप उ0 प्र0 वन निगम को 912.46 धनमीटर कुकाठ की आपूर्ति किए जाने पर 2.06 लाख रुपए की रायल्टी की कम वसूली हुई ।

---

* कुकाठ से तात्पर्य अवाणिज्यिक इमारती लकड़ी से है ।

(ख) उ0 प्र0 वन निगम से प्राप्य रायल्टी के बकाये

वर्ष 1991-92 की समाप्ति पर संग्रहण के लिए लम्बित 113.89 लाख रुपए की धनराशि के कुल राजस्व बकाये, कार्रवाई के निम्नलिखित चरणों में थे -

	वसूली की मद	धनराशि (लाख रुपए में)
(क)	समायोजित की जाने वाली जमानत	13.57
(ख)	स्लीपर तथा डी0 जी0 एस0 डी0	15.11
(ग)	डी0 एफ0 ओ0	13.91
(घ)	उत्तर प्रदेश वन निगम	71.30
	योग	113.89

उत्तर प्रदेश वन निगम के विरुद्ध लम्बित बकायों का वर्षवार विभाजन निम्नानुसार था :-

वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)
1987-88 तक	7.56
1989-90 से 1991-92 तक	63.74
योग	71.30

लेखापरीक्षा में, यह बात और जानकारी में आई कि वसूली के लिए शेष 113.89 लाख रुपए की धनराशि के अतिरिक्त, वसूली प्रमाण - पत्र कार्रवाईयों के अन्तर्गत भी 604.40 लाख रुपए धनराशि की मागें निकलती हैं । इस धनराशि में जुलाई 1961 तथा अगस्त 1993 के मध्य निर्गत वसूली प्रमाण-पत्रों की धनराशियां सम्मिलित है । तथापि, विभाग ने बकाया धनराशि की वसूली हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की है ।

(ग) अन्य श्रेणियों के शुल्क की वसूली न किया जाना

(क) विस्तार शुल्क की-वसूली न किया जाना

उ0 प्र0 वन निगम, यदि कार्यादेश के अनुसार अनुबद्ध समय के भीतर वृक्षों की

कटान का कार्य सम्पन्न करवाने में असफल ठहरता है तो उससे विस्तार शुल्क की वसूली की जा सकती है । मुख्य वन संरक्षक के फरवरी 1957 में जारी तथा सितम्बर 1978 में उ0 प्र0 वन निगम तक विस्तारित आदेशों के अनुसार इमारती लकड़ी की लाटों के विक्रय मूल्य पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह और जलावनी लकड़ी की लाटों के विक्रय मूल्य पर 1/2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विस्तार शुल्क जिसका 30 रुपये के गुणांक में होना शर्त है, उ0 प्र0 वन निगम से वसूली योग्य है । विदोहन का कार्य यदि बढ़ाई गयी अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाता है तो विस्तार शुल्क के रूप में अधिक वसूल की गई धनराशि वापसी योग्य है ।

सात मण्डलों * में उ0 प्र0 वन निगम को वर्ष 1987-88 और 1991-92 के मध्य 398 लाटें आबंटित की गई थीं । उ0 प्र0 वन निगम ने अनुबन्धित अवधि के भीतर लाटों का विदोहन नहीं किया । परिणामस्वरुप, कुल मिलाकर 20.51 लाख रुपए होने वाले विस्तार-शुल्क की अग्रिम रूप में वसूली किए बिना , फरवरी 1993 तक समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई थी । इसमें से विस्तार शुल्क की केवल 12.83 लाख रुपए की धनराशि ही उ0 प्र0 वन निगम से वसूल की जा सकी । इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया के अननुपालन के कारण कुल मिलाकर 7.68 लाख रुपए का विस्तार शुल्क वसूली के लिए शेष पड़ा रहा। विस्तार शुल्क के विलम्ब से अदा किए जाने पर ब्याज की अदायगी का भी कोई प्रावधान नहीं था ।

(ख) बिलम्ब शुल्क की वसूली न किया जाना

शासकीय आदेशों (सितम्बर 1987) के अनुसार उ0 प्र0 वन निगम को प्रत्येक वर्ष , पहली मार्च, पहली जून तथा पहली सितम्बर को तीन किस्तों में रायल्टी जमा करनी आवश्यक थी जिसमें असफल रहने पर उनसे 60 दिनों तक के विलम्ब के लिए 2 पैसे प्रति 100 रुपए प्रति दिन तथा 60 दिन से ऊपर के विलम्ब के लिए 5 पैसे प्रति 100 रुपए प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूली योग्य था ।

आठ प्रभागों ** के जांच परीक्षण में यह देखा गया कि उ0 प्र0 वन निगम ने वर्ष 1987-88 से 1991-92 तक की अवधि के लिए किस्तों की अदायगी में 61 दिनों से 1583 दिनों तक का विलम्ब किया था, और कुल मिलाकर 83.86 लाख रुपए का बिलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया गया

----

* बरैली, पूर्वी, कुमाऊं , मेरठ, मुरादाबाद, पश्चिमी, यमुना ।

** पूर्वी बहराइच, हल्द्वानी, लैसंडाउन, मुजफ्फर नगर, उत्तर गोरखपुर, दक्षिण गोरखपुर, दक्षिण पीलीभीत तथा दक्षिण लखीमपुर-खीरी ।

था । उत्तरी गोरखपुर , दक्षिणी पीलीभीत और सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फर नगर में तो विलम्ब शुल्क की माँग तक सृजित नहीं की गयी थी ।

8.2.8 अन्य रोचक मामले

(क) कार्य योजना का पालन न किया जाना

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फर नगर की कार्य-योजना (1982-83 से 1991-92 तक) में 7000 रुपए प्रति पंक्ति - किलोमीटर की दर से राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से 10 वर्ष के अन्तराल पर सड़क के किनारे लगाए गए युक्लिप्टस के वृक्षों (मार्ग वृक्षावली) की कटान को समावेशित किया गया।

1986-87 तथा 1991-92 के मध्य , मार्ग वृक्षावली की 535 कि० मी० लम्बाई में यूक्लिप्टस के वृक्ष लगाये गये और विदोहन के लिए तैयार हो गये । फिर भी उनकी कटान नहीं की गई क्योंकि अक्टूबर 1984 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 30 वर्ष का कटान-चक्र निर्धारित किया था । प्रभागीय वनाधिकारी ने मुख्य वन संरक्षक (प्रबंध एवं प्रशिक्षण) को सूचित किया (अक्टूबर 1992) कि यदि 30 वर्षों का चक्रानुक्रम अपनाया गया तो 2 कापिस * -सूटों के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा । अक्टूबर 1984 के अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान था कि 30 वर्षीय चक्र, तैयारी में चल रही कार्य योजनाओं पर तथा भविष्य की कार्य-योजनाओं के लिए लागू होगा । वन संरक्षक कार्य-योजना वृत्त-द्वितीय, नैनीताल ने जिन्हें यह मामला संदर्भित किया गया था, स्पष्ट किया (अप्रैल 1993) कि कार्य-योजना में दी गई बातों का पालन किया जाना चाहिए । इस प्रकार, अक्टूबर 1984 में जारी किए गए अनुदेशों का गलत अर्थ लगाने के कारण, कार्य- योजना की निर्दिष्टियों का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरुप , जैसा कि कार्य- योजना में प्रक्षिप्त है, 3.74 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व की प्रतिवर्ष हानि हुई ।

(ख) खैर वृक्षों की पैदावार का त्रुटिपूर्ण आकलन

जून 1978 तथा सितम्बर 1978 के आदेशों के साथ पठित अक्टूबर 1969 के विभागीय स्थाई आदेशों के अनुसार खैर वृक्षों में खैर प्रकाष्ठ की मात्रा निम्नलिखित आयतन कारकों को लागू करके आगणित की जाती है ।

---

* कापिस- नियत कालिक कटाई के लिए लगाए जाने वाले लघु वृक्षों का क्षेत्र

हरावृक्ष	(योग्य) :	1	आयतन
हरावृक्ष	(अयोग्य) :	1/2	आयतन
सूखा वृक्ष	(योग्य) :	3/4	आयतन
सूखा वृक्ष	(अयोग्य) :	3/8	आयतन

खैर वृक्षों के गलत आकलन के कारण हुई राजस्व हानि के विषय में उल्लेख भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के प्रतिवेदनों (राजस्व- प्राप्तियां) के प्रस्तरों 8.4 और 8.3 में क्रमशः किया गया था । यह देखा गया (जून 1992) कि बिजनौर वृक्षारोपण प्रभाग, कोटद्वार में उ0 प्र0 वन निगम को 38 लाटें (13 लाटें वर्ष 1989-90 में तथा 25 लाटें वर्ष 1990-91 में) आवंटित की गई थीं । प्रभाग ने पैदावार का आगणन निम्नलिखित फार्मूला लागू करते हुए किया जो खैर के वृक्षों से इतर वृक्षों पर लागू होता है ।

हरा वृक्ष	(योग्य) :	2/3	आयतन
हरावृक्ष	(अयोग्य):	1/3	आयतन
सूखावृक्ष	(योग्य) :	1/2	आयतन
सूखावृक्ष	(अयोग्य):	1/4	आयतन

खैर प्रकाष्ठ के 588.598 धनमीटर की पैदावार के गलत आकलन के फलस्वरुप 22.93 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व की हानि हुई।

उपर्युक्त टिप्पणियां शासन को जुलाई 1993 में प्रतिवेदित की गई थीं; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

8.3 लाटों का नीलाम न किया जाना

विभाग के विक्रय-नियमों के अनुसार तराई क्षेत्र के वन प्रभागों द्वारा स्थानीय कृषकों को कृषि-उद्देश्य के लिए नीलामी के माध्यम से, पट्टे पर लाटें आवंटित की जाती है ।

तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी तथा तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के अभिलेखों के जांच परीक्षण से उद्घाटित हुआ(मार्च 1993) कि मई तथा जून 1992 में, 190 लीज-लाटें 84.96 लाख रुपए में नीलाम की गई थीं। फिर भी शासकीय आदेश दिनांकित 18 जून 1992 के द्वारा वन भू-खण्डों के पट्टे पर उठाए जाने पर प्रतिबन्ध लग जाने के मद्देनजर, इन लाटों की नीलामी को अन्तिम रुप नहीं दिया जा सका । शासन ने बाद में उक्त आदेश द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध उठा लिया (दिसम्बर 1992) । इन लाटों को प्रभागों ने अभी तक (जून 1993) दोबारा नीलाम नहीं किया है । परिणामस्वरुप, विभाग ने लीज-लाटों की नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के

अविवेक पूर्ण निर्णय के कारण 84.96 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व का नुकसान उठाया ।

उत्तर में, प्रभागों ने बताया (जून 1993) कि लाटों की दोबारा नीलामी , शासन के प्रतिबन्ध संबंधी आदेश के मद्देनजर नहीं करवाई गई थी । प्रभागों के उत्तर धार्य नहीं हैं क्योंकि शासन ने लीज-लाटों पर लगा प्रतिबन्ध दिसम्बर 1992 से ही उठा लिया था ।

मामला शासन को जुलाई 1993 में सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

8.4 पट्टों के किराए की वसूली न किया जाना

वन विभाग, वन भूखण्डों को पट्टे पर उठाता है और पट्टा-धारियों से वार्षिक पट्टा किराया वसूल करता है ।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून के अभिलेखों की जांच-परीक्षा (सितम्बर 1991) से उद्घाटित हुआ कि शासनादेश दिनांकित 21 मार्च 1961 के अनुसार 15 एकड़ का एक वन भू-खण्ड, एक निजी संगठन को 150 रुपए के वार्षिक किराए पर , बीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था (मार्च 1961) । 20 मार्च 1981 को पट्टे की अवधि के समाप्त हो जाने पर पट्टा-धारी को भू-खण्ड खाली करना था । पट्टाधारी ने भू-खण्ड खाली नहीं किया । विभाग ने पट्टे के नवीनीकरण तथा पट्टा - किराए के पुनर्निर्धारण के लिए राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रार्थना की (अक्टूबर 1988) लेकिन 1981 से किसी प्रकार का पट्टा किराया नहीं वसूल किया ।

पूछे जाने पर विभाग ने बताया (जून 1993) कि अनुमोदन अभी प्रतीक्षित था और पट्टाधारी से (मार्च 1993 तक) पट्टा किराए के रुप में 42.42 लाख रुपए वसूल किया जाना शेष था ।

पट्टे के नवीनीकरण तथा पट्टे किराए के पुनर्निर्धारण में विलम्ब के परिणाम स्वरुप 42.42 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व की वसूली नहीं हुई है ।

मामले की सूचना शासन तथा विभाग को जुलाई 1993 में दी गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

8.5 पौधों के लागत मूल्य की वसूली न किया जाना

मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), उत्तर प्रदेश ने वितरण के समय,

लाभार्थियों से रुपए 0.40 प्रति पौधा की दर से पौधों का मूल्य वसूल करने के लिए एक आदेश जारी किया (जून 1971)।

वन संरक्षक (मोनीटरिंग तथा मूल्यांकन), सामाजिक वानिकी, उ0 प्र0 के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 1992) से उदघाटित हुआ कि वन प्रभागों ने जुलाई 1991 से फरवरी 1992 तक की अवधि के दौरान 40 जिलों में 35.19 लाख पौधों का वितरण नि:शुल्क रुप से किया । इसके परिणामस्वरुप 14.08 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

मामले की सूचना मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), उ0 प्र0 को दी गई, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

मामला शासन को जुलाई 1993 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

8.6 वृक्षों का लेखा न रखने के कारण हानि

"भदवारी भैंस तथा जमुनापारी बकरी प्रजनन परिक्षेत्र" की स्थापना के लिए शासन ने भारत सरकार के औपचारिक आदेशों की प्रत्याशा में, पशु पालन विभाग को इटावा जिले के फिशार वन खण्ड में 200 हेक्टेयर के वन भू-खण्ड का हस्तान्तरित किया जाना अनुमोदित किया (अप्रैल 1981)। अनुमोदन इस शर्त का पाबन्द था कि भू-खण्ड पर उपलब्द्ध किन्ही भी वृक्षों को काटा नहीं जाएगा और चारे के उद्देश्य से अतिरिक्त वृक्षारोपण करते हुए एक वन के रुप में, भू-खण्ड का रख-रखाव किया जाएगा ।

अनुसरण में सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा ने अगस्त 1981 में, पशु पालन विभाग को 74.85 हेक्टेअर का वन भू-खण्ड हस्तान्तरित कर दिया।

प्रभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच (दिसम्बर 1992) से उदघाटित हुआ कि पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित किए जाते समय भू-खण्ड पर 16.29 लाख रुपए की कीमत वाले 6211 वृक्ष उपलव्ध थे लेकिन प्रभाग ने वृक्षों की सूची के अनुसार इसकी पावती स्वीकृति नहीं हासिल की । पशु पालन विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 1991) कि असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ वृक्षों की कटान कर ली गई थी और यह कि वन विभाग द्वारा भू-खण्ड के साथ हस्तान्तरित वृक्षों की सूची, उनके पास उपलब्ध नहीं थी । मार्च 1992 में किए गए एक संयुक्त निरीक्षण में, मौके पर केवल 128 वृक्ष उपलव्ध पाए गए। इस प्रकार पशु पालन विभाग को वृक्षों के भौतिक रुप से हस्तान्तरित करने और पूर्वोक्त भू-खण्ड पर प्रारंभ में उपलबध वृक्षों की वास्तविक संख्या की पावती-स्वीकृति प्राप्त करने में वन विभाग की विफलता के कारण, शासन ने 12.46 लाख रुपए की धनराशि की राजस्व हानि उठाई ।

यह विभाग को सुझाया गया (दिसम्बर 1992); उनका अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

मामला शासन को जुलाई 1993 में प्रतिवेदित किया गया । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994)।

8.7 लीसा दोहन की कमी

प्रत्येक वर्ष, वन प्रभाग, अपनी कार्य-योजना के अनुसार लीसा के निष्कर्षण के लिए वृक्षों का चयन करते हैं । लीसा का निष्कर्षण चयनित वृक्षों में, विनिर्दिष्ट संख्या में नालियां लगा कर किया जाता है ।

पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग की लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आया (अक्टूबर 1992) कि फसल-वर्ष 1991 के दौरान लीसा के निष्कर्षण हेतु 17,49,956 नालियां लगायी गई थीं। इन नालियों से 27,801 क्विन्टल की कुल मात्रा में लीसा पैदा की जानी थी । प्रभाग केवल 17,32,101 नालियों को काम में ला सका जिससे 26,884 क्विटंल लीसा की पैदावार हुई । इस प्रकार 17,855 नालियों को काम में नहीं लाया गया जिसके परिणामस्वरूप 7.78 लाख रुपए कीमत की 917 क्विन्टल लीसा कम पैदा हुई ।

इसके सुझाए जाने पर (अक्टूबर 1992) विभाग ने बताया (अक्टूबर 1992) कि जहां लीसा-कर्मियों ने कार्य नहीं किया वहां कुशल श्रमिकों की व्यवस्था करने में विलम्ब हुआ । यह उत्तर विभाग की नियोजन संबंधी कमी को इंगित करता है ।

मामले की सूचना शासन को जुलाई 1993 में दी गई थी ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

8.8 रायल्टी की कम वसूली

रायल्टी समिति के निर्णय (नवम्बर 1984) के अनुसार , वाराणसी मण्डल - द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले पूर्वी तथा पश्चिमी मिर्जापुर प्रभागों में स्थित एक वन कूपे में बांसों की पैदावार पर रायल्टी 15.52 रुपए प्रति कोड़ी * की दर से वसूल की जानी है । अदायगी में चूक की स्थिति में क्रेता को 30 दिनों से अधिक लेकिन 60 दिनों से अनधिक के विलम्ब के लिए 2 पैसे प्रति

---

* कोड़ी- 20 बांसों का एक बन्डल

सौ रुपए प्रति दिन की दर से तथा 60 दिनों से अधिक के विलम्ब के लिए 5 पैसे प्रति सौ रुपए प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क अदा करना होगा ।

पूर्वी तथा पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान (सितम्बर 1991 तथा दिसमबर 1991) पैदावारी पंजी से उदघाटित हुआ कि उ0 प्र0 वन निगम द्वारा 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान 40.68 लाख रुपए की कीमत के 2,62,158.85 कोड़ी बांस उठाए गए थे । इसके विरुद्ध , केवल 36,570.50 कोड़ी की पैदावार पर 5.67 लाख रुपए अदा किए मए थे । 35.01 लाख रुपए की अवशेष धनराशि उ0 प्र0 वन निगम द्वारा अदा नहीं की गई थी । वन विभाग ने नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कोई विलम्ब शुल्क भी नहीं आरोपित किया था ।

प्रकरण शासन को जुन 1992 में प्रतिवेदित. किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

8.9 वृक्षों की अवैध कटान

उत्तर प्रदेश वन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वृक्षों की अवैध कटान के मामले सामने आने पर वन रक्षकों तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे 24 घन्टे के भीतर राजि अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । राजि अधिकारी, इस प्रतिवेदन को, उस पर की गई कार्रवाई की सूचना सहित प्रभागीय वन अधिकारी के पास 3 दिनों के भीतर भेज देगा ।

उत्तरी गोरखपुर वन प्रभाग के वन में वृक्षों की अवैध कटान के बारे में मुखबिरों से मौखिक शिकायतें मिलने पर प्रभागीय वन अधिकारी ने वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए वनों को छानने का आदेश दिया । सहायक वन संरक्षक (मुख्यालय), गोरखपुर वन प्रभाग ने, जिसने निचलौल रेंज (अप्रैल - मई 1990) तथा मधोलिया रेंज (जून 1991) को छानने का काम संचालित किया, प्रतिवेदित किया कि 11.32 लाख रुपए की कीमत के 1439 वृक्षों को 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान काट डाला गया था ज़बकि केवल 1.14 लाख रुपए की कीमत के वृक्षों की कटान की पकड़ की गई थी और राजि अधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत किया गया था । पूर्वोक्त अवधि के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक प्रतिवेदनों में 10.18 लाख रुपए की कीमत के वृक्षों की अवैध कटान का विवरण नहीं था ।

इस प्रकार अवैध कटानों को रोकने और प्रतिवेदित करने में वन कर्मियों की विफलता के परिणामस्वरुप 10.18 लाख रुपए के मूल्य के वृक्षों का नुकसान हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके सुझाए जाने पर (जनवरी 1993), प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1993) कि सहायक वन संरक्षक, राजि अधिकारी , फारेस्टर तथा वन रक्षक के

विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रगति पर थी ।

मामले की सूचना शासन को जुलाई 1993 में दी गई थी ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

अध्याय - 9

अन्य विभागीय प्राप्तियां

क - सिंचाई विभाग

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान, लेखा-परीक्षा में की गई सिंचाई विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों की जांच-परीक्षा में 167.90 लाख रुपए की अनियमितताओं के 81 मामले सामने आए, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	5	58.56
2.	जल प्रभार की न/कम वसूली	1	30.19
3.	नहर के जल का अनधिकृत प्रयोग	2	0.45
4.	कार्यादेशों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न करने के कारण हानि	19	8.88
5.	आराजी भूमि के पट्टे पर न दिये जाने के कारण हानि	1	9.24
6.	अन्य अनियमितताएं	53	60.58
	योग	81	167.90

वर्ष 1992-93 के दौरान, संबंधित विभाग ने 49.24 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि के 23 मामले स्वीकार किए । इनमें से 46.06 लाख रुपए के 9 मामले, लेखा परीक्षा में, 1992-93 के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्व वर्ती वर्षों में । 46.07 लाख रुपए के कुछ एक निदर्शी मामलों का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया गया है ।

9.2 असिंचित एवं घरेलू उपयोग हेतु जल-प्रभारों की वसूली न/कम किया जाना

(i) सिंचाई विभाग, रेलवे को गैर - सिंचाई प्रयोजनों के लिए, इस उद्देश्य से उनके बीच निष्पादित अनुबन्धों में विनिर्दिष्ट दरों पर जलापूर्ति करता है । अक्टूबर 1972 से उत्तर रेलवे ने स्वयं को आपूरित जल के लिए 10 रुपए प्रति 5,000 घन फीट की दर स्वीकार की है । अप्रैल 1985 में, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार की आपूर्तियों के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ एक अनुबन्ध किया जाना था और अन्य बातों के साथ-साथ 50,000 रुपए प्रति क्यूसेक (घनफीट प्रति सेकेण्ड) प्रति वर्ष की दर से जल-प्रभार वसूल किया जाना था ।

सिंचाई प्रखण्ड , हाथरस की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1992) कि अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1991 तक की अवधि के दौरान हाथरस रेलवे जंक्शन स्थित उत्तर रेलवे के तीन टैंकों (ए0, बी0 और सी0) को 51.97 क्यूसेक जल की आपूर्ति की गई थी । फिर भी राज्य सरकार के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया। प्रखण्ड ने अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1991 तक की अवधि के लिए वसूल किए जाने योग्य 25.99 लाख रुपए के विरुद्व 37.87 लाख क्यूसेक जल की वास्तविक आपूर्ति के लिए जल प्रभार के रुप में पूर्व पुनरीक्षित दरों पर केवल 11,362 रुपए की मांग सृजित की । इसके अतिरिक्त सितम्बर 1972 से मार्च 1985 तक के दौरान की गई आपूर्ति के लिए , उत्तर रेलवे से वसूली योग्य 4.32 लाख रुपए के जल प्रभार की वसूली भी विभाग द्वारा नहीं की गई थी ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को जुलाई 1992 में दी गई थी ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

(ii) मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा जून 1975 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पेय तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए राज्य नलकूपों से की गई जलापूर्ति के लिए शुल्क एक रुपए प्रति दो हजार गैलन की दर से प्रभारित किया जाना है ।

नलकूप प्रखण्ड, एटा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1992) कि एक राज्य नलकूप से पेय तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल 1991 से 10 मई 1992 तक के दौरान की गई 11.72 करोड़ गैलन की जलापूर्ति के लिए शुल्क की वसूली नहीं की गई थी । इसके परिणाम स्वरुप 58,600 रुपए की राजस्व -हानि हुई ।

मामला विभाग/शासन को जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

9.3 राज्य नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

नलकूप निदेशक, सिंचाई विभाग, उ० प्र० द्वारा वर्ष 1965 में जारी किए गए स्थिर आदेशों के अनुसार राज्य नलकूपों में यान्त्रिक दोष पैदा हो जाने पर मरम्मत / सुधार के लिए अनुमन्य बन्दी की अधिकतम अवधि 48 घन्टे से 7 दिन तक के बीच बदलती रहती है । आदेशों में मरम्मत के लिए अनुज्ञप्त अधिकतम अवधि के बाद तथा नलकूपों के बन्द पड़े रह जाने की स्थिति में कर्मचारियों (विभिन्न स्तरों के) को आवश्यक दण्ड जिन में सेवा-समाप्ति, पदावनति आदि शामिल है, दिए जाने पर भी विचार किया गया है ।

राज्य नलकूपों से रबी और खरीफ फसलों के लिए सिंचाई उद्देश्य से की गई जलापूर्ति क्रमशः 1.20 रुपए प्रति 5000 गैलन व 10,000 गैलन की दर से प्रभारित की जानी होती है।

फैजाबाद और शाहजहांपुर स्थित दो नलकूप खण्डों की लेखा-परीक्षा के दौरान देखा गया (सितम्बर 1992) कि रबी फसल 1399 फसली (1992) के दौरान, 175 राज्य नलकूप, यान्त्रिक दोषों के कारण 10 दिनों से 58 दिनों तक की विभन्न अवधियों के लिए बन्द पड़े रहे। मरम्मत में हुए विलम्ब के परिणामस्वरुप काश्तकारों कों आवश्यकता की अवधि के दौरान सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा और शासन को उस अवधि के लिए आगणित, जिसमें बिजली की आपूर्ति उपलब्ध थी, 3.99 लाख रुपए की धनराशि (रबी की फसल के लिए 1.20 रुपए प्रति 5000 गैलन पानी की दर से) के राजस्व की हानि हुई ।

नलकूपों की मरम्मत में हुए विलम्ब के लिए, प्रखण्डों ने कार्यशाला में परिवहन, निधि, फुटकर पुर्जो तथा स्टाफ की कमी को जिम्मेदार ठहराया । नलकूपों की मरम्मत करवाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदम से नही अवगत कराया गया ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को अक्टूबर 1992 और फरवरी 1993 के मध्य दी गई थी; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

9.4 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न किया जाना

जनवरी 1982 में शासन ने राजकीय निर्माण कार्यों के लिए निष्पादित अनुबन्धों/ठेका बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण से छूट वापस ले ली । भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जैसा कि उत्तर प्रदेश पर लागू किए जाने के संबंध में उसे संशोधित किया गया) की अनुसूची - 1 - ख के अनुच्छेद 5 (ग) के अनुसार किसी साधारण अनुबन्ध (बिना प्रतिभूति) के विलेख पर 5 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाया जाना होता है (जिसे बढ़ाकर 15 जून 1982 से 06 रुपए और 1 नवम्बर 1991 से 100 रुपए कर दिया गया) ।

दस सिंचाई प्रखण्डों * की लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च और दिसम्बर 1992 के मध्य) कि जुलाई 1984 और अगस्त 1992 के बीच निष्पादित 14,500 अनुबन्धों के बाबत 2.14 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किया गया था । दूसरे यह कि नवम्बर 1991 और नवम्बर 1992 के मध्य निष्पादित 4017 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क 100 रुपए के स्थान पर 10 रुपए की दर से लगाया गया था । इसके परिणामस्वरुप 3.61 लाख रुपए के और राजस्व की हानि हुई । इस प्रकार कुल मिलाकर 5.75 लाख रुपए के राजस्व का कम आरोपण हुआ ।

मामले की सूचना विभाग और शासन को जनवरी और फरवरी 1993 के बीच दी गई थी ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

9.5 नहर जल के अनधिकृत प्रयोग के लिए दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना

सिंचाई विभाग के आदेशों के मैनुअल के साथ पठित उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम 1873 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नहर जल की बर्बादी अथवा दुरुपयोग के लिए दण्डात्मक प्रभार आरोपणीय है । फिर भी, दण्डात्मक प्रभार के आरोपण का आदेश पारित करने के पूर्व प्रखण्डीय अधिकारी को इस बात के लिए स्वयं को संतुष्ट करना पड़ता है कि मामले की छान-बीन जिलेदार से अन्यून स्तर के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कर ली गई है। इस प्रकार आरोपित दण्डात्मक प्रभारों को दखलदार के दर के निर्धारण के समान माना जाना और राजस्व विभाग द्वारा भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली हेतु मांग-विवरणी (जमाबन्दी) में शामिल किया जाना होता है ।

हाथरस स्थित सिंचाई प्रखण्ड की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1992) कि 1395 खरीफ फसली से 1399 खरीफ फसली तक (1988 से 1992 तक) के दौरान 5710 एकड़ भूमि की अनधिकृत सिंचाई को आच्छादित करने वाले नहर जल दुरुपयोग के 1369 मामले प्रतिवेदित किए गए। इन मामलों में 3.48 लाख रुपए धनराशि के दण्डात्मक प्रभार वसूल किए जाने

---

* (बरेली, देवरिया, एटा, गाजीपुर, लखीमपुर-खीरी, उरई, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, उन्नाव व वाराणसी)

थे । फिर भी, लेखा-परीक्षा की तिथि तक न तो मामलों की छान-बीन की गई और न ही उनका निबटारा किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

9.6 पुनरीक्षित दरों पर निविदा-शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 31 मार्च 1989 के अपने आदेश में 2.50 लाख रुपए मूल्य तक की प्रत्येक निविदा के लिए 15 रुपए से 35 रुपए तक लगने वाली निविदा-शुल्क की दरें 31 मार्च 1989 से प्रभावी करते हुए बढ़ा कर 50 रुपए कर दी ।

1991-92 तथा 1992-93 के मध्य की गयी 7 सिंचाई प्रखण्डों की * लेखा-परीक्षा के दौरान देखा गया कि 3399 मामलों में 2.50 लाख रुपए तक के मूल्य वाली निविदाओं की बाबत निविदा शुल्क 50 रुपए प्रति निविदा की पुनरीक्षित दर के स्थान पर पूर्व-पुनरीक्षित दरों पर वसूल किया गया । परिणांम स्वरुप अप्रैल 1989 से नवम्बर 1991 तक की अवधि में 1.14 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

9.7 मछली का शिकार करने से पूर्व सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि

मछली के शिकार करने (माहीगीरी) के अधिकारों की नीलामी के संबंध में, सिंचाई विभाग के अनुदेशों में शर्त है कि सफल बोली बोलने वाले से स्वीकृत बोली की चौथाई रकम नीलामी के समय और अवशेष माहीगीरी अधिकारों के लिए संविदा हस्ताक्षरित करते समय वसूल की जाएगी । ठेकेदार को माहीगीरी के कार्यकलाप में हाथ लगाने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि बोली की सम्पूर्ण रकम जमा न हो जाए और अनुबन्ध पत्र अथवा पट्टा नाना हस्ताक्षरित न हो जाए । नवम्बर 1977 में नीलामी की समाप्ति पर बोली की सम्पूर्ण रकम की वसूली और नीलामी सूचना में इस शर्त के समावेशन के लिए और अनुदेश जारी किए गए थे ।

---

* (फैजाबाद, जौनपुर, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर व वाराणसी

सिंचाई निर्माण प्रखण्ड, गाजीपुर में देखा गया (जुलाई 1992) कि नहरों के दो खण्डों के संबंध में माहीगीरी अधिकारों की नीलामी, अगस्त 1990 से जुलाई 1992 तक की अवधि के दौरान चार ठेकेदारों के पक्ष में 2.45 लाख रुपए पर की गई । ठेकेदारों ने, फिर भी, नीलामी की समाप्ति पर केवल 1.52 लाख रुपए जमा किए । तो भी उन्हें अनुबन्धों अथवा पट्टानामों को निष्पादित किए बगैर, माहीगीरी के कार्य-कलाप का अधिकार लेने दिया गया । इसकी परिणति ठेकेदारों से 92,978 रुपए की बकाया रकम की अदम-वसूली के रुप में हुई ।

लेखा-परीक्षा में, इसके सुझाए जाने पर, विभाग ने बताया कि नीलामी की समाप्ति पर बोली की सम्पूर्ण रकम इस लिए वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि नवम्बर 1977 में जारी किए गए पुनरीक्षित आदेश प्राप्त नहीं हुए थे ।

मामले की सूचना शासन को जनवरी 1993 में दी गई थी ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1994) ।

ख - लोक निर्माण विभाग

9.8 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान लेखा-परीक्षा में किए गए लोक निर्माण विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में 267.39 लाख रुपए की अनियमितताओं के 93 मामले सामने आये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	मैक्सफाल्ट के खाली ड्रमों की कम दर पर नीलामी के कारण हानि	4	3.42
2.	ठेकेदारों से बिक्रीकर की अदम-वसूली	4	1.47
3.	टोल टैक्स की अदम-वसूली से राजस्व हानि	7	4.51

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
4.	मिश्रित रूप-पत्रों की पूर्व पुनरीक्षित दरों पर बिक्री के कारण हानि	16	5.25
5.	पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अदम वसूली	6	4.80
6.	कार्यादेशों पर स्टाम्प शुल्क की अदम वसूली/कम आरोपण	13	2.13
7.	राजकीय आवासीय भवनों के अधिभोक्ताओं से जल कर की कम/अदम वसूली	1	0.91
8.	सेन्टेज प्रभारों का कम आरोपण	2	37.85
9.	राजस्व मदों में बिक्री अर्थागमों का अनियमित एकाउण्टल/नान-क्रेडिट	3	13.95
10.	अन्य अनियमिततायें	37	193.10
	योग	93	287.39

वर्ष 1992-93 के दौरान, संबंधित विभागों ने 40.44 लाख रुपए से संबंधित अव-निर्धारण आदि के 26 मामलों को स्वीकार किया । इनमें से 31.57 लाख रुपए से संबंधित 9 मामले लेखा-परीक्षा में 1992-93 के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में । 48.68 लाख रुपए से संबंधित कुछ एक निदर्शी मामलों का उल्लेख निम्न प्रस्तरों में किया गया है ।

9.9 अंशदान कार्यों पर सेन्टेज प्रभारों का कम आरोपण

वित्तीय मामलों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड पंचम् तथा षष्ठम् के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य के वाणिज्यिक विभागों, स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र निकायों की ओर से लोक निर्माण तथा सिंचाई विभाग द्वारा संभाले गए सभी वर्गों के अंशदान कार्यों के सम्बन्ध में, निर्माण पर आने वाले वास्तविक परिव्यय के 15 प्रतिशत की समान दर पर सेन्टेज प्रभार आरोपित करके उन्हें राजकीय खाते में जमा किया जाना होता है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने स्थाई व्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अभिकरण

(एजेंसी) के माध्यम से निष्पादित सभी केन्द्रीय राजकीय निर्माण पर 21 प्रतिशत की दर से सेंटेज प्रभार के संग्रह के आदेश दिए हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड, फैजाबाद की लेखा-परीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1992) कि 1989-90 से 1992-93 तक के दौरान प्रखण्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की ओर से 2.56 करोड़ रुपए की लागत पर, संभाले गए अंशदान कार्यों (सड़कों का निर्माण) पर सेन्टेज प्रभार 21 प्रतिशत की अनुबंध दर के स्थान पर केवल 9 प्रतिशत की दर से आरोपित किए गए थे । इसकी परिणति 30.73 लाख रुपए के राजस्व की कम वसूली के रुप में हुई ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को फरवरी 1993 में दी गई थी: उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

9.10 स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(क) पट्टा अनुबन्धों पर

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश पर लागू किए जाने के लिए यथा संधोधित) तथा अक्टूबर 1953 में राजस्व परिषद द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार तारण (फेरी) सेवाओं और टोल संग्रहण के लिए दिए जाने वाले पट्टों पर स्टाम्प शुल्क, चूंकि इसके लिए कोई किराया नहीं रखा गया है, सम्पूर्ण धनराशि (थोड़ा अग्रिम रुप में और शेष किस्तों में अदायगी योग्य) को वह प्रीमिअम मानते हुए, जिसके लिए वह मंजूर किया गया है, आरोपित किया जाना होता है । यह बात न्यायिक * रुप से निर्णीत है कि किसी नदी के पुल को पार करने वाली गाड़ियों से टोल वसूल करने के अधिकार के पट्टे की नीलामी में, अदा की गई कीमत प्रीमिअम है ।

यह बात जानकारी में आई (जनवरी 1992 और अक्टूबर 1992 के मध्य) कि 5 लोक निर्माण प्रखण्डों ** में, 1987-88 और 1994-95 के बीच की अवधि के लिए 9 पुलों पर टोल के संग्रहण के लिए अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निष्पादित 13 पट्टा अनुबन्धों की बाबत स्टाम्प शुल्क, प्रीमिअम के आधार पर वसूल किए जाने के स्थान पर किस्तों के आधार पर उन्हें आरक्षित किराया मानते हुए जैसा कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 35(क) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है, वसूल किया गया था । परिणाम स्वरुप, 6.68 लाख रुपए के स्टाम्प-शुल्क की कम वसूली हुई ।

---

* गजाधर प्रसाद सिंह बनाम राजस्व परिषद (ए.आई.आर. 1977 इलाहाबाद 79 पूर्ण पीठ

** (बदायूं, फैजाबाद, मऊ, पालीभीत व सुल्तानपुर)

मामले की सूचना विभाग तथा शासन को जनवरी तथा फरवरी 1993 में दी गई थीः उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

(ख) निविदा दाताओं के साथ किए गए अनुबन्धों पर

निविदा की वैधता अवधि के दौरान (निविदाओं के खुलने की तिथि और विभाग द्वारा उनकी अन्तिम स्वीकृति के बीच का समय) निविदा दाताओं द्वारा अपनी पेशकश वापस ले लिए जाने की स्थिति में, उनके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की जब्ती के वैधीकरण हेतु शासन ने जून 1975 में समस्त विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को अनुदेश परिचालित करवाए कि प्रत्येक निविदा फार्म एक निर्धारित फार्म में, पर्याप्त स्टाम्प से युक्त अनुबन्ध के साथ होना चाहिए, जैसा कि भारतीय सटाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश मे लागू किए जाने के लिए यथा संशोधित) की अनुसूची-1 बी० की धारा 5 (सी0) के अन्तर्गत आवश्यक है, अनुबन्ध फर्म पर रसीदी टिकट लगाया जाना चाहिए । इस प्रकार के अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की दर 1 नवम्बर 1991 से, 6 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई थी ।

लोक निर्माण विभाग के छः प्रखण्डों * की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1992 तथा अक्टूबर 1992 के मध्य) कि नवम्बर 1991 और अगस्त 1992 के मध्य 3532 निविदाओं में से 2920 निविदाएं 100 रुपए के स्थान पर 10 रुपए के सामान्य स्टाम्प से युक्त अनुबन्धों के साथ प्राप्त हुई थी । साथ ही 612 निविदाओं के मामलों में निविदा दाताओं के साथ अनुबन्ध किया ही नहीं गया था । दस्तावेजों को उचित ढंग से स्टाम्प युक्त न करवा के विभाग द्वारा जोखिम उठाए जाने से 3.24 लाख रुपए के राजस्व की हानि भी हुई ।

मामला विभाग तथा सरकार को जुलाई 1992 तथा जनवरी 1993 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994)।

9.11 पूर्व पुनरीक्षित दरों पर निविदा फार्मों की बिक्री

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने आदेश दिनांक 31 मार्च 1989 द्वारा निविदाओं के मूल्य के अनुसार, निविदा शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम दरों को पुनरीक्षित कर के क्रमशः 15 रुपए और 100 रुपए से 50 रुपए और 200 रुपए प्रति निविदा कर दिया ।

---

* (बदायूं, एटा, इटावा, हमीरपुर, मेरठ व पीलीभीत)

16 लोक निर्माण प्रखण्डों * की लेखा परीक्षा के दौरान , देखा गया कि अप्रैल 1989 और मार्च 1991 के बीच 21,950 निविदा फार्म पूर्व पुनरीक्षित दरों पर बेचे गए थे, जिसकी परिणति 6.05 लाख रुपए के राजस्व - हानि के रुप में हुई ।

मामले की सूचना विभाग और शासन को सितम्बर 1991 और जनवरी 1993 में दी गई थी ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

9.12 जलकर की कम वसूली

उ0 प्र0 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पंचम भाग-एक की शर्तों के अनुसार सरकारी आवासीय भवनों के संबंध में अधिभोक्ताओं द्वारा देय म्युनिसिपल तथा अन्य कर, स्थानीय निकाय को प्रथमतः सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा अदा कर दिया जाता है और बाद में भवन के अधिभोक्ता सरकारी कर्मचारियों से मासिक किराये के साथ वसूल कर लिया जाता है ।

निर्माण प्रखण्ड , लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर की लेखा-परीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 1993) कि पूल्ड आवासीय योजना और अधिकारी हास्टल के 312 क्वार्टरों के संबंध में 1988-89 से 1992-93 तक की अवधि में नगर महा पालिका, गोरखपुर को जलकर के रुप में अदा किए गए 1.69 लाख रुपए के विरुद्ध विभाग द्वारा अधिभोक्ताओं से केवल 78.394 रुपए की वसूली की गई जिसके परिणामस्वरुप 90,968 रुपए के जलकर की कम वसूली हुई ।

मामले की सूचना विभाग और शासन को अप्रैल 1993 में दी गई ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1994) ।

---

* (आगरा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर, ललितपुर, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव व वाराणसी)

ग - कृषि विभाग

9.13 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1992-93 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गये कृषि विभाग के लेखों तथा संगत अभिलेखों के जाँच-परीक्षण से 63.47 लाख रुपए की अनियमितताओं के 23 मामले सामने आए जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	राजकीय कृषि फार्मों में पैदावार की कमी	4	40.69
2.	लाइसेंस फीस की अदम वसूली	3	1.78
3.	अन्य अनियमितताएं	16	21.00
	योग	23	63.47

वर्ष 1992-93 के दौरान संबंधित विभाग ने 97.99 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि के 20 मामले स्वीकार किए । इनमें से 2.80 लाख रुपए से संबंधित 5 मामले लेखा-परीक्षा में 1992-93 के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में । 9.49 लाख रुपए से संबंधित कुछ निदर्शी मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.14 कीटनाशक दवाइयों के व्यवसायियों द्वारा लाइसेंस का अनवीनीकरण

उत्तर प्रदेश कीटनाशक दवाइयां अधिनियम 1965 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत ,उत्तर प्रदेश में कीटनाशी दवाइयों के थोक अथवा फुटकर व्यापार के लिए व्यवसायियों को कृषि रक्षा अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना होता है । प्रत्येक कीटनाशी दवा जिसके लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है के लिए लाइसेंस 20 रुपए के शुल्क की अदायगी पर, अधिकतम 300 रुपए की शर्त के साथ, जारी किए जाने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार के लाइसेंसों को लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व, निर्धारित शुल्क अदा करके नवीनीकृत करवाना होता है । विलम्ब से नवीनीकृत लाइसेंसों पर 20 रुपए प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क भी प्रभार्य होता है ।

कृषि रक्षा कार्यालय, पीलीभीत की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1992) कि जनवरी 1986 से दिसम्बर 1992 के बीच 117 कीटनाशक दवा विक्रेता (28 सहकारी समितियाँ तथा 89 निजी) अपने लाइसेंसों को नवीनीकृत करवाए बिना 15 से अधिक कीटनाशक दवाओं का व्यापार जारी रखे हुए थे । अनवीनीकरण तथा विलम्ब शुल्क के अनारोपण के इन मामलों के परिणाम स्वरुप 1.06 लाख रुपए की धनराशि की राजस्व हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1994) ।

जय नारायण

लखनऊ
दिनांक 30 अगस्त 1994

(जय नारायण गुप्ता)
महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)-द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि सोमैया

नई दिल्ली
दिनांक 1 सितम्बर 1994

(सि० जि० सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

P.S.U.P.—6 A. G.—24-5-94— 1,800 Copies (Offset)